रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276506
CG-DL-E-25092026-276506

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948
No. 744] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 814(अ) — केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 264 के उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 273 के उपधारा (1) और उपधारा (2) और धारा 275 के उपधारा (1) के साथ पठित धारा 280 की उपधारा(2) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

अध्याय I

प्रारंभिक

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना- -** जब तक अन्यथा विविनिर्दिष्ट न किया जाए, ये नियम समुद्री व्यापार में लगे प्रत्येक मशीनीकृत चलत जलयान पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएँ**.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, - -

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "निरीक्षण का प्रमाण पत्र" से प्ररूप एसवीआईसी 3 में एक चलत जलयान को दी गई विधिमान्यता के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो वार्षिक निरीक्षण के अधीन है;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से रजिस्ट्री के पत्तन पर जलयान के विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्राथमिक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है,

(घ) " अनुकूल मौसम" और "प्रतिकूल मौसम" से क्रमशः अनुसूची 3 में विविनिर्दिष्ट मौसम अभिप्रेत है;

(ङ) " प्ररूप " से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में अवधारित प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "पहचान पत्र" से नाविक का पहचान पत्र अभिप्रेत है, जिसमें नाविक का निरंतर सेवा अभिलेख सम्मिलित है

(छ) "जारी करने वाला प्राधिकारी" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ज) "लंबाई" से अनुसूची में वर्णित लंबाई अभिप्रेत है;

(झ) "यांत्रिक चलत जलयान" से नोदन के यांत्रिक साधनों से सुसज्जित चलत जलयान अभिप्रेत है,

(ञ) "समुद्री वाणिज्य विभाग(सवावि)" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 11 के अधीन स्थापित समुद्री वाणिज्य विभाग अभिप्रेत है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र पर है जिसमें संबंधित जलयान स्थित है;

(ट) "मस्टर सूची" से कर्मी दल की एक सूची अभिप्रेत है, जो एक दिए गए मस्टर स्टेशन पर इकट्ठा होने की अपेक्षा है;

(ठ) "मस्टर स्टेशन" से कर्मी दल के संयोजन के लिए एक जलयान पर ऐसे अभिहित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "सूचना" से चलत जलयानों के संबंध में समय-समय पर महानिदेशक द्वारा लिखित में जारी किया गया कोई नोटिस, परिपत्र, आदेश या दिशानिर्देश अभिप्रेत है,

(ढ) "मान्यता प्राप्त संगठन" से अधिनियम की धारा 9 के परंतुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है,

(ण) "रजिस्टर बही" का अर्थ है रजिस्ट्री के पत्तन पर रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए चलत जलयानों की रजिस्ट्रीकरण पुस्तक अभिप्रेत है,

(त) "रजिस्ट्रीकृत टन भार" या "शुद्ध टन भार" से सकल टन भार से अनुमेय कटौती की अनुमति देने के पश्चात प्राप्त टन भार अभिप्रेत है, जैसा कि अनुसूची में जलयान के माप में विनिर्दिष्ट है

(थ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(द) "टन" से आयतन की एक इकाई अभिप्रेत है, जो 100 घन फीट या 2.83 घन मीटर के बराबर है

(ध) "डेक जलयान के मामले में टन भार डेक" से डेक पर खुलने वाले स्थानों को बंद करने के स्थायी साधन वाला सबसे ऊपरी सतत डेक अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगें, जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय – 2

रजिस्ट्रीकरण और टन भार मापन

4. **चलत जलयान का रजिस्ट्रीकरण**. - प्रत्येक चलत जलयान को रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाएगा:

परंतुक इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पहले पंजीकृत चलत जलयानों को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत माना जाएगा।

5. **रजिस्ट्रीकरण और टन भार के लिए लागू**.- (1) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 20 की धारा उपधारा (5) के अधीन एक चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, उस स्थान के निकटतम रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को एसवीआर प्ररूप 1 में किया जाएगा जहां मालिक का निवास है या जहां जलयान का निर्माण किया जाता है या जलयान आधारित हो सकता है।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न होगा-

(क) एसवीआर प्ररूप 2 या एसवीआर प्ररूप 3 में आवेदक द्वारा स्वामित्व की घोषणा, जैसा भी मामला हो;

(ख) जलयान के स्वामित्व संबधी दस्तावेज़;

(ग) निर्माता का प्रमाणपत्र:

परंतुक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कुछ कारणों से यदि स्वामी बिल्डर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है, तो रजिस्ट्रार इसका निपटारा कर सकता है।

(3) जलयान का टन भार अनुसूची 2 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) "निर्माता प्रमाणपत्र" पद से एक नया निर्मित जलयान की सुपुर्दगी के समय जलयान निर्माता या शिपयार्ड या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो जलयान के विवरण और उसके निर्मित वर्ष को विनिर्दिष्ट करता है और यह प्रमाणित करता है कि जलयान को अनुमोदित योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से बनाया, फिट और सुसज्जित किया गया है;

(K) "रजिस्ट्रीकरण का पत्तन " पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण का पत्तन अभिप्रेत है।

6. **जलयान का नाम.-. (1)** रजिस्ट्रीकरण के समय बैंक का नाम और (2) बैंक का नाम और शाखा का पता स्वामी को जलयान का नाम विनिर्दिष्ट करना होगा और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत जलयान का नाम किसी अन्य नाम से वर्णित नहीं किया जाएगा:

परंतुक यदि स्वामी द्वारा प्रस्तावित नाम पहले से ही किसी अन्य जलयान द्वारा धारण किया गया है या यदि नाम इतना समान है कि गणना की गई है या धोखा देने की संभावना है, तो रजिस्ट्रार ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकरण से इनकार कर सकता है और स्वामी को एक और नाम का सुझाव देने की अपेक्षा है जिसके द्वारा जलयान को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।

7. **जलयान की शासकीय संख्या**. (1) रजिस्ट्रार, नियम 4 के अधीन आवेदन के विवरण से संतुष्ट होने पर, जलयान को एक शासकीय संख्या सौंपेगा जो तीन विशिष्ट कोड अक्षरों से पहले प्रत्येक रजिस्ट्री पत्तन पर बनाए रखी गई एक क्रमिक श्रृंखला से होगी जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्री के पत्तन को इंगित करती है।

(2) एक बार किसी चलत जलयान को सौंपा गया शासकीय संख्या तब तक नहीं परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि जलयान को फिर से किसी अन्य रजिस्ट्री पत्तन पर पंजीकृत नहीं किया जाता है।

8. **रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र**.—(1) जहां किसी चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित है और रजिस्ट्रार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस राय का है कि जलयान को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने तक पत्तन पर नहीं रोका जाना चाहिए, वह ऐसे निरोध से बचने के लिए, एसवीआर प्रपत्र 10 में रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) एक चलत जलयान को अपने उपस्कर , इंजन, अन्य फिटिंग या परिदान यात्रा के लिए जलयान के पुनर्वास की सुविधा के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए एक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या टन भार माप प्रमाणपत्र भी जारी किया जा सकता है।

(3) इस नियम के अधीन ऐसे जलयान के निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा:

परंतुक निरीक्षण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि अनंतिम प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि से अधिक नहीं होगी:

परंतुक यह भी कि इस प्रकार का निरीक्षण प्रमाण पत्र केवल ऐसे जलयान को जारी किया जाएगा जो स्थोरा नहीं ले जा रहा है।

(4) इस नियम के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अनंतिम प्रमाण पत्र में जलयान और उसके स्वामी और टिंडल का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा, या नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण पत्र में अभिलिखित किए गए विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(5) इस नियम के अधीन जारी एक अनंतिम प्रमाण पत्र छह महीने से अधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा:

परंतुक रजिस्ट्रार, यदि संतुष्ट है कि, मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना अपेक्षित है, तो विधिमान्यता की अवधि को तीन महीने की और अवधि तक बढ़ा सकता है।

(6) इस नियम के अधीन जारी किया गया अनंतिम प्रमाण पत्र विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति पर या रजिस्ट्रीकरण के स्थायी प्रमाण पत्र के जारी होने पर, जो भी पहले हो, रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रदान किया जाना- (1) चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी अपेक्षाओं के पूरा होने पर, रजिस्ट्रार, अनुसूची के अनुसार जलयान के टन भार का अवधारण करने के पश्चात, एसवीआर प्ररूप 4 के अनुरूप रजिस्टर बही में जलयान का विवरण अभिलिखित करेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एसवीआर प्ररूप 5 में जारी किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र चलत जलयान के स्वामी या टिंडल द्वारा रजिस्ट्रार या सीमा फीस या समुद्री वाणिज्य विभाग या क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) के किसी अधिकारी द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

10. जलयान पर नाम और शासकीय संख्या चित्रित करना- (1) रजिस्ट्री के पत्तन को दर्शाने वाले कोड अक्षर, जिस जलयान द्वारा इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उसका नाम और इसे सौंपा गया शासकीय संख्या, जलयान के दोनों क्वार्टरों पर स्टर्न के पास काले पृष्ठभूमि पर सफेद तेल रंग में चित्रित किया जाएगा।

(2) चित्रित सभी अक्षर और आंकड़े ऐसे आकार के होंगे जो रजिस्ट्रार प्रत्येक मामले में अवधारित कर सकते हैं, किंतु ऊंचाई में एक डेसीमीटर और चौड़ाई में दो सेंटीमीटर से कम नहीं होंगे।

(3) इस नियम में उल्लिखित अक्षर और आंकड़े भी जलयान से जुड़ी डिंघियों पर उपयुक्त आकार में चित्रित किए जाएंगे।

(4) जलयान का नाम और शासकीय संख्या भी सभी जीवन नौकाओं या बचाव नौकाओं या जीवन बेड़ों पर चित्रित या स्थायी रूप से चिह्नित की जानी चाहिए जो जलयान द्वारा ले जाए जाते हैं।

11. **नाम में परिवर्तन.-** (1) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात, जलयान का नाम जिसके अधीन यह रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना उपांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) जलयान के नाम में परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन जलयान के पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रस्तावित परिवर्तन के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा और रजिस्ट्रार, यदि संतुष्ट है कि प्रस्तावित परिवर्तन उचित और अपेक्षित है, परिवर्तन को मंजूरी दे सकता है।

(3) जहां बंधक जलयान का नाम बदलना है, वहां प्रस्तावित परिवर्तन के लिए बंधक जलयान की सहमति भी प्राप्त की जाएगी।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित नया नाम रजिस्टर बही और जलयान के रजिस्ट्री प्रमाण पत्र में अभिलिखित किया जाएगा।

12. **परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रीकरण -** (1) जलयान में परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन एसवीआर प्ररूप 6 में किया जाएगा

(क) जलयान के रजिस्ट्रीकरण वाले पत्तन के रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर; और

(ख) किसी ऐसे पत्तन पर, जहां रजिस्ट्रार है या यदि यह कहीं और बनाया गया है, पहले पत्तन का रजिस्ट्रार जहां परिवर्तन के पश्चात जलयान पहुंचता है, या यदि जलयान इस प्रकार परिवर्तित भारतीय पत्तन के बाहर है, रजिस्ट्रार, सर्वेक्षणकर्ता या अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जलयान के निरीक्षण की रिपोर्ट परजलयान के भारतीय पत्तन पर आने की किसी अपेक्षा के बिना जलयान को पुनः रजिस्ट्रीकृत कर सकता है।

(2) जहाँ परिवर्तन -

(क) जलयान के आयामों या टन भार या उसकी वहन क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में और जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में भी परिवर्तन अभिलिखित करेगा;

(ख) जलयान के आयामों या टन भार या वहन क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, रजिस्ट्रार आवेदन की प्राप्ति या परिवर्तन पूरा होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा, जो भी पश्चात में हो।

13. **स्वामित्व की घोषणा**.- स्वामित्व की प्रत्येक घोषणा रजिस्ट्रार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त या भारतीय राजदूत के समक्ष की जाएगी और जहां स्वामित्व की घोषणा रजिस्ट्री के पत्तन से भिन्न किसी अन्य स्थान पर की जाती है, तो सत्यापन का स्थान घोषणा में बताया जाएगा।

14. **रजिस्ट्रीकरण के पत्तन का अंतरण**.- (1) जलयान में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्वामी या मॉर्गेजी के रूप में हो, जो जलयान का रजिस्ट्रीकरण एक पत्तन से दूसरे पत्तन में स्थानांतरित करने को इच्छुक हो, तो अंतरण के लिए रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को एसवीआर प्ररूप 7 में आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रार, यदि वह संतुष्ट है कि प्रस्तावित अंतरण आपत्तिजनक नहीं है, तो वह जलयान और उस पर किसी भी भार का विवरण , आशयित रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा।

(3) रजिस्ट्री के आशयित पत्तन पर रजिस्ट्रार, जब वह संतुष्ट हो जाता है कि पत्तन के कोड अक्षरों के साथ नया शासकीय नंबर विधिवत जलयान पर चित्रित किया गया है, तो वह रजिस्ट्री का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा और रजिस्ट्री के मूल पत्तन के रजिस्ट्रार को जलयान को सौंपा गया शासकीय नंबर और इसकी रजिस्ट्री की तारीख के बारे में सूचित करेगा।

15. **रजिस्ट्रीकरण का बंद होना**.- (1) जहां नियम 14 के अधीन जलयान का रजिस्ट्रीकरण स्थानांतरित किया जाता है, तो मूल रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को रजिस्टर बही में जलयान का रजिस्ट्रीकरण बंद करना होगा।

(2) जहां किसी पत्तन पर जलयान का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 43 के अधीन, या उप नियम(1) के अधीन बंद कर दिया गया है, पत्तन के रजिस्ट्रार जलयान के विवरण और रजिस्ट्रीकरण बंद होने की परिस्थितियों का विवरण महानिदेशक को तुरंत प्रस्तुत करेगा।

16. **जलयान या उसमें किसी हित का अंतरण- (1)** जलयान का स्वामी या जलयान के स्वामी जो जलयान या उसमें किसी रुचि को स्थानांतरित करना चाहते हैं, ऐसा करने की अनुमति के लिए रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे।

(2) रजिस्ट्रार, जैसा वह उचित समझे, ऐसी जांच करने के पश्चात, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर स्वामित्व के अंतरण की अनुमति देगा।

(3) स्वामित्व के अंतरण की अनुमति दिए जाने और बिक्री किए जाने के पश्चात, स्थानांतरी को रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को स्वामित्व की घोषणा, अंतरण का साधन और जलयान के रजिस्ट्रीकरण का विद्यमान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और उसके पश्चात, रजिस्ट्रार अपनी रजिस्टर बही में स्वामित्व के अंतरण के विवरण अभिलिखित करेगा और रजिस्ट्रीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) रजिस्ट्रार, स्वामित्व के अंतरण और रजिस्ट्रीकरण के नए प्रमाण पत्र के जारी होने पर, महानिदेशक को इसकी सूचना देगा।

17. **विधि के प्रचालन द्वारा स्वामित्व का अंतरण -** (1) जहां अधिनियम की धारा 24 के अधीन विधि के प्रचालन द्वारा जलयान का हक किसी व्यक्ति पर निहित होता है, ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार को उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करेगा जिनमें उसने जलयान का हक प्राप्त किया है और ऐसे अधिग्रहण का साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार, ऐसी जांच करने के पश्चात आवेदक के दावे के बारे में संतुष्ट है, तो वह अपनी रजिस्टर बही में स्वामित्व में परिवर्तन के विवरण को रजिस्ट्रीकृत करेगा और जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में भी विवरण को पृष्ठांकित करेगा।

18. **जलयान का बंधक .-** (1) जलयान के बंधक संबंधी विलेख या अन्य कोई हित यथास्थिति, एसवीआर प्ररूप 8 या एसवीआर प्ररूप 9 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि विलेख ठीक से निष्पादित किया गया है, और उसे अपनी रजिस्टर पुस्तिका में स्वीकृति की तारीख और समय के साथ अभिलिखित करेगा और उस आशय पर बंधक के विलेख पर पृष्ठांकन करेगा।

(3) जहां एक ही जलयान पर दो या दो से अधिक बंधक हैं, उनकी संबंधित प्राथमिकताएं वर्णानुक्रम में उचित स्तंभ में रजिस्टर बही में इंगित की जाएंगी।

(4) जब बंधक ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि बंधक के विलेख पर पृष्ठांकित रसीद क्रम में है और यह उचित रूप से गवाह है, बंधक के निर्वहन से संबंधित रजिस्टर बही में प्रविष्टि करेगा।

(5) बंधक ऋण की किसी किस्त के स्वामित्व का कोई संदाय रजिस्टर में अभिलिखित नहीं किया जाएगा।

19. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अतिरिक्त प्रतियां जारी करना.-** (1) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति जारी करने के लिए स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि मूल प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है, खो गया है, गलत तरीके से रखा गया है, विकृत हो गया है या विरूपित हो गया है, उसी को लाल स्याही में स्पष्ट रूप से चिह्नित करके जारी कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उन परिस्थितियों की घोषणा की जानी चाहिए जिनमें मूल प्रमाण पत्र नष्ट, खो गया, गलत तरीके से रखा गया, विकृत या विरूपित हो गया था।

(3) जहां रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आधार पर प्राप्त की गई है कि मूल प्रमाण पत्र खो गया है या गलत तरीके से खो गया है, और ऐसा प्रमाण पत्र पश्चात में स्वामी द्वारा पाया या प्राप्त किया जाता है, तो वह मूल प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रार को तुरंत सौंप देगा, जो कि इसे रद्द कर देगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि मूल को विकृत या विरूपित कर दिया गया है जब तक कि विकृत या विरूपित प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को नहीं सौंपा जाता है।

20. **केन्द्रीय रजिस्टर .-** (1) महानिदेशक एक केन्द्रीय रजिस्टर या ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा जिसमें रजिस्टर बही में अभिलिखित सभी प्रविष्टियाँ होंगी।

(2) किसी पत्तन पर जलयान के रजिस्ट्रीकरण के पूरा होने पर, रजिस्ट्रार जलयान से संबंधित अपनी रजिस्टर पुस्तक में प्रविष्टियों की एक प्रति तुरंत महानिदेशक को प्रेषित करेगा।

(3) रजिस्टर बही में पश्चात में अभिलिखित किए गए प्रत्येक अन्य लेनदेन का विवरण भी तुरंत महानिदेशक को सूचित किया जाएगा।

21. **रजिस्टर बही का निरीक्षण और प्रविष्टियों की प्रतियों की आपूर्ति।-** (1) रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर बही, इस संबंध में किए गए आवेदन पर और अनुसूची के अनुसार फीस के संदाय पर, कार्यालय के घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

(2) रजिस्टर बही में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी व्यक्ति को उस संबंध में किए गए आवेदन पर और अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर दी जा सकती है।

अध्याय 3
फ्रीबोर्ड और निरीक्षण का प्रमाण पत्र

22. **फ्रीबोर्ड सुपुर्द करना**.- **(1)** कोई भी जलयान तब तक समुद्र में नहीं चलेगा या आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार फ्रीबोर्ड सुपुर्द नही किया गया हो।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या कम से कम तीन मिलीमीटर गहरी कट गई है, धनुष और स्टर्न पर पतवार की लकड़ी में और गहरे पृष्ठभूमि पर सफेद या पीले रंग से चित्रित किया जाएगा।

(3) जलयानों के लिए फ्रीबोर्ड की गणना अनुसूची 2 के अनुसार की जाएगी।

23. **फ्रीबोर्ड के सुपुर्दगी के लिए निरीक्षण या सर्वेक्षण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन**-(1) निरीक्षण के प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए प्रत्येक आवेदन अधिकार क्षेत्र वाले एमएमडी या मान्यता प्राप्त संगठन को प्ररूप एसवीआईसी-1 में किया जाएगा और अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा।

(2) रजिस्ट्रार चलत जलयान -

(क) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया;

(ख) फ्रीबोर्ड के सुपुर्दगी के लिए सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण किया गया

जो निरीक्षण या सर्वेक्षण पूरा होने पर, फ्रीबोर्ड के सुपुर्दगी के लिए ऐसे निरीक्षण या सर्वेक्षण के परिणाम पर रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(3) यदि सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि फ्रीबोर्ड अवधारण किया जा सकता है, तो वह स्वामी को उस स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें डेक लाइन और फ्रीबोर्ड लाइन को चिह्नित किया जाना है।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी और 15 जुलाई को जिले के एमएमडी के प्रधान अधिकारी को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले अर्धवार्षिकी में जारी किए गए निरीक्षण प्रमाणपत्रों का विवरण प्ररूप एसवीआईसी-4 में दिखाया गया है।

24. **निरीक्षण की तैयारी**. - **(1)** जलयान को साफ और स्थोरा मुक्त किया जाएगा।

(2) निरीक्षण के लिए रिगिंग और उपस्कर तैयार रखे जाने चाहिए।

(3) जलयान को बाहरी रूप से साफ किया जाएगा और जमीन से पर्याप्त रूप से साफ एक कठोर या स्लिपवे पर रखा जाएगा:

परंतुक जब तक सर्वेक्षक के पास पतवार की स्थिति पर संदेह करने का कोई कारण न हो, ऐसी गतिविधि तीन वर्षों में केवल एक बार की जाएगी।

25. चिह्नित करना - (1) जलयान का स्वामी जलयान के प्रत्येक तरफ, डेक और फ्रीबोर्ड लाइनों के विवरण और साथ ही निम्नलिखित आकृति के अनुसार डिस्क को चिह्नित करेगा:

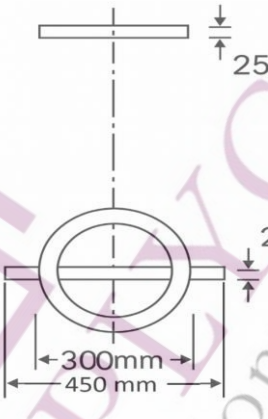

(2) उपनियम(1) में उल्लिखित चिह्नों को कम से कम तीन मिलीमीटर की गहराई तक प्लैंकिंग में काटा जाएगा और गहरे पृष्ठभूमि पर सफेद या पीले रंग से रंगा जाएगा।

26. निरीक्षण.- (1) हल का निरीक्षण यह अवधारित करने के लिए किया जाएगा कि जलयान आशयित सेवा के लिए पर्याप्त सुदृढ़ और जलरोधक है।

(2) प्लैंकिंग और कॉल्किंग में जोड़ों की सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए।

(3) डेक जलयानों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डेक प्लैंकिंग अच्छी स्थिति में है और ठीक से कॉक किया गया है और डेकद्वार को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए कुशल साधन प्रदान किए गए हैं।

(4) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—

(क) चलत मजबूत और टिकाऊ सामग्री के बने हैं और अच्छी स्थिति में हैं और चलत के अधीन कुशल नौपरिवहन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं;

(ख) सभी ब्लॉक, चरखियाँ और रस्सियाँ अच्छी स्थिति में हैं और पर्याप्त मजबूत हैं;

(ग) लंगर, जंजीरें, मोटी रस्सियां पर्याप्त और कुशल हैं।

(5) रडर और हेल्म की स्थिति और उनके बंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(6) सभी पंपों का परीक्षण कम से कम दस मिनट तक काम करके दक्षता के लिए किया जाना चाहिए।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्रीबोर्ड चिह्नों को ठीक से चिह्नित और बनाए रखा जाए और फ्रीबोर्ड चिह्नों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

(8) इंजन डिब्बे को बल्कहेड्स का उपयोग करके स्थोरा स्पेस से अलग किया जाएगा और इसे गैर-दहनशील पैनलिंग से इन्सुलेट किया जाएगा और जीआई शीट से सम्मिलित किया जाएगा।

(9) निकास अपटेक को ठीक से इन्सुलेट किया जाएगा।

(10) इंजन, सहायक मशीनरी और स्टर्न ग्लैंड अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।

27. उपस्कर (1) प्रत्येक जलयान इन नियमों के अध्याय 4 के अधीन विनिर्दिष्ट रक्षा नौका और अग्निशामक उपस्करों से सुसज्जित होगा:

परंतुक 1 जनवरी 2027 के दिन या उससे पहले निर्मित या पुनर्निर्मित चलत जलयान, इन नियमों का चलतन करेगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जा सकता है

परंतुक यह और भी कि, महानिदेशक ऐसे किसी जलयान के संबंध में ऐसी छूट, संशोधन या समकक्ष व्यवस्था की अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझता है।

(2) सांविधिक जीवन रक्षक उपस्करों से भिन्न, अग्निशामक उपस्कर , संकट, सुरक्षा और रेडियो संचार अपेक्षाओं के लिए, भारतीय मशीनीकृत चलत जलयानों को सुरक्षा और सुरक्षा संचार, नौपरिवहन और रिपोर्टिंग उपायों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का चलतन करना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) 100 सकल टन से अधिक के प्रत्येक जलयान में केवल बिल्ज पंपिंग के लिए कम से कम एक हाथ से प्रचालित पंप प्रदान किया जाएगा।

(4) 200 सकल टन और उससे अधिक के जलयानों के लिए, एक विद्युत या यांत्रिक चालित पंप को हाथ से प्रचालित पंप की जगह लेनी चाहिए और प्रत्येक 300 सकल टन भार के लिए ऐसे पंप का उपबंध किया जाना चाहिए।

(5) पंपिंग और पाइपिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पंप बिलज को सुखाने के लिए चूषण लेने में सक्षम हो और जलयान के तल से जलयान के मुख्य गनवेल से कम से कम दो मीटर ऊपर पानी फेंकने के लिए पर्याप्त दबाव उत्पन्न कर सके।

(6) 400 सकल टन भार और उससे अधिक के जलयानों में, कम से कम एक ऐसा पंप निश्चित प्रकार का होगा और बिलज होल्डिंग टैंक से किनारे की रिसेप्शन सुविधा तक तेलयुक्त बिलज पानी को पंप करने की व्यवस्था होगी।

(7) तटीय जलयान के सिवाय प्रत्येक जलयान —

(क) आपातकाल में या रक्षा नौका नाव में उपयोग के लिए स्थिर कार्ड और एक अतिरिक्त वहनीय कम्पास वाला एक निश्चित कम्पास प्रदान किया जाएगा;

(ख) 200 टन से कम के जलयानों को समय-समय पर जारी नोटिस के अनुपालन में वीएचएफ सेट और एआईएस प्रदान किया जाएगा।

(8) प्रकाश, आकार और ध्वनि संकेत अधिनियम के अधीन लागू नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

(9) प्रत्येक जलयान को निम्नलिखित संचार उपस्कर प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:

(क) 200 सकल टन भार से अधिक चलत जलयानों के लिए स्वामियों के विकल्प पर वीएचएफ;

(ख) शिप सुरक्षा चेतावनी सिस्टम (एसएसएएस) या डीएटी;

(ग) वर्ग-क (स्वचालित पहचान प्रणाली);

(घ) ईपीआईआरबी या डीएटी;

(ङ) नावेटेक्स रिसीवर या सैटेलाइट फोन; और

(च) एमएफ/एचएफ या सैटेलाइट फोन।

28. प्रदूषण निवारण और पर्यावरण नियंत्रण अपेक्षाएं। - (1) कोई भी जलयान किसी भी मशीनरी में ईंधन के रूप में भारी या स्थायी तेल का उपयोग नहीं करेगा।

(2) उच्च गति वाले डीजल या हल्के गैर-स्थायी ईंधन को ही जलयान पर अनुमति है।

(3) 400 सकल टन भार वाले प्रत्येक जलयान में समय-समय पर जारी नोटिस के अनुपालन में स्टील या समान सामग्री से बना एक बिलज होल्डिंग टैंक प्रदान किया जाएगा।

(4) 400 सकल टन भार या उससे अधिक के प्रत्येक जलयान के साथ

(क) अठारह या अधिक कर्मी दल के सदस्यों को जैव निम्नीकरण योग्य सिस्टम शौचालय प्रदान किया जाएगा;

(ख) उन्नीस या अधिक और बाईस तक के कर्मी दल के सदस्यों को केवल एक शौचालय के साथ अनुपातिक अतिरिक्त क्षमता वाले होल्डिंग टैंक प्रदान किए जाएंगे;

(ग) तेईस कर्मी सदस्य और उससे ऊपर के लोगों को प्रति अठारह व्यक्तियों के आधार पर अतिरिक्त शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) सीवेज होल्डिंग टैंक और जैव निम्नीकरण योग्य शौचालय किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा अनुमोदित डिजाइन और प्रकार के अनुसार होंगे।

(6) एक जलयान पर स्थापित समुद्री डीजल इंजन निम्नलिखित नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) उत्सर्जन सीमा का अनुपालन करेगा: -

(क) 3.4 ग्रा./कि.वा.घं. , जब एक130 आरपीएम से कम हो;

(ख) "9·n^(-0.2) ग्रा./ कि.वा.घं., जब एक 130 या अधिक, किंतु 2000 आरपीएम से कम है;

(ग) 2.0 ग्रा./ कि.वा.घं. , जब एक 2000 आरपीएम या अधिक हो

जहां एन रेटेड इंजन गति (क्रैंकशाफ्ट प्रति मिनट) है।

29. सहायक इंजन.- (1) किसी जलयान में सहायक इंजन लगाने से पहले, यह पता लगाने के लिए कि क्या पतवार स्थापित किए जाने वाले इंजनों के लिए पर्याप्त ताकत की है, एक सर्वेक्षक द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा।

(2) इंजन लगाया जाएगा और एक सर्वेक्षक की संतुष्टि के लिए अपेक्षित परीक्षण और गति परीक्षण किए जाएंगे:

परंतुक जब तक सर्वेक्षक के पास इंजन की दक्षता पर संदेह करने का कोई कारण न हो, तब तक पूरी तरह से विघटन और निरीक्षण केवल पांच वर्षों में एक बार किया जाएगा।

30. ईंधन तेल भंडारण और बिल्ज होल्डिंग टैंक- (1) ईंधन तेल भंडारण और सेवा टैंकों का निर्माण उचित रूप से किया जाना चाहिए, उचित भरने की व्यवस्था और वायु निकासी और गेजिंग क्षमता के साथ स्वयं समर्थित रूप से लगाएं जाए।

(2) टैंक से ईंधन की आपूर्ति दूर से बंद करने वाले तंत्र के साथ एक धातुई ईंधन कॉक से फिट की जानी चाहिए।

(3) 500 सकल टन भार (जीटी) से कम या उसके बराबर प्रत्येक जलयान में 500 लीटर क्षमता का बिल्ज वाटर होल्डिंग टैंक लगाया जाएगा, और ऐसे जलयान के जीटी में 100 टन की वृद्धि के लिए, बिल्ज वाटर होल्डिंग क्षमता में 100 लीटर की वृद्धि होगी:

परंतुक बिल्ज पानी धारण करने वाले टैंक की क्षमता सभी इंजनों या मशीनरी से एक घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें जलयान के समुद्र में होने पर ऐसे परिवर्तन की संभावना है।

31. दोष.- यदि किसी सर्वेक्षक को पता चलता है कि किसी जलयान के हल, रिगिंग, उपस्कर या मशीनरी में कोई दोष विद्यमान है, तो वह प्ररूप एसवीआईसी 2 में जलयान के स्वामी या टिंडल को दोषो और अपेक्षित मरम्मतों को हेतु इंगित करते हुए सूचित करेगा और स्वामी या टिंडल यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वेक्षक की संतुष्टि के लिए मरम्मत की जाए।

32. निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना .- (1) इस बात से संतुष्ट होने पर कि जलयान ने इन नियमों के उपबंधोंका अनुपालन किया है, एमएमडी के प्रधान अधिकारी प्ररूप एसवीआईसी 3 में निरीक्षण का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(2) उपनियम(1) के अधीन जारी किए गए निरीक्षण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की विधिमान्यता , जलयान के वार्षिक निरीक्षण के अधीन, इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी

परंतुक सर्वेक्षक, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, स्थोरा वहन क्षमता या चलने वाले क्षेत्र के प्रभाव के लिए निरीक्षण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो।

33. निरीक्षण के प्रमाण पत्र की समाप्ति या अमान्य होना.- (1) निरीक्षण का कोई भी प्रमाण पत्र जो समाप्त हो गया है या जलयान को संरचनात्मक क्षति के कारण या अपर्याप्त उपस्कर या किसी अन्य कारण से अमान्य हो गया है, ऐसी समाप्ति के पश्चात भारत में एमएमडी या जलयान के रजिस्ट्रार को कॉल के पहले पत्तन पर पहुंचने पर सौंपा जाएगा।

(2) यदि कोई जलयान किसी विदेशी पत्तन पर आ रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो जलयान पत्तन के राज्य नियंत्रण अधिकारी को सूचित करेगा, और जलयान का स्वामी जलयान के रजिस्ट्रार को तुरंत सूचित करेगा।

(3) जहां एक चलत जलयान भारत के बाहर यात्रा पर लगा हुआ है, उसके प्रमाणपत्र की समाप्ति के समय, ऐसा प्रमाणपत्र समाप्ति के पश्चात भारत में एक पत्तन पर जलयान के पहले आगमन तक विधिमान्य रहेगा:

परंतुक जलयान बिना किसी अनुचित देरी के सीधे वहां आगे बढ़ता है और जलयान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

34. **जलयान में परिवर्तन. -** जब भी किसी जलयान के पतवार या अधिरचना में परिवर्तन हुए हैं जिससे फ्रीबोर्ड लाइनों की स्थिति प्रभावित हुई है, तो स्वामी को एक नए फ्रीबोर्ड प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।

35. **जलयान की लदाई**. - - किसी भी जलयान को इस प्रकार लादा नहीं जाएगा कि फ्रीबोर्ड लाइन का चिह्न जलमग्न हो जाए।

36. **निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किया जाना.- (1)** यदि निरीक्षण का कोई मूल प्रमाण पत्र नष्ट, खोया, गलत, विकृत या विरूपित हो जाता है, तो एमएमडी का प्रधान अधिकारी, उससे किए गए आवेदन पर, पूर्ण तथ्यों को बताते हुए और मामले की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा।

(3) यदि निरीक्षण का मूल प्रमाण पत्र जो गलत तरीके से खो गया है या नष्ट हो गया है, उसकी दूसरी प्रति जारी होने के पश्चात पाया जाता है, तो इसे तुरंत एमएमडी के प्रधान अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

37. **रजिस्ट्री का अंतरण (प्रमाणपत्र पृष्ठांकन)।—** जहां किसी जलयान की रजिस्ट्री स्थानांतरित की जाती है या स्वामित्व के नाम या टन भार में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन का पृष्ठांकन करने के लिए निरीक्षण का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।

38. **व्यापार संबंधी सीमाएँ**. - - यदि व्यापार की सीमाएं और इस तरह के व्यापार की शर्तें हों, तो निरीक्षण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जो जलयान के आकार, प्रकार, निर्माण और सामान्य उपयुक्तता के आधार पर सर्वेक्षक द्वारा अवधारित की जा सकती है जो फिट है और समय-समय पर जारी नोटिस के अनुपालन में है।

39. **निरीक्षण प्रमाण पत्र का उत्पादन-** जलयान का स्वामी या टिंडल सर्वेक्षक या सीमा फीस के किसी अधिकारी या ,समुद्री वाणिज्य विभाग या भारत में क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) और भारत के बाहर देश के किसी भी पत्तन राज्य नियंत्रण अधिकारी द्वारा मांग पर निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

जीवन रक्षक उपस्कर और अग्नि सुरक्षा उपस्कर

40. 500 सकल टन भार और उससे अधिक के जलयानों पर अग्निशामक उपस्कर - (1) 500 सकल टन भार और उससे अधिक के प्रत्येक जलयान को निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाएगी-

(क) आग बुझाने वाले पंप, पानी की सेवा पाइप, हाइड्रेंट होज़ और नोजल जिसके द्वारा कम से कम पानी की एक जेट पानी के जलयानों के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है जो साधारणतयाकर्मी दल के लिए सुलभ है, जबकि जलयान को नेविगेट किया जा रहा है और कोई भी भंडार कक्ष और किसी भी स्थोरा स्थान का कोई भी हिस्सा जब खाली हो;

(ख) नियम 43 के अनुसार बिजली द्वारा प्रचालित कम से कम एक अग्निशामक पंप, जो जलयान में प्रदान किए गए किसी भी अग्निशामक हाइड्रेंट होज़ और नोजल से कम से कम एक जेट पानी देने में सक्षम है;

(ग) एक अग्निशामक मेन, पानी की सेवा पाइप और हाइड्रेंट और कम से कम तीन अग्निशामक होज़ और नोजल;

(घ) कम से कम वहनीय अग्निशामक यंत्रों और अग्निशामक बाल्टियों की न्यूनतम संख्या, जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उपयुक्त रूप से वितरित और इस प्रकार स्थित है कि आवास स्थानों, सेवा स्थानों और मशीनरी स्थानों में तत्काल उपयोग के लिए आसानी से सुलभ हो;

(ङ) एक पात्र जिसमें कम से कम 0.3 घन मीटर रेत या अन्य शुष्क सामग्री होती है जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होती है, साथ ही इसके वितरण के लिए एक स्कूप या प्रत्येक फायरिंग स्थान में तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त एक अतिरिक्त वहनीय अग्निशामक यंत्र भी होता है;

(च) एक आंतरिक दहन प्रणोदक मशीनरी जो मशीनरी स्थानों में लगी होती है और के साथ होती है

(i) वहनीय अग्निशामक यंत्र जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य पदार्थों से या अन्य पदार्थों का उन्मोचन करने में सक्षम हैं, जैसा कि अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट है; या

(ii) तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त दो वहनीय अग्निशामक यंत्रों के साथ-साथ कम से कम 45 लीटर का एक फोम अग्निशामक यंत्र या कम से कम 16 किलोग्राम क्षमता का एक कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र।

41. 150 टन और उससे अधिक किंतु 500 टन से कम के जलयानों पर अग्निशामक उपस्कर (1) 150 टन और उससे अधिक, किंतु 500 टन से कम के प्रत्येक जलयान को प्रदान किया जाएगा

(क) कम से कम एक अग्निशामक पंप और अग्निशामक होज़ और नोजल जिससे पानी की बौछार को जलयान के किसी भी हिस्से में निर्देशित किया जा सके;

(ख) एक वहनीय डीजल चालित पंप या एक हाथ पंप जिसमें एक नली और नोजल हो जो छह मीटर से कम नहीं के थ्रो वाले पानी का जेट देने में सक्षम हो, जहां खंड (ग) के अनुसार प्रदान किया गया पंप आंतरिक दहन मशीनरी वाले स्थानों के अंदर स्थित है;

(ग) कम से कम वहनीय अग्निशामक यंत्रों और अग्निशामक बाल्टियों की न्यूनतम संख्या, जैसा कि अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट है, उपयुक्त रूप से वितरित और इस प्रकार स्थित है कि आवास स्थानों, सेवा स्थानों और मशीनरी स्थानों में तत्काल उपयोग के लिए आसानी से सुलभ हो।

(2) मुख्य या सहायक तेलशामक बॉयलर या आंतरिक दहन नोदन मशीनरी से सुसज्जित प्रत्येक ऐसे जलयान को प्रदान किया जाएगा

(क) तेल पर पानी छिड़कने के लिए उपयुक्त एक नोजल;

(ख) 0.3 घन मीटर रेत या अन्य शुष्क सामग्री वाला एक पात्र जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त है, साथ ही पात्र की सामग्री को वितरित करने के लिए एक स्कूप।

(3) ऐसे जलयान के किसी भी तेल ईंधन संस्थापन के किसी भी भाग वाले प्रत्येक स्थान में, तेल की आग बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो वहनीय अग्निशामक यंत्र प्रदान किए जाएंगे।

(4) ऐसे जलयान में प्रत्येक मशीनरी स्थान में, कम से कम 45 लीटर क्षमता का एक फोम अग्निशामक या समकक्ष कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक प्रदान किया जाएगा।

(5) कम से कम दो वहनीय अग्निशामक यंत्र जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त फोम या किसी अन्य पदार्थ को निकालने में सक्षम हों, ऐसे जलयान में प्रदान किए जाएंगे।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

42. 50 टन और उससे अधिक किंतु 150 टन से कम के जलयानों पर अग्नि-शामक उपस्कर। (1) 50 टन और उससे अधिक किंतु 150 टन से कम के प्रत्येक जलयान को प्रदान किया जाएगा

(क) एक अग्नि पंप जो बिजली और अग्निशामक नली और नोजल द्वारा प्रचालित होता है जो जलयान के किसी भी हिस्से में पानी का जेट छोड़ने में सक्षम है;

(ख) एक होज़ और नोजल जो छह मीटर से कम नहीं फेंकने वाले पानी के जेट को निर्देशित करने में सक्षम है, जहां अग्निशामक पंप मशीनरी स्पेस के बाहर अपने समुद्री कनेक्शन के साथ मुख्य इंजन द्वारा प्रचालित होता है

(ग) तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त पानी छिड़कने के लिए एक नोजल के साथ;

(घ) कम से कम वहनीय अग्निशामक यंत्रों और अग्निशामक बाल्टियों की न्यूनतम संख्या, जैसा कि अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट है, उपयुक्त रूप से वितरित और इस प्रकार स्थित है कि आवास स्थानों, सेवा स्थानों और मशीनरी स्थानों में तत्काल उपयोग के लिए आसानी से सुलभ हो।

(2) आंतरिक दहन नोदन मशीनरी से सुसज्जित प्रत्येक ऐसे जलयान को प्रदान किया जाएगा

(क) 0.3 घन मीटर रेत या अन्य शुष्क सामग्री वाला एक पात्र जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त है, पात्र की सामग्री को वितरित करने के लिए एक स्कूप के साथ।

(ख) कम से कम दो वहनीय अग्निशामक यंत्र जो तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त फोम या अन्य पदार्थों को निकालने में सक्षम हों।

43. अग्निशामक पंप.- (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंध के सिवाय, किसी जलयान में ले जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक अग्निशामक पंप जलयान के मुख्य इंजनों से भिन्न किसी अन्य शक्ति के माध्यम से प्रचालित किया जाएगा।

(2) महानिदेशक द्वारा बिल्ज या साधारण सेवा पंप, बिल्ज के रूप में, स्वीकार किए जा सकते हैं, परंतुक वे साधारणतया तेल पंपिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं और यदि वे कभी-कभी ईंधन तेल पंपिंग या स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो उपयुक्त प्रचालन निर्देश के साथ परिवर्तित व्यवस्थाएं फिट की जा सकती हैं।

(3) प्रत्येक जलयान , जिसे इन नियमों के अधीन बिजली द्वारा प्रचालित अग्निशामक पंपों से सुसज्जित किया जाना अपेक्षित है, किसी भी आपातकालीन अग्निशामक पंप से भिन्न, अग्निशामक के प्रयोजनों के लिए, उपनियम(9) में विनिर्दिष्ट शर्तों और दबाव के अधीन पानी की मात्रा देने में सक्षम होगा, जो निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त मात्रा से कम नहीं होगा, अर्थात्:—

पानी की मात्रा घन मीटर प्रति घंटा = सीडी^{2} और जहां-

(क) किसी भी आपातकालीन अग्निशामक पंप के सिवाय एक से अधिक अग्निशामक पंप प्रदान करने के लिए अपेक्षित जलयानों के लिए सी = 5 और केवल एक अग्निशामक पंप प्रदान करने के लिए अपेक्षित जलयानों के लिए सी = 2.5; और

(ख) (डी) = 1 + 0.066 0.25 के निकटतम के लिए √ (बी + डी) जहां—

एल = ग्रीष्मकालीन भार जल रेखा पर जलयान की लंबाई मीटर में, स्टेम के अग्रभाग से पतवार पोस्ट के पीछे की ओर और जहां पतवार पोस्ट नहीं है, लंबाई को स्टेम के अग्रभाग से पतवार स्टॉक के अक्ष तक मापा जाता है यदि वह अधिक हो;

बी = मीटर में जलयान की सबसे बड़ी ढलाई चौड़ाई; और

डी = जलयान की ढाला हुआ गहराई मीटर में जलयान के बीच बल्कहेड डेक तक मापा गया है:

परंतुक अग्निशामक के लिए अग्नि पंपों की कुल क्षमता में सम्मिलित जलयानों से भिन्न किसी भी ऐसे जलयान में प्रति घंटे 180 घन मीटर से अधिक की अपेक्षा नहीं होगी।

(4) प्रत्येक जलयान में, जिसे किसी भी आपातकालीन अग्निशामक पंप से भिन्न, बिजली द्वारा प्रचालित एक से अधिक अग्निशामक पंप प्रदान करने की अपेक्षा है, उसकी क्षमता अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इन नियमों द्वारा अपेक्षित अग्निशामक पंपों की कुल क्षमता का न्यूनतम संख्या में अपेक्षित अग्निशामक पंपों से विभाजित किया जाता है, किंतु किसी भी मामले में, 25 घन मीटर प्रति घंटे से कम नहीं।

(5) प्रत्येक अग्निशामक पंप जो बिजली द्वारा प्रचालित होता है, किसी भी आपातकालीन अग्निशामक पंप से भिन्न, किसी भी अग्निशामक हाइड्रेंट या हाइड्रेंट से, पात्र में, कम से कम इन नियमों द्वारा अपेक्षित पानी के जेट की न्यूनतम संख्या का उत्पादन करने में सक्षम होगा, पात्र के वर्ग और टन भार के लिए उपयुक्त, जबकि उपनियम(9) द्वारा अपेक्षित दबाव बनाए रखना।

(6) किसी भी जलयान में जिसमें अंतरिक्ष में निरंतर मानव प्रचालन के बदले मशीनरी स्थान में स्वचालित और रिमोट कंट्रोल सिस्टम प्रदान किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपेक्षित दबाव पर पानी की आपूर्ति तत्काल उपलब्ध हो, या तो स्थायी दबाव द्वारा या उपयुक्त रूप से स्थापित अग्निशामक पंप की दूरस्थ शुरुआत द्वारा।

(7) यदि पंप अग्निशामक मेन, पानी सेवा पाइप, हाइड्रेंट या होज़ के डिजाइन दबाव से अधिक दबाव विकसित करने में सक्षम हैं तो सभी अग्निशामक पंपों के साथ राहत वाल्व प्रदान किए जाएंगे:

परंतुक ऐसे वाल्व इस प्रकार रखे और समायोजित किए जाएंगे कि आग मुख्य प्रणाली के किसी भी भाग में अत्यधिक दबाव न हो।

(8) प्रत्येक अपकेन्द्री पंप जो अग्निशामक मेन से जुड़ा है, उसमें नॉन-रिटर्न वाल्व लगाया जाना चाहिए।

(9) जब दोनों पंप एक साथ नियम 45 में विनिर्दिष्ट आकार के नोजल के माध्यम से किसी भी आसन्न हाइड्रेंट के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं, तो सभी हाइड्रेंट पर न्यूनतम दबाव 2.1 (0.2M/mm2) बनाए रखा जाएगा।

44. फायर मेन, जल सेवा पाइप और हाइड्रेंट.- (1) इन नियमों के अधीन प्रदान किए जाने वाले सभी पानी के पाइप और आग के हाइड्रेंट इस प्रकार रखे जाएंगे कि आग के होज़ को आसानी से उनसे जोड़ा जा सके।

(2) प्रत्येक जलयान में जिसे बिजली द्वारा प्रचालित अग्निशामक पंपों से सुसज्जित किया जाना अपेक्षित है, अग्निशामक मेन और हाइड्रेंट से जुड़े पानी के सर्विस पाइपों का व्यास इन नियमों द्वारा अपेक्षित अधिकतम निर्वहन के प्रभावी वितरण के लिए पर्याप्त होगा

(क) जहां केवल एक पंप की अपेक्षा होती है, वह पंप; या

(ख) जहां ऐसे दो पंपों की अपेक्षा होती है, दोनों पंप एक साथ काम करते हैं; या

(ग) जहां दो से अधिक ऐसे पंपों की अपेक्षा होती है, वहां ऐसे दो सबसे बड़े पंप एक साथ काम करते हैं।

(3) फायर मैन में और पानी सेवा पाइपों का व्यास दो अग्निशामक पंपों से एक साथ काम करने वाले अधिकतम अपेक्षित निर्वहन के प्रभावी वितरण के लिए पर्याप्त होगा, सिवाय स्थोरा जलयानों के मामले में, व्यास केवल 140 एम 3/एच के निर्वहन के लिए पर्याप्त होगा।

(4) डेक स्थोरा ले जाने वाले जलयानों में, हाइड्रेंट की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वे पाइपों के साथ हमेशा सरलता से सुलभ हों और ऐसे स्थोरा से नुकसान के जोखिम से बचने के लिए व्यवस्थित हों और जलयानों में जहां डेक पाइप लाइनें उजागर डेक पर चलती हैं, ऐसी दो लाइनें प्रदान की जाएंगी।

(5) पानी के पाइप -

(क) ऐसी सामग्री से न बने हों, जिसे गर्मी से सरलता से अप्रभावी बना दिया जा सकता है; और

(ख) ढलाई लोहे से न बने हों और यदि ढलाई लोहे या स्टील से बना है, तो इसे जस्ती किया जाएगा या पाइप की दीवार की मोटाई में संक्षारण भत्ता बढ़ाया जाएगा।

(6) मुख्य अग्निशामक पंप या पंपों वाले मशीनरी स्पेस के भीतर अग्निशामक मेन के खंड को बाकी अग्निशामक मेन से अलग करने के लिए आइसोलेटिंग वाल्व मशीनरी स्पेस के बाहर आसानी से सुलभ और टिकाऊ स्थिति में फिट किए जाएंगे।

(7) फायर मैन मुख्य इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि जब अलग करने वाले वाल्व बंद हो जाएं, तो जलयान पर सभी हाइड्रेंट को किसी अन्य अग्निशामक पंप या आपातकालीन अग्निशामक पंप द्वारा पानी की आपूर्ति की जा सके, सिवाय मशीनरी स्थान के जो उपनियम(6) में निर्दिष्ट हैं।

(8) आपातकालीन अग्नि पंप, उसका समुद्री जल प्रवेश और चूषण, वितरण पाइप और अलग करने वाले वाल्व मशीनरी स्थान के बाहर स्थित होंगे और यदि यह व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो सी-चेस्ट को मशीनरी स्थान में लगाया जा सकता है यदि वाल्व को आपातकालीन अग्नि पंप के समान डिब्बे में एक स्थिति से दूर से नियंत्रित किया जाता है, और चूषण पाइप यथासंभव छोटा है।

(9) चूषण या निर्वहन पाइपिंग की छोटी लंबाई मशीनरी स्थान में प्रवेश कर सकती है, परंतुक वे एक पर्याप्त स्टील आवरण में संलग्न हों, या ए-60 वर्ग मानकों के लिए इन्सुलेटेड हों और पाइपों में पर्याप्त दीवार मोटाई होनी चाहिए, किंतु किसी भी मामले में ग्यारह मिलीमीटर से कम नहीं।

(10) स्क्रू लिफ्ट प्रकार या कॉक्स के हाइड्रेंट वाल्व को पानी की सेवा पाइपों से जोड़ा जाना चाहिए और इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इन से जुड़े किसी भी अग्निशामक होज़ को हटा दिया जा सके जब अग्निशामक पंप चालू हों।

(11) अग्निशामक प्रणाली के लिए सभी पानी के पाइपों में ठंडे मौसम में उपयोग के लिए ड्रेन वाल्व या कॉक प्रदान किए जाएंगे और इस प्रकार स्थित होंगे कि वे स्थोरा से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते हैं।

45. आग बुझाने वाले होज़—(1) आग बुझाने वाले होज़—

(क) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित गैर-नाशवान सामग्री के बने होंगे;

(ख) किसी भी स्थान पर पानी की बौछार करने के लिए पर्याप्त लंबा हों, जहां उनका उपयोग करने की अपेक्षा हो; और

(ग) एक नोजल और अपेक्षित कपलिंग प्रदान की जानी चाहिए;

(घ) कम से कम दस मीटर की लंबाई होनी चाहिए, किंतु इससे अधिक नहीं

(i) मशीनरी स्थानों में पंद्रह मीटर;

(ii) अन्य स्थानों में बीस मीटर और खुले डेक; और

(iii) तीस मीटर से अधिक अधिकतम चौड़ाई वाले जलयानों पर खुले डेक के लिए पच्चीस मीटर।

(2) इस प्रकार की प्रत्येक आग बुझाने वाले होज़ को उपस्करों और फिटिंग के साथ हाइड्रेंट या कनेक्शन के पास एक स्पष्ट स्थिति में रखा जाना चाहिए जिसके साथ इसका उपयोग किया जाना है।

(3) इन नियमों के अनुपालन में प्रदान की गई आग बुझाने वाले होज़ का उपयोग आग बुझाने या अग्निशामक ड्रिल और सर्वेक्षण में अग्निशामक उपस्करों के साथ परीक्षण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

46. नोज़ल- (1) प्रत्येक जलयान जिसमें इन नियमों के अधीन बिजली से चलने वाले अग्निशामक पंप प्रदान करने की अपेक्षा है, उसमें बारह मिलीमीटर, सोलह मिलीमीटर, उन्नीस मिलीमीटर व्यास के या यथासंभव उसके व्यास के करीब नोज़ल प्रदान किए जाएंगे और अग्निशामक प्रयोजनों के लिए पानी के उपबंध से संबंधित इन नियमों की अपेक्षाओं का अन्यथा अनुपालन किए जाने पर व्यास में बड़े नोज़ल प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) मशीनरी स्थानों और बाहरी स्थान के लिए, नोजल का व्यास ऐसा होना चाहिए कि पानी के न्यूनतम संख्या के जेट से अधिकतम संभव निर्वहन प्राप्त हो और इन नियमों के अधीन अनुमत सबसे छोटे अग्निशामक पंप से अपेक्षित दबाव पर:

परंतुक नोजल का व्यास उन्नीस मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) आवास और सेवा स्थान के लिए, नोजल का व्यास बारह मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(4) प्रत्येक ऐसा नोजल तेल की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त पानी की स्प्रे और एक सादे पानी के जेट का उत्पादन करने में सक्षम होगा और इसमें बंद करने की सुविधा सम्मिलित होगी।

47. जीवन रक्षक उपस्कर- (1) किसी भी जलयान पर कोई भी जीवन रक्षक उपस्कर या व्यवस्था नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा उपस्कर या व्यवस्था महानिदेशक द्वारा अनुमोदित प्रकार की न हो या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन न हो।

(2) नॉटिकल सलाहकार किसी अन्य देश के प्रशासन द्वारा दी गई मंजूरी को मान्यता दे सकता है, जहां ऐसी मंजूरी इन नियमों और जीवन रक्षक उपस्कर (एलएसए) कोड के अधीन विहित मानकों के बराबर है।

(3) अनुमोदन प्रदान करने से पहले, नॉटिकल सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों और संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए अपेक्षित परीक्षण या जांच किए गए हैं:

परंतुक नॉटिकल सलाहकार, ऐसी पर्यवेक्षण और शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, ऐसे परीक्षण या परीक्षण करने के लिए एक मान्यता प्राप्त संगठन या एक अनुमोदित परीक्षण प्रतिष्ठान को प्राधिकृत कर सकता है।

(4) प्रत्येक भारतीय चलत जलयान अनुसूची 8 के अनुसार जीवन रक्षक उपस्करों से सुसज्जित होगा।

स्पष्टीकरण।- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अंतर्राष्ट्रीय जीवन रक्षक उपस्कर (एलएसए) कोड" से समय-समय पर संशोधित किया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के समुद्री सुरक्षा समिति के संकल्प एमएससी.48(66) द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जीवन रक्षक उपस्कर (एलएसए) कोड अभिप्रेत है।

अध्याय 5
कर्मी दल और पहचान पत्र

48. परमिट या पहचान पत्र का कब्जा. (1) कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर किसी भी यात्रा पर चलत जलयान पर सेवा नहीं करेगा या सेवा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

(क) टिंडल, जब तक कि उसके पास परमिट न हो;

(ख) कर्मी दल का कोई अन्य सदस्य, जब तक कि उसके पास इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य पहचान पत्र न हो।

(2) परमिट या पहचान पत्र धारक, किसी भी जारी करने वाले प्राधिकारी या किसी जलयान के रजिस्ट्रार या सीमा फीस के किसी अधिकारी की मांग पर, भारत में ऐसे प्राधिकारी, रजिस्ट्रार या

अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसा परमिट या पहचान पत्र और भारत के बाहर देश के किसी भी पत्तन राष्ट्र नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करेगा।

(3) सीमा फीस का कोई भी अधिकारी किसी भी जलयान को बाहर नहीं करेगा, जब तक कि उसका टिंडल परमिट के कब्जे में न हो और उसके कर्मी दल के अन्य सदस्य इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य पहचान पत्र और विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट के कब्जे में न हों।

49. अनुमति या पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया।-(1) महानिदेशक चलत जलयानों के कर्मी दल को परमिट या पहचान पत्र जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली बनाएगा।

(2) परमिट या पहचान पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल, ए के माध्यम से प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा, साथ ही इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और फीस के साथ।

(3) क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) इन नियमों के उपबंधोंके अनुसार आवेदनों की जांच करेगा और संतुष्ट होने पर, अंतिम अनुमोदन और मुद्रण के लिए महानिदेशक को भेजेगा।

(4) अनुमति या पहचान पत्र महानिदेशक के अधिकार के अधीन जारी किया जाएगा और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) के हस्ताक्षर होंगे।

50. परमिट या पहचान पत्र जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और शर्तें। (1) अनुमति या पहचान पत्र के आवेदन के प्रयोजन के लिए, आवेदक के पास होना चाहिए

(क) एक विधिमान्य पासपोर्ट;

(ख) एक विधिमान्य पता प्रमाण;

(ग) पुलिस सत्यापन;

(घ) हस्ताक्षर और फोटो।

(2) अनुमति या पहचान पत्र केवल ऐसे आवेदकों को जारी किया जाएगा जो भारतीय पत्तनों या भारतीय पत्तनों और भारत के बाहर किसी अन्य पत्तन के बीच चलने वाले भारतीय चलत जलयानोंपर सेवा करते हैं।

(3) आवेदक एक चलत जलयान के स्वामी या टिंडल से इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत करेगा कि आवेदक ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले चलत जलयान पर नियोजित किया जाएगा और चलत जलयान भारतीय या विदेशी पत्तनों के बीच चल रहा है।

(4) टिंडाल परमिट के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास भारतीय चलत जलयान पर न्यूनतम तीन वर्ष का समुद्री अनुभव होना चाहिए।

(5) आवेदन प्राप्त होने पर, जारी करने वाला प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा कि वह अपेक्षित समझे और संतुष्टि पर, एक पहचान पत्र जारी करेगा।

(6) यदि किसी आवेदक को पहचान पत्र या टिंडल परमिट जारी नहीं किया जाता है तो अस्वीकार करने का कारण लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और आवेदक को एक प्रति दी जाएगी।

(7) जिस किसी व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वह अस्वीकृति की तारीख से कम से कम एक महीने की अवधि के पश्चात एक नया आवेदन कर सकता है।

(8) अनुमति और पहचान पत्र प्ररूप ख में जारी किए जाएंगे, जिन्हें अनुक्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा, जिसके पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुद्दे के पत्तन के कोड अक्षर होंगे।

(9) एक परमिट या एक पहचान पत्र इसके जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या पासपोर्ट की समाप्ति तक, जो भी पश्चात में हो, के लिए विधिमान्य होगा:

परंतुक जारी करने वाला प्राधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, एक वर्ष से कम अवधि के लिए परमिट या पहचान पत्र जारी कर सकता है:

परंतुक यह भी कि जहां, परमिट या पहचान पत्र की समाप्ति पर, उसका धारक ऐसे जलयान पर है जो भारत के बाहर यात्रा पर है, ऐसा परमिट या पहचान पत्र तब तक विधिमान्य माना जाएगा जब तक कि ऐसा जलयान भारत में किसी पत्तन पर नहीं पहुंच जाता।

(10) जहां किसी जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी परमिट या पहचान पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है या जहां ऐसा परमिट या पहचान पत्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है, वहां जारी करने वाला प्राधिकारी आवेदक को लिखित में उसके कारणों को बताएगा, और अस्वीकृति के मामले में, संदाय की गई फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(11) जारी प्राधिकारी इस नियम के अधीन उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की एक अतिरिक्त प्रति अभिलेख के लिए महानिदेशक को भेजेगा और जहां परमिट या पहचान पत्र के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह ऐसे अस्वीकार के कारणों को संक्षेप में बताते हुए एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

51. अनुमति या पहचान पत्र का नवीकरण।- (1) परमिट या पहचान पत्र के धारक को ऐसे परमिट या पहचान पत्र की समाप्ति से नौ महीने की अवधि के भीतर अनुसूची में विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस के साथ जारी करने वाले प्राधिकरण को नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(2) जारी करने वाला प्राधिकारी उचित पृष्ठांकन करके एक वर्ष से कम अवधि के लिए परमिट या पहचान पत्र का नवीकरण करेगा।

(3) जहां जारी करने वाला प्राधिकारी इस नियम के अधीन परमिट या पहचान पत्र का नवीकरण करने से इनकार करता है या जहां वह ऐसे परमिट या पहचान पत्र को एक वर्ष से कम अवधि के लिए

नवीनीकृत करता है, तो वह धारक को लिखित में सूचित करेगा कि इसके क्या कारण हैं और अस्वीकृति के मामले में, वह आवेदक को फीस वापस कर देगा।

(4) जहां जारी करने वाला प्राधिकारी इस नियम के अधीन परमिट या पहचान पत्र का नवीकरण करने से इनकार करता है, वह एमएमडी के प्रधान अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें इस तरह के इनकार के कारणों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा।

(5) नए, नवीकरण, प्रतिस्थापन या अतिरिक्त परमिट या पहचान पत्र के लिए आवेदन अपेक्षित स्कैन किए गए दस्तावेजों के साथ और अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

(6) क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) आवेदनों की पुनर्विलोकन करेगा, अपेक्षित जांच करेगा और अनुमोदन के लिए उन्हें महानिदेशक पर ऑनलाइन भेजेगा।

(7) उपनियम(6) के अधीन महानिदेशक द्वारा अनुमोदन पर, परमिट या पहचान पत्र मुद्रित, हस्ताक्षरित, लैमिनेटेड और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक को भेजे जाएंगे।

52. अनुमति या पहचान पत्र का निलंबन और रद्द करना और उसके अभिलेख और रजिस्टर का रखरखाव- (1) यदि जारी करने वाले प्राधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि परमिट या पहचान पत्र धारक ने किया है

(क) अनुमति या पहचान पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन से झूठे दस्तावेज़ का उपयोग किया या करने का प्रयास किया या झूठा घोषणा की गई

(ख) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या सीमा फीस अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को करने या करने का प्रयास किया गया है;

(ग) पर्याप्त कारण के बिना, एक जलयान पर अपने कर्तव्य का स्थान छोड़ दिया, या एक जलयान पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया है

तब जारी करने वाला प्राधिकारी, धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित में आदेश द्वारा और धारक को लिखित में सूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अवधि के लिए परमिट या पहचान पत्र को निलंबित या रद्द कर सकता है जैसा वह विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) जारी करने वाला प्राधिकारी—

(क) प्ररूप ग में इन नियमों के अधीन जारी किए गए पहचान पत्रों से संबंधित मासिक रिटर्न बनाए रखें; और

(ख) प्ररूप घ में चलत जलयानोंके टिंडल्स और कर्मी दल के अन्य सदस्यों को जारी किए गए परमिट या पहचान पत्रों का एक रजिस्टर।

53. अपील— जारी करने वाले प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति—

(क) उसे परमिट या पहचान पत्र देने से इनकार करना; या

(ख) उसे एक वर्ष से कम अवधि के लिए परमिट या पहचान पत्र जारी करना; या

(ग) अपने परमिट या पहचान पत्र का नवीकरण करने से इनकार करना या एक वर्ष से कम अवधि के लिए अपने परमिट या पहचान पत्र का नवीकरण करना; या

(घ) उसके परमिट या पहचान पत्र को निलंबित या रद्द करना

जारी करने वाले प्राधिकारी के विनिश्चयकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, महानिदेशक को लिखित में अपील कर सकता है।

54. अतिरिक्त परमिट या पहचान पत्र जारी करना.- (1) जहां परमिट या पहचान पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है या विरूपित हो जाता है, वहां पर उसके धारक, जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे परमिट या पहचान पत्र की अतिरिक्त प्रति के लिए तथ्यों को स्पष्ट करने वाले शपथपत्र के साथ, अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, जारी करने वाला प्राधिकारी, उसमें दिए गए बयानों की शुद्धता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात, एक अतिरिक्त परमिट जारी कर सकता है या, जैसा भी मामला हो, एक पहचान पत्र और ऐसा परमिट या पहचान पत्र लाल स्याही में "अतिरिक्त" चिह्नित किया जाएगा।

(3) जहां एक परमिट या एक पहचान पत्र जो खोया हुआ या नष्ट हो गया है और जिसके संबंध में इस नियम के अधीन अतिरिक्त जारी किया गया है, पश्चात में पाया जाता है, तो इसे रद्द करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "अनुमति" शब्द से नियम 48 के अधीन जारी टिंडल परमिट अभिप्रेत है।

55. कर्मी दल का विवरण - प्रत्येक जलयान का स्वामी या टिंडल होगा

(क) अधिनियम की धारा 275 नियमों के लिए संलग्न प्ररूप ङ में में निर्दिष्ट कर्मी दल का एक कथन बनाए रखना या बनाए रखना,

(ख) समुद्री जलयान के कर्मी दल के सदस्यों के कथन की एक प्रति और उसमें अभिलिखित प्रत्येक परिवर्तन को संबंधित जलयान के रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को सूचित करें; और

(ग) रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय अधिकारी (चलत) या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग पर निरीक्षण के लिए कथन प्रस्तुत करें।

56. सेवाएं, निरीक्षण, सर्वेक्षण और प्रमाणन फीस .- सेवाओं, निरीक्षण, सर्वेक्षण और प्रमाणन के लिए फीस अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय 6

सुरक्षा, मैनिंग और सुरक्षा अपेक्षाएं

57. साधारण सुरक्षा दायित्वों की पूर्ति।-- (1) प्रत्येक चलत जलयान -

(क) हर समय समुद्र में चलने योग्य स्थिति बनाए रखें और इन नियमों और समय-समय पर जारी किए गए नोटिस के अधीन अपेक्षित सुरक्षा, जीवन रक्षक, अग्निशामक , संचार और नौपरिवहनल उपस्कर प्रदान किए जाएं

(ख) अनुसूची 6 के अनुसार एक निरंतर संक्षेप अभिलेख (सीएसआर) बनाए रखें;

(ग) पत्तन के पत्तन प्राधिकरणों को अपने अपेक्षित आगमन और प्रस्थान के समय और तारीखों की रिपोर्ट करें जहां जलयान को आगमन या प्रस्थान से कम से कम बारह घंटे पहले पहुंचना या प्रस्थान करना है और ऐसी जानकारी वीएचएफ और अनुमोदित प्रारूप में एक दस्तावेज़ के माध्यम से उनके स्वामियों या अभिकर्ताओं या प्रबंधकों या चार्टरर्स के माध्यम से संप्रेषित की जाएगी

(घ) सभी अपेक्षित क्रियाकलापों को अभिलेख करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए लॉग बुक को संरक्षित करने के लिए एक अनुमोदित जलयान लॉग बुक बनाए रखें।

58. सुरक्षित मैनिंग. - - प्रत्येक चलत जलयान में सक्षम कर्मी दल की अपेक्षित न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जो सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है - -

(क) सुरक्षित नौपरिवहन और निगरानी;

(ख) चलत, रिगिंग और सहायक मशीनरी का प्रभावी प्रचालन ;

(ग) आग, बाढ़, ग्राउंडिंग और जलयान पर लोगों सहित आपात स्थितियों का प्रतिउत्तर देने की क्षमता;

(घ) विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर निरंतर रेडियो निगरी

59. निगरानी और आराम के घंटे. (1) जब जलयान चल रहा हो या असुरक्षित क्षेत्रों में लंगर डाले हुए हो तो हर समय निरंतर नौपरिवहनल निगरानी बनाए रखी जानी चाहिए।

(2) टिंडल दिन और रात की पहरेदारी के लिए अर्हताप्राप्त कर्मी दल को नियुक्त करेगा यह सुनिश्चित करते हुए कि -

(क) वह निगरानी दृष्टि और श्रवण द्वारा रखी जाती है;

(ख) एआईएस और वीएचएफ हर समय निगरानी करते हैं;

(ग) जहाँ मैनुअल स्टीयरिंग की अपेक्षा होती है वहाँ व्हील या टिलर का उपयोग किया जाता है।

(3) यदि कोई वॉचकीपर थकान, बीमारी या नशे के कारण अयोग्य है तो उसे ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी।

(4) प्रत्येक कर्मी दल के सदस्य को न्यूनतम की अनुमति दी जाएगी

(a) किसी भी 24 घंटे की अवधि में दस घंटे का आराम; और

(b) किसी भी 7 दिन अवधि में 77 घंटे का आराम:

परंतुक बाकी घंटों को दो अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक कम से कम छह घंटे का हो।

(5) टिंडल निरीक्षण के लिए निगरानी के कार्यक्रम और आराम के घंटों का अभिलेख बनाएगा।

60. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय. - प्रत्येक चलत जलयान को

(क) समुद्री सुरक्षा घटना, जलदस्युता और सशस्त्र डकैती के मामले में प्रक्रियाओं का चलतन करें;

(ख) पाइरेसी, सशस्त्र डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करें

जैसा कि अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट है।

61. नौपरिवहन, रिपोर्टिंग और संचार. - (1) अंतर्राष्ट्रीय जल यात्रा में लगे प्रत्येक चलत जलयान को सभी समय पर अपने एआईएस (क्लास ए) को चालू रखना चाहिए जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा वास्तविक-समय मॉनिटरी सुनिश्चित हो सके।

(2) यदि एआईएस (क्लास ए) उपस्कर बंद कर दिया जाता है या गैर-प्रकर्मी टिंडल को हर बारह घंटे में सैटेलाइट फोन (या अन्य उपलब्ध साधनों) के माध्यम से जलयान के स्वामी को जलयान की स्थिति और स्थिति की मैन्युअल रूप से रिपोर्ट करनी चाहिए और इस सूचना को अनुसूची 10 के अनुसार शासकीय लॉगबुक में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(3) समुद्रीय सुरक्षा खतरे या क्षेम या सुरक्षा संबंधित घटना की स्थिति में या अभिहित प्रचालन जोखिम क्षेत्रों से गुजरते समय या संबंद्ध अधिकारियों के अनुरोध पर टिंडल को हर बारह घंटे या उससे अधिक बार मैन्युअल रूप से रिपोर्ट करना चाहिए।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रचालन जोखिम क्षेत्र" पद से एक नामनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती या अन्य सुरक्षा खतरे, जलयानों और व्यापार की क्षेम, सुरक्षा और संचलन को प्रभावित कर सकते हैं।

(4) मैनुअल रिपोर्टिंग में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात्:

(क) स्वामी का संपर्क ईमेल:

(ख) स्वामी का मोबाइल नंबर;

(ग) स्वामी का नाम;

(घ) रिपोर्ट की तारीख और समय;

(ङ) जलयान का नाम;

(च) आईएमओ नं.;

(छ) कॉल साइन:

(ज) एमएमएसआई नं.;

(झ) पहचान संख्या या रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ञ) अक्षांश, देशांतर/पत्तन

(ट) गति;

(ठ) पाठ्यक्रम;

(ड) कर्मी दल और यात्रियों की कुल संख्या (और अंतिम पत्तन में कर्मी दल के परिवर्तन का विवरण - यदि कोई हो);

(ढ) स्थोरा का प्रकार और मात्रा;

(ण) अगला गंतव्य पत्तन ;

(त) आगमन का अनुमानित समय;

(थ) अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई हो)।

(5) सभी संकट या सुरक्षा चेतावनी को समुद्रीय बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) या समुद्री और व्यापारी डाटा विश्लेषण केन्द्र (एमएमडीएसी) या सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) को अधिसूचित किया जाएगा, जैसा भी लागू हो।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(6) भारत की अधिकारिता के भीतर किसी पत्तन में प्रवेश करने का आशय रखने वाला कोई भी जलयान अपने अनुमानित आगमन से कम से कम 96 घंटे पहले सुरक्षा (पीएएनएस) सूचना प्रदान करेगा।

(7) पूर्व आगमन सुरक्षा की अधिसूचना संबंद्ध आगमन पत्तन और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को एनएलपी सागर सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

(8) भारतीय पत्तनों पर कॉल करते समय या विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से गुजरते समय जलयान पर सशस्त्र गार्डों के बारे में सूचना भी संबंधित पत्तन पर जलयान के अभिकर्ता के माध्यम से भारतीय नौसेना, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र और स्थानीय सीमा फीस प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

(9) समुचित दस्तावेज़ों के बिना जलयानों को केवल विशेष परिस्थितियों में पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी (पीएफएसओ) के पूर्व अनुमोदन से लंगरगाह करना अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतुक ऐसे मामलों को तुरंत निकटतम समुद्री वाणिज्य विभाग और महानिदेशक के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जिसमें पीएफएसओ द्वारा उन परिस्थितियों की स्पष्टीकरण की जानी चाहिए जिनके अधीन जलयान को पीएएनएस रिपोर्टिंग के बिना पत्तन सुविधा सीमा में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी गई थी।

62. आपातकालीन तैयारी और ड्रिल (1) संकट चेतावनी ट्रांसमीटर (डीएटी) को आग, चिकित्सा आपातकाल, जलदस्युता, डूबने या लोगों के पानी में गिरने की स्थिति में जलयान के टिंडल या कर्मी दल द्वारा सक्रिय किया जाएगा।

(2) संकट चेतावनी टिंडल या कर्मी द्वारा आस-पास के जलयानों को वीएचएफ सीएच-16 पर प्रसारित किए जाएंगे और ऐसे चेतावनी एमएप/एचएफ, सैटेलाइट फोन, ईपीआईआरबी आदि सहित अन्य सभी उपलब्ध माध्यमों से भेजे जाएंगे।

(3) टिंडल यह सुनिश्चित करेगा कि आग, जलयान को छोड़ने, बाढ़, ग्राउंडिंग, लोगो का जलयान पर चढ़ने और जलदस्युता के खतरों के लिए ड्रिल दो महीने से अधिक के अंतराल पर आयोजित किए जाएं।

(4) ड्रिल के दौरान, कर्मी दल को प्रदर्शित करना चाहिए - -

(क) रक्षा नौका जैकेट का सही पहनावा और सुरक्षित करना;

(ख) जीवन रक्षा नौका की रिगिंग और लोअरिंग, जहाँ लागू हो;

(ग) अग्निशामक पंपों और दमकलों का प्रचालन ;

(घ) संकट संचार प्रक्रियाएँ।

(5) प्रत्येक ड्रिल का अभिलेख लॉग बुक में अभिलिखित किया जाएगा और मांग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

63. स्वामी और टिंडल की उत्तरदायित्व-(1) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि- -

(क) जलयान के पास निरीक्षण का विधिमान्य प्रमाण पत्र है;

(ख) इन नियमों के अधीन अपेक्षित उपस्कर प्रदान किए जाते हैं और उनका रखरखाव किया जाता है;

(ग) कर्मी दल को प्रशिक्षित किया जाता है और ड्यूटी के लिए फिट किया जाता है;

(घ) सुरक्षा और रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन किया जाता है।

(2) किसी भी स्थिति में, यदि किसी चलत जलयान के भारत के बाहर जल यात्रा पर होने के कारण निरीक्षण के पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से बारह मास भीतर चलत जलयान का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया जाता है, तो जलयान का स्वामी अनुपालन और वचनबंध का विवरण अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(3) स्वामी को समय-समय पर महानिदेशक और अन्य जलदस्युता रिपोर्टिंग केंद्रों जैसे आईएफसी-आईओआर, यूएस मार्लो, यूकेएमटीओ और एमएससीआईओ द्वारा जारी समुद्री सुरक्षा परामर्शों के बारे में कर्मी दल को संवेदनशील बनाना चाहिए।

(4) स्वामियों को कर्मी दल द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर किसी भी संदेहजनक घटना जैसे कि पायरेसी या सशस्त्र डकैती की तत्काल कार्रवाई के लिए एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) या आईएफसी-आईओआर या एमआरसीसी को तुरंत सूचित करना चाहिए।

(5) जलयान का स्वामी इन नियमों के अधीन अपेक्षित सभी सुरक्षा उपस्कर प्रदान करेगा।

(6) स्वामी को आगे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह सीमा फीस अधिनियम, 1962 (1962 का 52), उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) और उसके अधीन बनाए गए सभी लागू नियमों का अनुपालन करे।

(7) टिंडल जलयान के सुरक्षित प्रचालन, कर्मी दल अनुशासन, निगरानी और सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन और किसी भी हताहत या दोष की तुरंत रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) टिंडल यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) (क्लास ए) हमेशा चालू रहे और समुद्र में प्रचालित रहे और यदि यह असाधारण परिस्थितियों के कारण निष्क्रिय हो जाता है, तो टिंडल एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) को सीधे या चलत जलयान संघ के माध्यम से या जलयान स्वामी के माध्यम से एक विधिमान्य कारण प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

(9) टिंडल जलदस्युता या सशस्त्र डकैती की घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा जारी समुद्रीय सुरक्षा परामर्शों का सख्ती से चलतन करेगा।

(10) जलयान के टिंडल और कर्मी दल समुद्रीय सुरक्षा खतरों की सूचना तुरंत देंगे, जिसमें जलदस्युता या सशस्त्र डकैती से संबंधित खतरे भी सम्मिलित हैं, और इस बारे में चलत जलयान फेडरेशन, एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) या आईएफसी-आईओआर या एमआरसीसी या यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

64. बीमा- (1) इस अध्याय के अधीन आने वाले जलयान का प्रत्येक स्वामी, जलयान के प्रचालन के दौरान, मृत्यु या व्यक्तिगत क्षति के विरूद्ध कर्मी दल के सदस्य के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए बीमा की नीति बनाए रखेगा, जो नियोजन से या उसके दौरान मृत्यू या व्यक्तिगत क्षति से विरूद्ध होती है, जिसमें सवार होना और उतरना सम्मिलित है।

(2) बीमा की नीति में प्रतिकार की रकम का संदाय किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम से कम नहीं होगी, जहां भी लागू हो।

(3) बीमा सम्मिलित में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) जलयान पर नियोजन के कारण कर्मी दल के सदस्य की मृत्यु;

(ख) नियोजन के दौरान हुई क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी कुल या आंशिक निःशक्तता ;

(ग) चिकित्सा देखरेख और व्यावसायिक क्षति या रुग्णता के लिए या पुनःनिरोग होने तक उपचार;

(घ) प्रत्यावर्तन, जिसमें यात्रा और निर्वाह व्यय सम्मिलित हैं जहां छुट्टी या उपचार गृह पत्तन से दूर होता है; और

(ङ) उपचार की अवधि के दौरान या उपयुक्तता या निःशक्तता की घोषणा तक, जैसा लागू हो, वेतन का संदाय या प्रतिपूर्ति।

(4) नीति द्वारा जारी किया जाएगा

(क) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत एक बीमाकर्ता; या

(ख) इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त एक पारस्परिक संरक्षण और क्षतिपूर्ति संघ या क्लब।

(5) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि बीमांकक द्वारा जारी बीमा प्रमाणपत्र जलयान पर रखा जाए और मांग पर पत्तन अनापत्ति देने के लिए उत्तरदायी किसी भी उचित अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

(6) कोई भी जलयान समुद्र में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि जलयान के पास अपने कर्मी दल के बीमा का विधिमान्य प्रमाण पत्र न हो और ऐसे विधिमान्य प्रमाण पत्र के कब्जे में नहीं पाया गया कोई भी जलयान कब्जे में लिया जा सकता है।

(7) महानिदेशक दिशानिर्देश जारी कर सकता है

(क) बीमा का न्यूनतम विस्तार और शर्तें;

(ख) मॉडल नीति प्रारूप

(ग) निरीक्षण और सर्वेक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रक्रियाएं; और

(घ) निरंतर क्षेत्र से परे या चौदह दिन से अधिक की जलयात्रा पर चलने वाले जलयानों के लिए अतिरिक्त कवरेज।

(8) जहां, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी के मृत्यु या व्यक्तिगत क्षति के संबंध में प्रतिकर देय है, जो नियोजन के दौरान या उसके परिणामस्वरूप हुई है, तब, यदि इस नियम के अनुसार ली गई बीमा नीति के अधीन देय रकम -

(क) ऐसी अन्य विधि के अधीन देय प्रतिकर के बराबर या उससे अधिक है, ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर देय नहीं होगा;

(b) यदि किसी अन्य विधि के अधीन देय प्रतिकर से कम है, तो ऐसे अन्य विधि के अधीन देय प्रतिकर को नीति के अधीन संदाय या देय रकम से कम कर दिया जाएगा।

65. **व्यापार की शर्तें**- पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तटीय व्यापार, विरासत, संरक्षण और परिरक्षण को संवर्धन करने के प्रयोजन से, महानिदेशक, आदेश द्वारा, कतिपय वस्तुओं को ले जाने के लिए, या भारतीय चलत जलयानों के माध्यम से, या तो साधारणतया या तटीय व्यापार के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में या विनिर्दिष्ट पत्तनों के बीच, या उन शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके अधीन ऐसा परिरक्षण किया जा सकता है, लोक हित में या चलत जलयानों के हित में हो।

परंतुक ऐसे परिवहन या ऐसी सेवाओं के प्रदर्शन की अनुज्ञा देते समय प्रचलित और मौसमी मौसम की स्थितियों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "तटीय व्यापार" पद का वही अर्थ होगा जो तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) के अधीन है।

अनुसूची 1

[नियम 5(3)(ख), 7(1) और 50(8) देखिए]

रजिस्ट्री का पत्तन

पत्तन का नाम	कोड अक्षर
1. कांडला	केडीएल
2. बेदी (जामनगर)	बी.डी.आई
3. मुंबई	मम
4. मोरमुगाओ	एमजीओ
5. मंगलौर	एमएनजी
6. कोच्चि	कोक
7. तूतीकोरिन	टीटीएन
8. हल्दिया	एचएलडी
9. पोर्ट ब्लेयर	पीबीएल

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

अनुसूची 2

[नियम 3(1)(ज), (त), 5(3), 9(1) और 22(3) देखिए]

टन भार का मापन और फ्रीबोर्ड की गणना

भाग -1

लकड़ी के चलत जलयानों के टन भार के अवधारण की पद्धति

I. सकल टन भार

जलयानों का सकल टन भार, जब पेटा स्पष्ट हो, तो पद्धति के अनुसार निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:

क. डेक जलयानों के लिए

1. लंबाई - टनभार डेक के ऊपरी किनारे के साथ एक सीधी रेखा में डेक जलयानों की लंबाई को जलयान की मध्य रेखा से इतनी समानांतर दूरी पर मापें कि कई डेकद्वार और अन्य बाधाएं जो स्वयं को प्रस्तुत कर सकती हैं, उन्हें साफ कर सकें।

.1 इस समानांतर रेखा के सिरों को आगे और पीछे दोनों के लिए नियत करने के पश्चात, जैसा सुविधाजनक हो, उन्हें डेक पर चिह्नित करें और उन्हें यथास्थिति, जलयान के मध्य रेखा पर स्टेम के अंदर तख्ता या लकड़ी के मध्य जलयान स्टर्न के अंदर तक अंतरित करें।

.2 डेक की मोटाई में धनुष के रेक के कारण जो कुछ भी है उसे इस लंबाई से घटा दें।

.3 इस प्रकार अपेक्षित लंबाई प्राप्त होती है।

.4 जहां डेकद्वार द्वारा बाधा के कारण, डेक-हाउस, आदि, लंबाई को एक माप में नहीं लिया जा सकता है, तो बाधाओं की संख्या के आधार पर इसे भागों में लिया जा सकता है और लंबाई प्राप्त करने के पश्चात में इन भागों को एक साथ जोड़ा जाएगा।

.5 नीचे दी गई सारणी में दिए गए अनुसार अपेक्षित बराबर भागों की संख्या में प्राप्त लंबाई को विभाजित करें

तालिका

(क)	जिस जलयान का टन भार डेक उपरोक्त माप के अनुसार पंद्रह मीटर लंबा या चार बराबर पदों में है।
(ख)	जिन जलयानों का टन भार डेक उपरोक्त माप के अनुसार लगभग पंद्रह मीटर लंबा है और छह समान भागों में साठ मीटर से अधिक नहीं है।

2. गहराई – मिडशिप क्षेत्र की गहराई टन भार डेक के नीचे से फर्श की लकड़ी के ऊपरी हिस्से तक ली जानी है, गहराई मापने वाली छड़ को पोत के मध्य स्थान के समानांतर रखना है और नौतल के ऊपरी हिस्से पर रखे गए एक वर्ग के माध्यम से नौतल से भी वर्ग करना है।

.1 अन्य क्षेत्रों में गहराई को भी इसी तरह से लिया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि नौतल या नौतल का भीतरी भाग ऊपर की ओर मुड़ता है।

3. चौड़ाई - ऊपर पैरा 2 के अनुसार किसी भी क्षेत्र की गहराई का पता लगाने के लिए अपेक्षित संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजन के बिंदु जिन पर चौड़ाई ली जानी है, उन्हें रॉड पर चिह्नित किया जाना है, और रॉड को अपनी मूल स्थिति में स्थिर किया जाता है, क्षेत्रों की चौड़ाई प्रत्येक बिंदु से, तख्ते से तख्ते तक, माप के संबंधित बिंदुओं के बीच इसकी औसत मोटाई तक या फ्रेम टिम्बर्स के अंदर क्षैतिज रूप से टेप को फैलाकर ली जानी है।

.1 जब एक बैटर या स्पार सीलिंग 75 मिलीमीटर से अधिक मोटाई से फिक्स्ड फिट किया जाता है, तो 75 मिलीमीटर को अधिकतम माना जाना चाहिए जिसके लिए क्षैतिज चौड़ाई को मापते समय अनुज्ञा दी जानी चाहिए, किंतु जब मोटाई इससे कम होती है, तो केवल वास्तविक मोटाई की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

4. अनुप्रस्थ क्षेत्र - पहले से ही पर्याप्त रूप से साफ किए गए पेटा को अपेक्षित गहराई और चौड़ाई को ठीक से स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से साफ किया जाता है, विभाजन के ऐसे बिंदु पर पोत के अनुप्रस्थ क्षेत्र में लंबाई और गहराई को विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर मापा जाता है।

.1 डेक में ब्रेक होने की स्थिति में, गहराई को नीचे या उसके निरंतरता में खींची गई लाइन के नीचे मापा जाना है।

.2 यदि लंबाई के मिडशिपडिवीजन में गहराई पांच मीटर से अधिक नहीं है, तो प्रत्येक गहराई को चार बराबर भागों में विभाजित करें और पांच बिंदुओं पर पैरा 3 में उल्लिखित अंदर की क्षैतिज चौड़ाई को मापें।

.3 मापने वाली छड़ की क्षैतिज स्लाइड के साथ अंदर की क्षैतिज चौड़ाई को मापें (भाग सी) जिसे विभाजन के बिंदुओं पर अंतरित किया जाना है और इन चौड़ाई को ऊपर से अंकन करके पांचवीं चौड़ाई तक गुणा करके ऊपर की चौड़ाई को एक से गिनें और चौथे को चार से गुणा करें, तीसरे को दो से गुणा करें इन उत्पादों को एक साथ जोड़ें और योग में पहली चौड़ाई और पांचवें को जोड़ें।

.4 इस प्रकार प्राप्त मात्रा को चौड़ाई के बीच गहराई के सामान्य अंतराल के एक तिहाई से गुणा करें, और उत्पाद को अनुप्रस्थ क्षेत्र समझा जाएगा।

5. क्षेत्रों से गणना- उपर्युक्त पैरा 1 में सारणी द्वारा यथापेक्षित जलयान की लंबाई के विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ क्षेत्र, सकल टन भार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित रीति में आगे बढ़ें, अर्थात्:

.1 क्षेत्र को क्रमशः 1, 2, 3 आदि संख्या दें, संख्या 1 धनुष पर चरम सीमा है और अंतिम संख्या स्टर्न की चरम सीमा पर है, तब दूसरे और प्रत्येक सम संख्या वाले क्षेत्र को चार से गुणा करें और विषम संख्या वाले क्षेत्र को दो से गुणा करें (पहले और अंतिम के सिवाय) और इन उत्पादों को एक साथ जोड़ें और योग में पहले और अंतिम को जोड़ें यदि उनका 1 का कोई मूल्य हो और इस प्रकार प्राप्त मात्रा को क्षेत्रों के बीच लंबाई के सामान्य अंतराल के एक तिहाई से गुणा करें, और उत्पाद स्थान की घन सामग्री होगी;

.2 इस उत्पाद को 2.83 से विभाजित करें और टन भार डेक के अधीन भागफल, इन नियमों के अधीन किसी भी परिवर्धन या कटौती के अधीन, जलयान का सकल टन भार समझा जाएगा।

6. यदि ऊपरी डेक पर स्थोरा या यात्रियों के आवास के लिए उपलब्ध स्थान में कोई ब्रेक, पूप या कोई अन्य स्थायी बंद है, तो उस स्थान के टन भार का पता निम्नलिखित रूप से लगाया जाएगा: - -

.1 स्थान की आंतरिक औसत लंबाई को मापें और इसे दो बराबर भागों में विभाजित करें;

.2 अपनी ऊंचाई के मध्य में तीन आंतरिक चौड़ाई को मापें, जैसे कि प्रत्येक छोर पर एक और दूसरी उसकी लंबाई के मध्य में, तब अंतिम चौड़ाई के योग में मध्य चौड़ाई का चार गुना जोड़ें और पूरी रकम को चौड़ाई के बीच सामान्य अंतराल के एक तिहाई से गुणा करें और उत्पाद से स्थान का माध्य क्षैतिज क्षेत्रफल मिलेगा;

.3 मध्य ऊंचाई को मापें, और मध्य क्षैतिज क्षेत्र से गुणा करें;

.4 उत्पाद को 2.83 से विभाजित करें और भागफल को स्थान का टन माना जाएगा।

7. मशीनरी स्थान का मापन-मशीनरी स्थान की औसत लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मापें, इन आयामों को एक साथ गुणा करें और उत्पाद को 2.83 से विभाजित करें और परिणाम को मशीनरी स्थान का टन समझा जाएगा।

ख. बिना डेक वाले जलयानों के लिए

1. बिना डेक वाले जलयानों का टन भार डेक वाले जलयानों के मामले में अवधारित किया जाएगा, सिवाय लंबाई और गहराई के माप के।

.1 जलयान की लंबाई ऊपरी मजबूत तख्ती के मिलन से लेकर जलयान के अग्र भाग और पिछले भाग तक मापी जानी चाहिए।

.2 गहराई को पैरा 1 के अधीन सारणी के अनुसार लंबाई के प्रत्येक विभाजन में सबसे ऊपरी मजबूत तख्ती के ऊपरी किनारे से मापा जाएगा।

जलयानों का सकल टन भार, जब जलयान का पेटा स्पष्ट नहीं है, तो पद्धति 2 के अनुसार अवधारित किया जाएगा:

1. डेक और खुले प्रकार के जलयानों दोनों के लिए, टन भार माप के लिए लंबाई को "रजिस्ट्रीकृत चौड़ाई" और "गहराई" से गुणा करें।

.1 उत्पाद को 2.83 से विभाजित करें और भागफल को 0.7 से गुणा करें। इस प्रकार प्राप्त परिणाम जलयान का टन भार होगा।

.2 सकल और शुद्ध टन भार प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य बंद स्थानों के लिए टन भार डेक गणना के अधीन पद्धति 1 की दशा में समान होगी।

2. शुद्ध टन भार

1. किसी जलयान का रजिस्ट्रीकृत या शुद्ध टन भार निम्नलिखित स्थानों के कारण पैरा 1 के उपबंधों के अनुसार अवधारित सकल टन भार से कटौतीयां करने के पश्चात प्राप्त किया जाएगा, परंतु कि वे सीमा में युक्तियुक्त हों, जैसे कि

(क) केवल कर्मी दल और उनके व्यक्तिगत सामान द्वारा अधिभाग किया गया स्थान;

(ख) जलयान के भंडार, कर्मी दल के उपबंध , ताजा पानी, चलत, रस्सियों और टैकल द्वारा कब्जा की गई जगह और जलयान के नौपरिवहन के लिए अपेक्षित स्थान;

(ग) और मशीनरी और फिटिंग के लिए जगह:

परंतुक किसी स्थान के कारण कटौतीययां नहीं की जाएंगी, जब तक कि इसे पहले सकल टन भार में सम्मिलित न किया गया हो।

किसी जलयान के टन भार का पता लगाने के प्रयोजन से सभी माप, मीटर और निकटतम सेंटीमीटर तक मीटर के अंशों में होंगे।

टिप्पण: किसी जलयान का टन भार माप प्रपत्र एसवीटी-1 में प्रविष्ट किया जाएगा।

भाग 2

फ्रीबोर्ड की गणना की पद्धति

अ. खुले प्रकार के जलयानों के लिए।

एफ=एल+15डी +17

आ. डेक्ड कोटिया, ब्रिक्स और डुंगियों के लिए

एफ=एल+7डी +8

इ. कोटिया, ब्रिगेडियर और डुंगी से भिन्न अन्य डेक जलयानों के लिए।

एफ=एल+8डी +7

जहाँ -

एफ = किनारे पर ऊपर से स्थायी गनवेल तक सेंटीमीटर में फ्री बोर्ड (खुली चलत जलयानों के लिए) या बीच में डिस्क के केंद्र तक किनारे पर डेक के शीर्ष पर।

एल = मीटर में फ्री बोर्ड के लिए लंबाई - 0.21के+ 0.8एलडी

एलएलके = बिंदुओं के बीच सीधे नौतल की लंबाई मीटर में जहां स्टेम और स्टर्न की रेखा (यदि अपेक्षित हो तो नीचे की ओर विस्तारित) की रेखा से मिलती है।

एलडी = जलयान की लंबाई जलयान के अग्रभाग से जलयान के पिछले भाग तक मीटर में डेक के स्तर पर केन्द्रलाइन पर मापी गई है, डेक जलयान के मामले में और खुले जलयान के मामले में जहां से स्थायी गनवेल स्तर की रेखा है, माप एक सीधी रेखा में लिया गया है।

डी = डेक वाले जलयानों में ऊपर से नौतल से ऊपर तक या खुले जलयानों में ऊपर के बोर्ड डेक के किनारे तक जलयान की गहराई मीटर में।

स्पष्टीकरण.- इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "फ्रीबोर्ड डेक" अभिव्यक्ति से डेक के मौसम वाले हिस्से पर सभी खुले स्थानों को बंद करने के स्थायी साधन वाला सबसे ऊपरी पूर्ण डेक अभिप्रेत है।

टिप्पण:

(1) जहां गहराई ""डी"" एल/6 से अधिक है, वास्तविक गहराई और एल/6 के बीच के अंतर को सुसंगत सूत्रों द्वारा प्राप्त मुक्त बोर्ड में जोड़ा जाएगा।

(2) उपर्युक्त फ्री बोर्ड खारे पानी में फ्री बोर्ड होगा, मीठे पानी में फ्री बोर्ड इकाई घनत्व के खारे पानी में फ्री बोर्ड से पांच सेंटीमीटर कम होगा।

(3) अंतिम फ्री बोर्ड को सौंपने वाले प्राधिकरण द्वारा वर्गीकरण, निर्माण, आयु और जलयान की अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई फ्री बोर्ड की रकम के साथ सौंपा जाएगा।

(4) डेक जलयान में डेकद्वार कोमिंग कम से कम 45 सेंटीमीटर ऊंची और पर्याप्त निर्माण की होनी चाहिए। डेकद्वार ओपनिंग के लिए सम्मिलित को वायुरुद्ध करने के साधनों के साथ कुशल होना चाहिए।

(5) 1 जनवरी, 1961 से पहले निर्मित चलत जलयान और विशेष रूप से चलत जलयान के किनारों में अस्थायी संरचनाओं द्वारा बंद खुलने वाले और एल/10 से कम गहराई वाले लॉग के परिवहन के लिए निर्मित पोतों को (ए) के सूत्रों द्वारा प्राप्त फ्री बोर्ड के 1/3 पर फ्री बोर्ड सौंपा जा सकता है, परंतुक (25डी + 30) सेमी से कम ऊंचाई वाली अस्थायी संरचना का निर्माण सर्वेक्षण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए कुशलतापूर्वक किया गया हो। जहां जलयान की गहराई एल/10 से अधिक है या किनारे पर अस्थायी संरचना की ऊंचाई (25डी + 30) से कम है या कुशल नहीं है, फ्रीबोर्ड बढ़ाया जा सकता है।

अनुसूची 3

[नियम 3(1)(घ) देखें]

(1) अरब सागर

(अ). मकरान तट के साथ अरब सागर और 10 जून से 15 अगस्त प्रतिकूल

ओखा (कच्छ की खाड़ी सहित) तक 16 अगस्त से 09 जून अनुकूल

गुजरात में

(आ) गुजरात, महाराष्ट्र में ओखा के दक्षिण में, 1 जून से 31 अगस्त तक

पश्चिमी अरब सागर के साथ कोंकण तट 01 सितंबर से 31 मई अनुकूल

(2) पश्चिमी भारत (कारवार के दक्षिण में) और 16 मई से 15 सितंबर तक प्रतिकूल

एडेन और बर्बेरा को जोड़ने वाली रेखा के रूप में पश्चिम 16 सितंबर से 15 मई अनुकूल

टिप्पण: फारस की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी का वह हिस्सा, जो अदन और बर्बेरा को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम में स्थित है, को स्थायी अनुकूल मौसम क्षेत्र का माना जाएगा।

(3) मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका तट 1 जनवरी से 15 अप्रैल अनुकूल

16 अप्रैल से 31 अगस्त तक प्रतिकूल

1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अनुकूल

1 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिकूल

(4) पाल्क बे 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक अनुकूल

1 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिकूल

(5) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश

(क) नागापट्टिनम से काकीनाडा तक 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक अनुकूल

15 अप्रैल से 31 जुलाई प्रतिकूल

1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक अनुकूल

16 अक्टूबर से 31 दिसंबर प्रतिकूल

(ख) 16 अप्रैल से गंजम तक 31 जुलाई तक प्रतिकूल

ओडिशा 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक अनुकूल

16 अक्टूबर से 15 नवंबर प्रतिकूल

16 नवंबर से 15 अप्रैल तक अनुकूल

(6) ओडिशा में गंजम, पश्चिम बंगाल, 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक प्रतिकूल

बांग्लादेश और म्यांमार में अराकान 16 अगस्त से 30 सितंबर अनुकूल

1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रतिकूल

16 नवंबर से 31 मार्च अनुकूल

(7) शेष म्यांमार और 1 मई से 31 अगस्त तक। प्रतिकूल

अंडमान और निकोबार 1 सितंबर से 30 अप्रैल अनुकूल

टिप्पण: उपरोक्त मौसमों के होते हुए भी, प्रतिकूल मौसम के दौरान जलयान प्रचालन (जहां अनुमति दी गई है) समय-समय पर महानिदेशक द्वारा जारी आदेश का सख्ती से अनुपालन करेगा।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

अनुसूची 4

[नियम 3(1)(छ) देखें]

पत्तन का नाम	कोड	जारीकर्ता प्राधिकरण
गुजरात		
बेदी (जामनगर)	बी.डी.आई	क्षेत्रीय अधिकारी (चलत)
मांडवी	एमएनवी	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र		
मुंबई	एमयूएम	क्षेत्रीय अधिकारी (चलत)
गोवा		
मोरमुगाओ	एमजीओ	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक		
मंगलौर	एमएनजी	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
कारवार	केडब्ल्यूआर	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
लक्षद्वीप		
लक्षद्वीप	यूटीएल	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
केरल		
कोझिकोड	सीएलटी	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
कोच्चि	सीएचएन	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
तमिलनाडु		
ट्यूटीकोरिन	टीटीएन	क्षेत्रीय अधिकारी (चलत)
नागपट्टिनम	एनजीएम	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार
अण्दमान और निकोबार		
पोर्टब्लेयर	पीबीएल	चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

अनुसूची 5

[नियम 21(1), (2), 23(4), 36(2), 51(1), 54(1) और 56 देखें]

फीस

1. रजिस्ट्रीकरण फीस

क्र.सं.	विवरण	रुपये में फीस
(1)	प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण	2 प्रति सकल टन
(2)	परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण	50
(3)	अंतरण रजिस्ट्री	100
(4)	स्वामित्व या ब्याज के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण	100
(5)	बंधक का रजिस्ट्रीकरण	50
(6)	जलयान का नाम बदलना	50
(7)	रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र या उसके अतिरिक्त	50
(8)	अनुलिपि या प्रमाणित प्रति या अतिरिक्त प्रति के लिए	50
(9)	अनुलिपि प्रमाणपत्र की रजिस्ट्री	50

2. टन भार मापन फीस

(1) टन भार अवधारित करने के लिए पहला मापन

क्र.सं.	जलयान श्रेणी	रुपये में फीस
(क)	50 टन सकल से कम	185
(ख)	50 टन सकल और उससे अधिक किंतु 100 टन सकल से कम	460
(ग)	100 टन सकल और उससे अधिक	740

(2) टन भार का पुनर्मापन

क्र.सं.	विवरण	रुपये में फीस
(क)	पुनर्मापन	उपरोक्त प्रथम मापन का आधा फीस

3. फ्रीबोर्ड और निरीक्षण फीस

(1) फ्रीबोर्ड का सौंपा जाना

सीआईएन सं।	विवरण	रुपये में फीस
(क)	फ्रीबोर्ड का सौंपा जाना	1110

4. निरीक्षण प्रमाण पत्र फीस

(1) इंजन से सुसज्जित नहीं होने वाले चलत जलयान को निरीक्षण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए

क्रं. सं.	जलयान श्रेणी	रुपये में फीस
(क)	50 टन सकल से अनधिक	100
(ख)	50 टन सकल और उससे अधिक किंतु 100 टन सकल से अनधिक	190
(ग)	100 टन सकल और उससे अधिक किंतु 150 टन सकल से अनधिक	280
(घ)	150 टन सकल और उससे अधिक	470

(2) इंजन फीस से सुसज्जित चलत जलयान को निरीक्षण प्रमाण पत्र का अनुदत्त किया जाना

क्रं.सं.	विवरण	रुपये में फीस
(क)	जलयान के निरीक्षण प्रमाण पत्र को अनुदत्त किए जाने के लिए	470
(ख)	इंजन के लिए अतिरिक्त फीस	100

(3) विशेष निरीक्षण फीस

क्र.सं.	प्रयोजन	रुपये में फीस
(क)	नियम 28(1) के प्रयोजन के लिए जलयानों के निरीक्षण हेतु	470
(ख)	नियम 28(2) के अधीन निरीक्षण और परीक्षण के प्रयोजन हेतु	470

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

(4) निरीक्षण प्रमाण पत्र फीस की अनुलिपि प्रति

क्रं. सं.	प्रयोजन	रुपये में फीस
(क)	निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनुलिपि प्रति के लिए	20

5. पहचान पत्र फीस जारी करना

क्र.सं.	विवरण	रुपये में फीस
(1)	नया पहचान पत्र जारी करने के लिए	50
(2)	एक अनुलिपि पहचान कार्ड जारी करना	40
(3)	पहचान पत्र का नवीकरण	50

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 6

[नियम 57(1)(ख) देखें]

सतत सारांश अभिलेख (सीएसआर)

दस्तावेज़ सं:नौमनि/सीएसआर/000-सं.

मशीनीकृत चलत जलयान के लिए

क्रमांक	जानकारी	
1	जलयान का नाम:	
2	रजिस्ट्रीकरण का पत्तन : शासकीय संख्या:	
3.	कॉल साइन/एमएमएसआई सं.	
4.	वर्तमान रजिस्ट्रीकृत स्वामी (स्वामियों) का नाम: रजिस्ट्रीकृत पता (पते):	
5.	पूर्ववर्ती स्वामी (ओं) का नाम पता:	
6.	प्रशासन/सरकारी/मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन जिसने जलयान सुरक्षा योजना जारी की:	
7.	टिप्पणियां	

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह अभिलेख सभी दृष्टियों से सही है।

महानिदेशक समुद्री प्रशासन, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया:

जारी करने का स्थान और तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम: .....

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 7

[नियम 40(1)(घ), (च)(झ), 41(1)(ग), नियम 42(1)(घ) देखें]

वहनीय अग्निशामक यंत्रों और अग्निशामक बाल्टी की न्यूनतम अपेक्षा

1. वहनीय अग्निशामक यंत्रों की अपेक्षित संख्या

किलोवाट में मुख्य इंजन की शक्ति	1. वहनीय अग्निशामक यंत्र की संख्या
150 तक	2
150 से ऊपर किंतु 300 से ऊपर नहीं	4
300 से ऊपर किंतु 450 से ऊपर नहीं	6
450 से ऊपर	7

2. अग्निशामक बाल्टी की अपेक्षित संख्या

जलयान टन भार	अग्निशामक बाल्टी की न्यूनतम संख्या
50 टन से कम	2 (जिनमें से एक में डोरी लगी होगी)
50 टन से अधिक किंतु 100 टन से अधिक नहीं	3 (जिनमें से दो में डोरी लगी होगी)
100 टन से अधिक	4 (जिनमें से दो में डोरी लगी होगी)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 8

[नियम 47(4) देखें]

भाग 1

आपातकालीन ड्रिल और प्रशिक्षण

1 ड्रिल

1.1 ड्रिल, जहां तक संभव हो, वास्तविक आपातकाल की तरह आयोजित की जाएगी।

1.2 प्रत्येक कर्मी दल के सदस्य को हर महीने कम से कम एक परित्याग जलयान ड्रिल और एक अग्नि ड्रिल में भाग लेगा।

.1 कर्मी दल के ड्रिल जलयान के पत्तन छोड़ने के 24 घंटों के भीतर होंगे यदि 25% से अधिक कर्मी दल ने पूर्वर्ती माह में परित्यक्त जलयान और उस विशेष जलयान के फलक पर आग के ड्रिल में भाग नहीं लिया है।

.2 जब कोई जलयान पहली बार सेवा में प्रवेश करता है, किसी प्रमुख विशेषता के संशोधन के पश्चात या जब एक नया दल लगा दिया जाता है, तो ये ड्रिल चलत से पहले आयोजित की जाएंगी।

.3 महानिदेशक उन जलयानों के वर्गों के लिए कम से कम समतुल्य अन्य व्यवस्थाओं को स्वीकार कर सकेगा, जिनके लिए यह अव्यावहारिक है।

1.3 संकीर्ण स्थान प्रवेश या बचाव जिम्मेदारियों वाले कर्मी दल के सदस्यों को कम से कम हर दो महीने में एक बार जलयान पर आयोजित संकीर्ण स्थान प्रवेश और बचाव ड्रिल में भाग लेंगे।

1.4 परित्यक्त जलयान ड्रिल

1.4.1 प्रत्येक परित्यक्त जलयान ड्रिल में निम्लिखित सम्मिलित होगा

.1 अलार्म के साथ मस्टर स्टेशनों पर कर्मी दल का आह्वान, उसके पश्चात सार्वजनिक संबोधन या अन्य संचार प्रणाली पर ड्रिल की घोषणा और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें जलयान को छोड़ने के आदेश के बारे में पता चल जाए;

2 स्टेशनों को रिपोर्ट करना और मस्टर सूची में वर्णित कर्तव्यों के लिए तैयारी करना;

.3 यह जांचना कि कर्मी दल उपयुक्त परिधान पहने हुए है;

.4 यह जांचना कि लाइफजैकेट सही ढंग से पहने गए हैं;

.5 जलावतरण के लिए किसी भी अपेक्षित तैयारी के पश्चात कम से कम एक रक्षा नौका को नीचे उतरना;

6.6 रक्षा नौका इंजन शुरू करना और प्रचालन करना;

.7 यात्रियों की उनके स्टेटरूम में फंसी हुई स्थिति में कृत्रिम खोज और बचाव; और

8.8 रेडियो जीवन रक्षक उपस्करों के उपयोग में निर्देश।

1.4.2 अलग-अलग रक्षा नौकाओं को यथासंभव पैरा 1.4.1.5 की अपेक्षाओं के अनुपालन में क्रमिक ड्रिल में उतारा जाना चाहिए।

1.4.3 1.4.4 और 1.4.5 में दिए गए उपबंधों के सिवाय, प्रत्येक रक्षा नौका को जलावतरण किया जाएगा, और उसके समनुदेशित प्रचालन दल द्वारा, परित्यक्त जलयान ड्रिल के दौरान, कम से कम हर तीन मास में एक बार पानी में चलाया जाएगा।

1.4.4 महानिदेशक छोटे अंतर्राष्ट्रीय जलयात्राओं पर चलने वाले पोतों को एक तरफ रक्षा नौकाओं को उतारने की अनुमति दे सकेगा, यदि पत्तन में उनके घाट पर लगने की व्यवस्था और उनके व्यापारिक स्वरूप के कारण उस तरफ रक्षा नौकाओं को उतारने की अनुमति नहीं देते हैं , परंतु ऐसी सभी रक्षा नौकाओं को कम से कम हर तीन महीने में एक बार उतारा जाए और कम से कम वर्ष में एक जलावतरण किया जाए।

1.4.5 जहां तक युक्तियुक्त और व्यवहार्य है, रक्षा नौकाओं से भिन्न अन्य बचाव नौकाओं को भी, जो बचाव नौकाएं भी हैं, उनके समनुदेशित कर्मी दल के साथ प्रत्येक महीने जलावतरणकिया जाएगा और कम से कम हर तीन महीने में एक बार पानी में चलाए जाएंगे।

1.4.6 यदि रक्षा नौका और बचाव नाव जलावतरण ड्रिल किए जाते हैं, तो ऐसे ड्रिलों, इसमें सम्मिलित खतरों के कारण, केवल आश्रय वाले पानी में और ऐसे ड्रिलों में अनुभवी अधिकारी की देखरेख में ही किए जाएंगे।

1.4.7 प्रत्येक परित्यक्त जलयान ड्रिल में एकत्र करने और परित्यक्त करने के लिए आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा।

1.5 अग्निशमन ड्रिल

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

1.5.1 अग्निशमन ड्रिल की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि जलयान और स्थोरा के प्रकार के आधार पर होने वाली विभिन्न आपात स्थितियों में नियमित ड्रिल पर सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए।

1.5.2 प्रत्येक अग्निशामक ड्रिल में सम्मिलित होगा—

.1 स्टेशनों को रिपोर्ट करना और मस्टर सूची में वर्णित कर्तव्यों के लिए तैयारी करना;

.2 अग्निशामक पंप की को आरंभ करना, प्रणाली के उचित कार्य व्यवस्था को दिखाने के लिए कम से कम पानी के दो अपेक्षित जेट का उपयोग करना;

.3 अग्निशामक मैन के पोशाक और अन्य व्यक्तिगत बचाव उपस्करों की जाँच;

.4 सुसंगत संचार उपस्करों की जाँच;

.5 ड्रिल क्षेत्र में वाटरटाइट दरवाजों, अग्निशामक दरवाजों, अग्निशामक डैम्पर्स और वेंटिलेशन सिस्टम के मुख्य इनलेट और आउटलेट के प्रचालन की जांच करना; और

.6 जलयान को पश्चात में छोड़ने के लिए अपेक्षित व्यवस्था की जाँच करना।

1.5.3 ड्रिल के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपस्कर को तुरंत अपनी पूरी प्रचालन स्थिति में वापस लाया जाएगा और ड्रिल के दौरान पायी गई किसी भी त्रुटि और दोष को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।

1.6 संकीर्ण जगह में प्रवेश और बचाव अभ्यास

1.6.1 संकीर्ण जगह में प्रवेश और बचाव ड्रिल सुरक्षित तरीके से नियोजित और आयोजित की जाएंगी।

1.6.2 प्रत्येक संकीर्ण स्थान प्रविष्टि और बचाव ड्रिल में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

.1 प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर की जाँच और उपयोग;

.2 संचार उपस्कर और प्रक्रियाओं की जाँच और उपयोग;

.3 संकीर्ण स्थानों में वातावरण को मापने के लिए उपस्करों की जाँच और उपयोग;

.4 बचाव उपस्करों और प्रक्रियाओं की जाँच और उपयोग; और

.5 प्राथमिक चिकित्सा और पुनर्जीवन तकनीकों में निर्देश।

2 जलयान के फलक पर प्रशिक्षण और निर्देश

2.1 जलयान के जीवन रक्षक उपस्करों के उपयोग में, जिसमें उत्तरजीविता क्राफ्ट उपस्कर भी सम्मिलित हैं, और जलयान के अग्निशामक उपस्करों के उपयोग में प्रशिक्षण यथासंभव शीघ्र दिया जाएगा, किंतु जलयान में एक कर्मी दल के सदस्य के सम्मिलित होने के दो सप्ताह से अधिक नहीं।

.1 तथापि, यदि कर्मी दल का सदस्य जलयान के किसी नियमित रूप से अवधारित चक्रानुक्रम समनुदेशन पर है, तो जलयान पर पहली बार सम्मिलित होने के समय से दो सप्ताह से अनधिक के पश्चात ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

.2 जलयान के अग्निशामक उपस्करों , जीवन रक्षक उपस्करों का उपयोग करने के लिए और समुद्र में जीवित रहने के लिए निर्देश ड्रिल के समान अंतराल पर दिए जाएंगे।

.3 व्यक्तिगत निर्देश जलयान के जीवन रक्षक और अग्निशामक उपस्करों के विभिन्न भागों को सम्मिलित कर सकेंगे , किंतु जलयान के सभी जीवन रक्षक और अग्निशामक उपस्करों को दो महीने की किसी भी अवधि के भीतर किया जाएगा।

2.2 प्रत्येक कर्मी दल के सदस्य को निर्देश दिए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु अपेक्षित रूप से इन तक सीमित नहीं होंगे

.1 जलयान के फुलाए जाने वाले रक्षा बेड़ो का प्रचालन और उपयोग;

.2 हाइपोथर्मिया की समस्याएं, हाइपोथर्मिया के लिए प्राथमिक उपचार और अन्य समुचित प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाएं;

.3 गंभीर मौसम और गंभीर समुद्री परिस्थितियों में जलयान के जीवन रक्षक उपस्करों के उपयोग के लिए अपेक्षित विशेष निर्देश;

.4 अग्निशामक उपस्करों का प्रचालन और उपयोग; और

.5 संकीर्ण स्थानों से जुड़े जोखिम और ऐसे स्थानों में सुरक्षित प्रवेश के लिए ऑन बोर्ड प्रक्रियाएं।

2.3 जलयान पर जीवन रक्षक बेड़ों के उपयोग में फलक पर प्रशिक्षण ऐसे उपस्करों से सुसज्जित प्रत्येक जलयान पर चार महीने से अनधिक के अंतराल पर होना चाहिए।

.1 जहां भी व्यवहार्य हो, ड्रिल में एक जीवन रक्षक बेड़ें का फुलाना और कम करना सम्मिलित होगा जो केवल प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत एक विशेष जीवन रक्षक बेड़ा हो सकेगा, जो जलयान

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

के जीवन रक्षक उपस्कर का हिस्सा नहीं है जीवन रक्षक और इस तरह के एक विशेष जीवन रक्षक बेड़े को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

3 अभिलेख

3.1 वह तारीख जब मस्टर्स आयोजित किए जाते हैं, परित्यक्त जलयान ड्रिल और अग्निशामक ड्रिल का विवरण , संकीर्ण जगह में प्रवेश और बचाव अभ्यास, अन्य जीवन रक्षक उपस्करों का ड्रिल और जलयान पर प्रशिक्षण को लॉग बुक में इस प्रकार अभिलेखित किया जाएगा जो कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

3.2 यदि नियत समय पर पूर्ण मस्टर, ड्रिल या प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किया जाता है, तो लॉग बुक में कथन करते हुए मस्टर, ड्रिल या प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की परिस्थितियों और विस्तार का उल्लेख किया जाएगा।

भाग 2

व्यक्तिगत जीवन रक्षक उपस्कर

(1) ऐसा प्रत्येक जलयान जीवन रक्षक उपस्कर संहिता में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप रक्षा नौकाएं बनाए रखेगा।

(2) प्रत्येक ऐसे जलयान पर ले जाने वाली न्यूनतम संख्या में जीवन रक्षक बोयाओं की निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात्: -

तालिका

जलयान की लंबाई (मीटर)	जीवन रक्षक बोयाओं की न्यूनतम संख्या
24 मीटर से कम	2
24 मीटर या उससे अधिक किंतु 60 मीटर से कम	4
60 मीटर और उससे अधिक	6

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(3) जीवन रक्षक बोया होंगे

(क) इस प्रकार वितरित किए जाएंगे कि वे जलयान के दोनों ओर आसानी से उपलब्ध हों और इस प्रकार रखे जाएंगे कि उन्हें आसानी से छोड़ा जा सके; और (ख) इन नियमों में नामनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप एक उत्प्लावक जीवन रेखा से सुसज्जित।

(4) इन नियमों में नामनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप कम से कम आधे जीवन रक्षक बोयाओं में स्वतः प्रकाशित लाइटें लगाई जानी चाहिए।

(5) साठ मीटर या उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक ऐसे जलयान में नौवहन पुल पर एक जीवन रक्षक बोया होना चाहिए जो इन नियमों में नामनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतः चलित धुएं के संकेत के साथ जारी किया जा सके।

(6) प्रत्येक ऐसा जलयान, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए उन व्यक्तियों की संख्या के बराबर जीवन रक्षक जैकेट रखेगा जिन्हें इसके द्वारा के जाना प्रमाणित है, और ऐसे जीवन रक्षक जैकेट को इस प्रकार रखा जाएगा कि वे आसानी से सुलभ हों और उनका अवस्थान स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक जलयान में, -

(क) टिंडल प्रत्येक व्यक्ति को आपातकाल की स्थिति में फलक पर अनुपालन किए जाने वाले स्पष्ट निर्देश उपलब्ध कराएगा;

(ख) कम से कम दो प्रमाणित व्यक्तियों को उत्तरजीविता क्राफ्ट का प्रभार लेने और अन्य अप्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता और प्रशिक्षण देने के लिए ले जाया जाएगा

(ग) कर्मी दल के प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीकियों पर अनुमोदित पाठ्यक्रम में उपस्थिति दर्शित करने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए

(घ) कर्मी दल को जलयान को परित्यक्त करने की प्रक्रिया और जीवन रक्षक उपस्करों के उपयोग का ड्रिल कम से कम प्रत्येक पंद्रह दिन में एक बार करेगा; और

(ङ) टिंडल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जीवन रक्षक उपस्कर चालू हालत में हों और जब जलयान पत्तन से रवाना हो तो और जल यात्रा के दौरान सभी समय तत्काल उपयोग के लिए तैयार रहें।

भाग 3

साठ मीटर से अधिक लंबाई वाले जलयानों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं

साठ मीटर से अधिक लंबाई का प्रत्येक जलयान

(क) या तो एक बचाव नाव या एक क्लास 'ग' नाव निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो, अर्थात्: -

(i) दृढ़ किनारों के साथ संनिर्मित एक खुली नाव;

(ii) ऐसा प्ररूप और समानुपात जिससे समुद्री मार्ग में पर्याप्त स्थिरता हो और ऐसे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके पूर्ण उपस्कर के साथ पूरी तरह से लोड होने पर फ्रीबोर्ड हो;

(iii) लंबाई में 4.3 मीटर से अन्यून और 5.5 मीटर से अनधिक हो;

(iv)यथासंभव नीचे स्थित थ्वार्ट्स और साइड सीटों के साथ सुसज्जित हो, और नीचे बोर्ड का उपबंध किया गया है; और

(v) आंतरिक उत्प्लावकता से सुसज्जित जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पूर्ण रूप से लोड होने पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित है, जिसमें तांबे, मुंट्ज़ धातु या अन्य समान रूप से उपयुक्त सामग्री से निर्मित एयर केस सम्मिलित हैं;

(ख) सभी व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कुल क्षमता के जीवन बेड़े को ले जाने के लिए प्रमाणित किया गया है;

(ग) एक उत्तरजीविता क्राफ्ट आपातकाल अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों का अनुपालन करने वाला स्थिति निर्देशक रेडियो बीकन, एक संरक्षित और आसानी से सुलभ स्थिति में रखा गया है और आपातकाल में किसी भी उत्तरजीविता क्राफ्ट में अंतरित करने में सक्षम है; और

(d) अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुपालन में एक शारीरिक रूप से प्रचालित लोकेटिंग डिवाइस, इस प्रकार रखा गया है कि इसे किसी भी उत्तरजीविता क्राफ्ट में आसानी से रखा जाएगा।

भाग 4

साठ मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए अपेक्षाएं

साठ मीटर से कम लंबाई के प्रत्येक जलयान में सभी व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कुल क्षमता के जीवन रक्षक होंगे, जो जलयान को ले जाने के लिए प्रमाणित किया गया है:

परंतुक चालीस मीटर से कम लंबाई का प्रत्येक ऐसा जलयान जीवन रक्षक बेड़े के बदले में 'ग' श्रेणी के नाव के नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नाव ले जाएगा।

भाग 5

मस्टर सूची और आपातकालीन अनुदेश

1. यह भाग सभी चलत जलयानों पर लागू होगा।

2. आपातकाल की स्थिति में चलतन किए जाने वाले स्पष्ट अनुदेश प्रत्येक व्यक्ति जलयान पर के लिए प्रदान किए जाएंगे।

3. इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली मस्टर सूचियाँ और आपातकालीन अनुदेश नौवहन पुल, इंजिन कमरें और कर्मी दल आवास स्थानों सहित पूरे जलयान में स्पष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

UNCOMPLICATE Simplifying compliance

अनुसूची 9

[नियम 60(ख) देखें]

भाग -1

समुद्रीय सुरक्षा घटना के दौरान चलतन की जाने वाली प्रक्रियाएं

1. दुनिया में कहीं भी समुद्री सुरक्षा की घटना होने की स्थिति में, एक समन्वित, प्रभावी और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, अर्थात्: - -

(क) निकटतम भारतीय नौसेना जलयान या किसी अन्य युद्धजलयान (या किसी भी भारतीय तटरक्षक जलयान) से वीएचएफ का उपयोग करके संपर्क करें, वर्तमान स्थान प्रदान करें, स्थिति का वर्णन करें, कार्रवाई के आशयित पाठ्यक्रम को संप्रेषित करें, और आगे मार्गदर्शन लें।

(ख) जलयान के स्वामी को सूचित करें, जो निम्नलिखित केंद्रों को तुरंत जानकारी देगा, अर्थात्: - -

(i) सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर);

(ii) समुद्री वाणिज्य डोमेन अवेयरनेस केन्द्र (एमएमडीएसी -डीजीकॉम केन्द्र);

(iii) यदि जलयान भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र (आई.एस.आर.आर.) के भीतर स्थित है तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एम.आर.सी.सी.) को भी सूचित किया जाना चाहिए।

(ग) एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) इसे सभी संबंधित अभिकरणो और हितधारकों को तुरंत रिले करेगा ताकि समन्वित प्रतिक्रिया और स्थितिजन्य जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।

(d) अनुज्ञेय परिस्थिति होने पर, जलयान के स्वामियों द्वारा एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

भाग 2

जलदस्युता या सशस्त्र डकैती के हमले के दौरान चलतन की जाने वाली प्रक्रियाएं

1. सभी मशीनीकृत चलत जलयान के स्वामी - -

(क) किसी भी जलदस्युता या सशस्त्र हमले या संदेहजनक घटना की सूचना एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) या आईएफसी-आईओआर या एमआरसीसी को तुरंत दें जैसे ही उसे जलयान के कर्मी दल से संचार प्राप्त होता है और उल्लिखित अभिकरणो में से पहला प्राप्तकर्ता अन्य अभिकरणो को जानकारी देगा;

(ख) प्रस्थान के पत्तन और कॉल के अगले पत्तन , जलयान पर फिट किए गए सुरक्षा और संचार उपस्कर और जलयान पर उपलब्ध ईंधन की मात्रा की सूचना दें

(ग) स्थोरा का विवरण , उनके नाम और पासपोर्ट विवरण के साथ कर्मी दल की संख्या और तस्वीरों के साथ एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) को प्रदान करें;

(घ) जलदस्युता या सशस्त्र डकैती की घटना की पुष्टि होने के पश्चात कर्मी दल के परिवारों को सूचित करें और उन्हें शांत रहने और अपराधियों की हिरासत से कर्मी दल की रिहाई के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त करें

(ङ) जलदस्यु द्वारा मांगी गई फिरौती और उनके साथ बातचीत की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा;

(च) अपहरण के पश्चात कर्मी दल की रिहाई और उन्हें रिहा करने की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्रदान करें

(छ) अपहरण से रिहा होने के पश्चात अपने बयानों और जानकारी के लिए सुरक्षा अभिकरणो और एमएमडी के सामने जलयान के कर्मी दल को पेश करें।

2. यांत्रिक चलत जलयान के सभी कर्मी दल -

(क) जलदस्युता या सशस्त्र डकैती हमले का संकेत देने वाले डीएटी को सक्रिय करेगा;

(ख) ऐसी स्थिति में कि किसी जलयान में सैटेलाइट फोन नहीं है, तो इस तरह के किसी भी हमले की सूचना को जलयान पर उपलब्ध एमएप/एचएफ ट्रांससीवर का उपयोग करके प्रसारित किया जाएगा और जलयान आपातकालीन संदेशों को रिले करने के लिए एक-दूसरे के साथ एचएफ रेडियो संपर्क स्थापित कर सकेगें (यदि अन्य जलयान वीएचएफ रेंज से बाहर है)।

(ग) यदि किसी जलयान पर जलदस्युता या सशस्त्र डकैती के हमले का संदेह है, तो जलयान तुरंत अपने स्वामियों को एमएप/एचएफ ट्रांससीवर के माध्यम से संकट संदेश रिले करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे:

(i) चलत जलयान का नाम

(ii) संपर्क चिह्न

(iii) जलयान की स्थिति

(iv) कोई अन्य सुसंगत जानकारी

3. संकट संदेश प्राप्त होने पर, जलयान स्वामी को तुरंत - -

(क) एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) या आईएफसी-आईओआर या एमआरसीसी को टेलीफोन द्वारा संदेश भेजेगें। उल्लिखित अभिकरणों में से पहली प्राप्तकर्ता अन्य अभिकरणो को जानकारी रिले करेगा।

(ख) अनुज्ञेय परिस्थितयों में, घटना के सभी सुसंगत विवरण के साथ एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) को और एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) को एक ईमेल भेजेगा

(i) संबंधित मंत्रालयों, सुरक्षा अभिकरणो और अन्य लागू हितधारकों को टेलीफोन या ईमेल सहित सबसे त्वरित संभव माध्यमों से तुरंत सूचित किय जाएगा।

(ii) वीएचएफ चैनल 16 का उपयोग करके निकटतम भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक जलयान या गठबंधन युद्धजलयान से संपर्क करें, वर्तमान स्थान प्रदान करें, स्थिति का वर्णन करें, कार्रवाई के आशयित पाठ्यक्रम को संप्रेषित करें, और आगे मार्गदर्शन लें।

4. जलयान का कर्मी दल—

(a) समुद्र में जलदस्युता या सशस्त्र डकैती का खतरा होने पर यथाशीघ्र जहाज़ के वर्तमान स्थान की सूचना तुरंत सेलिंग वेसल फेडरेशन या स्वामी या एमएमडीएसी (डीजीकॉम केन्द्र) या आईएफसी-आईओआर या एमआरसीसी को दी जाए

(b) जलदस्यु को स्वामी और संबंधित अधिकारियों से बात करने के लिए मनाने की कोशिश करें; और

(c) उन्हें हर संभव अवसर पर अपने बंधक स्थान के बारे में आस-पास के विदेशी या भारतीय अधिकारियों को सूचित करें। इसके लिए जलयान के टिंडल को एमएमडीएसी (डीजी कॉम केन्द्र), आईएफसी-आईओआर, एमआरसीसी और अगले पोर्ट ऑफ कॉल के पास भारतीय दूतावास, अगले पोर्ट ऑफ कॉल के पत्तन प्राधिकरण और जलदस्युता या सशस्त्र लुटेरों के मामलों से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण के संपर्क नंबर के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।

भाग 3

पाइरेसी या सशस्त्र डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

1. अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में, कोई जलयान निम्नलिखित सुरक्षा उपस्कर ले जा सकेगा, अर्थात्:

- -

(क) सामान्य अलार्म (सभी कर्मी दल के सदस्यों को सचेत करने के लिए);

(ख) खोज लाइट (गहरे अंधेरे में गश्त या खोज के लिए)

(ग) सीटी (कर्मी दल को सचेत करने के लिए);

2. यदि समुद्री यात्रा करने या ज्ञात जलदस्युता या सशस्त्र डकैती वाले क्षेत्रों में पारगमन करने की संभावना है, तो जलयान के टिंडल को अंतर्राष्ट्रीय सिफारिश किए गए पारगमन गलियारे (आईआरसीटीसी) या समान पारगमन गलियारों को सुनिश्चित करेगा और जो जलयान ऐसे कन्वाय का उपयोग कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संग्रह या शुरुआती बिंदु पर प्रतीक्षा करें और कन्वाय की शुरुआत में अन्य पोतों के साथ शुरू करें।

3. संदेहजनक जलदस्युता या सशस्त्र डकैती वाले क्षेत्रों में, टिंडल यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान के कर्मी दल द्वारा आसपास निरंतर निगरानी रखी जाए और किसी भी संदेहजनक गतिविधि की सूचना तुरंत टिंडल को दी जाए, जो जलयान और कर्मी दल की सुरक्षा के लिए सभी उचित सुरक्षा उपाय करेगा।

4. अंधेरे घंटों के दौरान, यदि कोई संदेहजनक गतिविधि देखी जाती है, तो जलयान के कर्मी दल को गतिविधि की बारीकी से मॉनीटरी करेगा और --

(क) तत्काल क्षेत्र में रोशनी करने के लिए उच्च बीम वाले टॉर्च चालू करें;

(ख) सीटी या संचार के अन्य प्रभावी साधनों का उपयोग करके सभी कर्मी दल के सदस्यों को सचेत करें;

(ग) सुनिश्चित किया जाएगा कि जलयान का सतर्कता की उच्च स्थिति में बना रहना किसी संदेहजनक नावों को अनधिकृत बोर्डिंग का प्रयास करने से रोकने के लिए है।

अनुसूची 10

[नियम 61(2) देखें]

यांत्रिक चलत जलयान के लिए शासकीय लॉगबुक

जलयान का नाम		

टिंडल के नाम	आईडी सं.	पासपोर्ट सं.

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता

वह तारीख और स्थान जिस पर लॉग बुक खोली गई	वह तारीख और स्थान जिस पर लॉगबुक बंद हुई

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर/मुहर (लॉग बुक शुरू होने के समय)	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर/मुहर (लॉग बुक बंद करने के समय)

टिप्पण: - अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में लगे प्रत्येक चलत जलयान से अपेक्षित होगा कि वह एक आधिकारिक लॉग बुक बनाए रखें।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

विषयवस्तु

खण्ड 1

चलत जलयान में कार्यरत नाविकों के अभिलेख

खण्ड 2

यात्रा विवरण और प्रस्थान चेक

खण्ड 3

सार खंड

टिप्पण:

पृष्ठ संख्या - इन्हें अनुभाग के अनुसार क्रमांकित किया जाता है और प्रत्येक पृष्ठ पर अभिलिखित किया जाएगा। इस समय उन्हें टिंडल और कर्मी दल द्वारा उस तारीख को भी हस्ताक्षर किया जाएगा, जिस दिन पृष्ठ शुरू किया गया है यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि पिछला पृष्ठ पूर्ण हो गया है। अपेक्षानुसार अतिरिक्त पृष्ठों को प्रिंट और सम्मिलित किया जाएगा।

अनुभाग 1

नौका पर नियोजित नाविकों का विवरण

चालक दल की सूची में संदर्भ संख्या	नावक का नाम (बड़े अक्षरों का प्रयोग करें)	कस पद पर नियोजित	यदि प्रवष्टि ववरणात्मक अनुभाग में की गई है, तो संबं धत पृष्ठ संख्या दें

इस पृष्ठ को प्रारंभ करने की तारीख अनुभाग 1 पृष्ठ

टिंडल के हस्ताक्षर

चालक दल के हस्ताक्षर

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुभाग 2

यात्रा का विवरण और प्रस्थानपूर्व जांच

प्रस्थान की तारीख और समय	स्थान	फ्रीबोर्ड स्वीकार्य है	उपकरणों का परीक्षण किया गया	आगमन की तारीख और समय	स्थान

इस पृष्ठ को प्रारंभ करने की तारीख

अनुभाग 2 पृष्ठ

टिंडल के हस्ताक्षर

चालक दल के हस्ताक्षर

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुभाग 3

आधिकारिक लॉग-पुस्तिका

घटना की तारीख और समय	समुद्र में घटना स्थित से खटित होने का स्थान, क्षांश और देशांतर के अनुसार	प्रविष्टि की तारीख	विवरणात्मक प्रविष्टि

इस पृष्ठ को प्रारंभ करने की तारीख

अनुभाग 3 पृष्ठ

टिंडल के हस्ताक्षर

चालक दल के हस्ताक्षर

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

अनुसूची 11

[नियम 63(2) देखें]

अनुपालन और स्वामियों के वचनबंध का विवरण

मैं/हम_____ निवासी .....चलत जलयान.....का/के स्वामी, जिसका/जिनका स्थायी व्यावसायिक प्रतिष्ठान.....में स्थित है, एतद्वारा निम्नलिखित कथन करता/करतें हैं।

1. मैं/हम..... भारत के नागरिक है/हैं (पासपोर्ट की प्रति संलग्न है)

2. मैं/हम.....चलत जलयान का एकमात्र स्वामी (स्वामी) है/हैं

नाम: _____ रजिस्ट्रीकरण संख्या: ____

जिनका विवरण इस प्रकार है:

मुख्य आयाम:

लंबाई: _____मीटर

चौड़ाई: _____मीटर

गहराई: _____ मीटर

सकल टन भार: __ ___

नेट टन भार: _____

निरीक्षण प्रमाण पत्र की तारीख: _____

निरीक्षण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख: _____

3. यह चलत जलयान मेरे/हमारे नाम पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 यथासंशोधित, के अधीन भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार_____ के पास रजिस्ट्रीकृत है और निरीक्षण के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में लागू उपबंधों के अधीन, मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि यदि निरीक्षण के प्रमाण पत्र की समाप्ति से 24 महीनों के भीतर चलत जलयान किसी भारतीय पत्तन पर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में मैं/हम, चलत जलयान के स्वामी के रूप में जलयान विदेशी पत्तन पर निरीक्षण कराए जाने हेतु प्रस्तुत करेगें। ऐसा न किए जाने की दशा में निरीक्षण प्रमाण पत्र को समाप्त माना जाएगा।

उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा .....20.....के .....वे दिन भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार की उपस्थिति में, यह दस्तावेज़ निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया है।

(स्वामी के हस्ताक्षर) (रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची 12

[नियम 3(1)(ङ) देखें]

प्ररूप एसवीआर 1 - : चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्ररूप एसवीआर 2- : स्वामित्व की घोषणा

प्ररूप एसवीआर 3- : कंपनी द्वारा स्वामित्व की घोषणा

प्ररूप एसवीआर 4- : चलत जलयान का रजिस्टर

प्ररूप एसवीआर 5- एक चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

प्ररूप एसवीआर 6- : परिवर्तनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

प्ररूप एसवीआर 7- : रजिस्ट्री के पत्तन के अंतरण के लिए आवेदन

प्ररूप एसवीआर 8- : व्यक्तिगत बंधक का साधन

प्ररूप एसवीआर 9- : कंपनी द्वारा बंधक का साधन

प्ररूप एसवीआर 10- : रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र

प्ररूप एसवीटी 1- : टन भार

प्ररूप एसवीआईसी - 1: निरीक्षण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

प्ररूप एसवीआईसी - 2: दोष सूची

प्ररूप एसवीआईसी - 3 : निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रारूप

प्ररूप एसवीआईसी - 4: चलत जलयानों के निरीक्षण प्रमाण पत्र की अधिवार्षिक विवरणी

प्रपत्र -क : टिंडल परमिट/पहचान पत्र के लिए आवेदन

प्ररूप ख- : पहचान-पत्र/टिंडल परमिट का प्रारूप

प्रपत्र ग- : पहचान पत्रों का मासिक विवरणी

प्रपत्र घ- पत्र/टिंडल परमिट का रजिस्टर

प्रपत्र ङ- रजिस्ट्रार के पास कर्मी का विवरण

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

एसवीआर प्ररूप 1

[नियम 5(1) देखें]

चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार,

____का पत्तन

महोदय,

मैं/हम _____ चलत जलयान जिसका नाम..... है, के स्वामी हैं, इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उक्त जलयान को मेरे/हमारे नाम/नामों में रजिस्ट्रीकृत किया जाए, और मुझे/हमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

2. उक्त जलयान के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैः

(i) स्वामी का नाम और पूरा पता:

(ii) उपजीविका:

(iii) जलयान कब, कहां और कैसे सुरक्षित किया गया:

(iv) निर्माण का स्थान और वर्ष: (यदि कोई हो तो निर्माता के नाम और पते के साथ)।

(v) जलयान का प्रकार; क्या सहायक इंजन के साथ खुला/सेमी-डेक/फिट किया है;

(vi) निर्माताओं के नाम के साथ इंजन का विवरण और प्रकार, पूर्ण भारित स्थिति में अश्व शक्ति और गति:

(vii) नियोजन की प्रकृति;

(viii) रजिस्ट्रीकृत पत्तन और शासकीय संख्या यदि पहले रजिस्ट्रीकृत है:

(ix) क्या जलयान पर कोई पूर्व बंधक है, यदि हां, तो उसके विवरण ।

स्थान

तारीख _____

स्वामी के हस्ताक्षर या एल.टी.आई

एसवीआर प्ररूप 2

[नियम 5(2)(क) देखें]

स्वामित्व की घोषणा

मैं/हम..... अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम _____का स्थायी निवासी हूँ/हैं, जिसका/जिनका मुख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान.....में स्थित है और _____ नामक चलत जलयान , जिसका विवरण नीचे दिया गया है, ...में वर्ष _____ में निर्मित किया गया था। और मेरे/हमारे द्वारा..... रुपये की रकम में खरीदा गया था। मेरे/हमारे द्वारा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और इसका पुनर्निरामान किया गया था, मुझे/हमें.....से विरासत में प्राप्त हुआ था, जिसका नाम उक्त जलयान के स्वामी के रूप में रजिस्टर में अभिलिखित है और जिसकी मृत्यु _____में तारीख को हुई थी और यह कि मै/हम उक्त जलयान का एकमात्र स्वामी(स्वामीगण) है/हैं और यह कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई हित, विधिक या लाभकारी, अधिकार, संपत्ति का हिस्सा या उसके लिए कोई स्वत्व उक्त जलयान या उसके संबंध में नहीं है। और मै/हम यह सत्यनिष्ठा घोषणा, इस विश्वास के साथ करता/करते हूँ/हैं कि उक्त कथन सत्य हैं।

जलयान का विवरण

शासकीय संख्या..... तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन ____

रजिस्ट्रीकृत आयाम: लंबाई_____ चौड़ाई..... गहराई _____

सकल टन भार_____ रजिस्ट्रीकृत टन भार

क्यूबिक मीटर _____ क्यूबिक मीटर _____

मेरे समक्ष इस दिन _____ 20 _____ को घोषित किया गया

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

पदनाम के लिए और की ओर से

कार्यालय की मुहर कंपनी लिमिटेड।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

एसवीआर प्ररूप 3

[नियम 5(2)(क) देखें]

स्वामित्व की घोषणा

कंपनी द्वारा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, स्थायी रूप से _____ का निवासी और अभिकरण/दायित्व का विधिवत प्राधिकृत एटौर्नी हूं, और _____ कंपनी लिमिटेड, एतद्वारा निम्नानुसार घोषणा करता हूं: - -

उक्त कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ____ पर रजिस्ट्रीकृत थी और इसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान _____ है जहां सभी महत्वपूर्ण व्यवसाय नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते हैं। उक्त कंपनी ने अधिनियम की धारा 15 के खंड (ख) की अपेक्षाओं को पूरा किया है, और _____ नामक चलत जलयान की एकमात्र स्वामी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उक्त जलयान का निर्माण .....पर ____ में हुआ और उक्त कंपनी द्वारा .....रुपये की रकम में खरीदी गया था।/उक्त कंपनी द्वारा भौतिक रूप से परिवर्तित और पुनर्निर्मित किया गया था।

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की उक्त जलयान में कोई रुचि, विधिक या लाभकारी, अधिकार, हक, हिस्सा या संपत्ति नहीं है और मै/हम यह सत्यनिष्ठा घोषणा, इस विश्वास के साथ करता/करते हूँ/हैं कि उक्त कथन सत्य हैं।

जलयान का विवरण

शासकीय संख्या, तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन ____

रजिस्ट्रीकृत आयाम: लंबाई_____ चौड़ाई_____ गहराई _____

सकल टन भार_____ रजिस्ट्रीकृत टन भार

क्यूबिक मीटर _____ क्यूबिक मीटर_____

मेरे समक्ष इस दिन _____ 20 _____को घोषित किया गया

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर

के लिए और की ओर से

कंपनी लिमिटेड।

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

एसवीआर प्ररूप 4

[नियम 9(1) देखें]

चलत जलयान का रजिस्टर

शासकीय संख्या_____ जलयान का नाम____

रजिस्ट्री की तारीख और पत्तन ____।

स्वामी (स्वामियों) की विशिष्टियां

स्वामी(कों) का नाम प्रधान का स्थायी निवास/ पेशेवर व्यवसाय का स्थान प्रत्येक का शेयर

जलयान का विवरण

(क) प्रकार, अर्थात चाहे खुला, डेक या अर्ध-डेक_____

(ख) निर्मिति और सामग्री_____

(ग) हल-काष्ठ का या संयुक्त_____

(घ) निर्माण का स्थान और वर्ष

(ङ) निर्माता का नाम और पता

(च) मस्तुल की संख्या

(छ) बल्कहेड की संख्या_____

(ज) होल्ड की संख्या

(झ) रिगु

टन भार के आयाम और विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकृत आयाम

(क) लंबाई _____ (ख) चौड़ाई _____ _____(ग) गहराई_

(क)सकल टनभार..... (ख) रजिस्टर टनभार _____

घन मीटर घन मीटर

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

सहायक इंजन (इंजनों) का विशिष्टियां

(क) इंजन (इंजनों ओं) का प्रकार, निर्माण और नाम_____

(ख) निर्माण का वर्ष

(ग) निर्माता का नाम और पता

(घ) सिलेंडर की संख्या और व्यास

(ङ) स्ट्रोक की लंबाई

(च) ब्रेक हॉर्स पावर

(छ) आरपीएम

(ज) गति:- (i) पूर्ण भारत पर_____ (ii) हल्की दशा में_____

चालक दल की विशिष्टियां

अनुकूल मौसम प्रतिकूल मौसम

(क) डेक कर्मी .....

.....

(ख) इंजिन कर्मी..... .....

बंधक , मृत्यु, दिवालियापन आदि के कारण हित अंतरण द्वरा बंधक, विक्रय और अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियां_

संव्यवहार की संख्या और तारीख, जिस व्यक्ति से हक व्युत्पन्न हुआ उसका नाम,

बंधक के रजिस्ट्री के घंटे और तारीख, बंधक आदि की प्रकृति

1	2	3	4

जैसे हित से प्रभावित हित की सीमा, उन्मोचन आदि और टिप्पणियां

अंतरिती, बंधकदार या हित या हक/ अर्जित करने वाले अन्य व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय।

बंधक आदि की तारीख और समय।

टिप्पणियाँ _____

5	6	7	8

चलत जलयान का रजिस्ट्रार

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

एसवीआर प्ररूप 5

चलत जलयान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

[नियम 7(2) देखें]

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....,.....का/के एकमात्र स्वामी है/हैं, में ह घोषित किया है कि.....नायक उक्त जलयान, जिसकी पहचान संबंधी विशिष्टियां विधिवत रजिस्ट्रीकृत कर दी गी हैं, के वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन .....पत्तन पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

मेरे हस्ताङर से आज तारीख.....मास.....,20.....को प्रमाणित।

जलयान का विवरण

शासकीय संख्या रजिस्ट्री का पत्तन

रजिस्ट्रीकृत आयाम

लंबाई

चौड़ाई

गहराई

सकल टन भार (घन मीटर)

इंजन कक्ष स्थान के कारण कटौतियां

रजिस्ट्री टन भार (घन मीटर) रजिस्टर करें

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

.....का पत्तन

पाद टिप्पण:

(i) यह प्रमाण पत्र प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) जब तक यह प्रमाण पत्र लागू हो, तो जलयान का नाम और अन्य चिह्नों को हटाया या विकपिते नहीं किए जाएंगें।

(iii) यदि जलयान खो जाता है, टूट जाता है या सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो यह प्रमाण पत्र चलत जलयान के रजिस्ट्री के पत्तन पर रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

एसवीआर प्ररूप 6

[नियम 12(1) देखें]

परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

.....का पत्तन

महोदय,

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी..... नामक चलत जलयान के स्वामी के रूप में शासकीय संख्या _____ द्वारा रिपोर्ट करता/करते हैं कि _____ पर जलयान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

मै/हम इसलिए अनुरोध है कि इन परिवर्तनों को कृपया रजिस्ट्रीकृत किया जाए और विहित फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

जलयान का विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इसके साथ लौटाया जाता है।

स्वामी (स्वामियों) के हस्ताक्षर

_____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

एसवीआर प्ररूप 7

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्री के पत्तन के अंतरण के लिए आवेदन

सेवा में

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

.....का पत्तन

महोदय,

मै/हम ..... नामक चलत जलयान के स्वामी/स्वामियों के रूप में, आधिकारिक संख्या ..... ,जो आपके पत्तन पर रजिस्ट्रीकृत है, इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उक्त जलयान का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से पत्तन को अंतरित की जाए:-

2. उक्त जलयान को ..... के पक्ष में बंधक रखा गया है जिसे आपके द्वारा रखे गए रजिस्टर से सत्यापित किया जा सकता है और बंधकदार को प्रस्तावित अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में, उनके पत्र में पत्तन की रजिस्ट्री.....में अंतरित करने पर सहमति व्यक्त करने वाला उसका/उनका तारीख..... का पत्र, आपके अभिलेख के लिए मूल रूप में संलग्न है

आपका विश्वासी,

एसवीआर प्ररूप 8

[नियम 18(1) देखें]

बंधक संलेख

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी....., रुपये..... की रकम के प्रतिफल में, जो आज के दिन मेरे/हमारे द्वारा....., जो स्थायी रूप से निवासी है/हैं अथवा जिसका/जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल..... है, से उधार ली गई है, अपने/अपने-अपने तथा अपने/हमारे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों की ओर से उक्त..... के साथ यह वचनबद्धता करता/करते हूँ/हैं कि, प्रथम, मैं/हम और/या मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक या प्रशासक उक्त..... को उक्त रुपये..... की रकम , जिस पर ..... प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, ...20 के ..... दिन को संदाय करूँगा/करेंगे; और द्वितीय, यदि उक्त मूलधन रकम का संदाय उक्त दिन को नहीं किया जाता है, तो मैं/हम अथवा मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक या प्रशासक, जब तक उक्त रकम या उसका कोई भाग अवैतनिक रहता है, तब तक उक्त..... को उस समय अवैतनिक रहने वाली पूरी रकम या उसके ऐसे भाग पर ..... प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, प्रत्येक वर्ष के ..... दिन ..... तथा ..... दिन ..... को समान अर्धवार्षिक किस्तों में संदाय /करूँगा/करेंगे; और उक्त..... को उक्त मूलधन रकम तथा ब्याज का पूर्वोक्त रीति से संदाय अधिक सुरक्षित करने के लिए, मैं/हम एतद्वारा उक्त..... के पक्ष में ..... नामक, शासकीय संख्या....., रजिस्ट्रीकरण का बंदरगाह..... वाली नौकायन जलयान , उसके सभी नौकाओं, उपसाधनों आदि सहित, बंधक रखता/रखते हूँ/हैं।

अंत में, मैं/हम, अपने/अपने-अपने तथा अपने/हमारे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों की ओर से उक्त..... तथा उसके/उनके समनुदेशितियों के साथ यह वचनबद्धता करता/करते हूँ/हैं कि मुझे/हमें उक्त जलयान को पूर्वोक्त रीति से बंधक रखने का अधिकार प्राप्त है और उक्त जलयान , उक्त जलयान के रजिस्टर में दर्शाए गए भारों के सिवाय, सभी भारों से मुक्त है।

इसके साक्ष्य में, हमने.....20..... के ..... दिन को अपने नाम/नामों तथा सामान्य मुहर सहित हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर

पदनाम.....

कार्यालय की मुहर.....

लिखित प्रतिभूति के निर्वहन के रूप में रुपये..... की रकम तारीख.....20.... को प्राप्त हुई।

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर

बंधकदार

पदनाम _____।

कार्यालय की मुहर _____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

एसवीआर प्ररूप 9

[नियम 18(1) देखें]

बंधक संलेख

(कंपनी/सहकारी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है)

हम,..... कंपनी, लिमिटेड/सहकारी समिति, जिसका/जिसकी मुख्य व्यवसाय स्थल..... है, रुपये..... की उस रकम के प्रतिफल में, जो आज के दिन हमारे द्वारा..... से उधार ली गई है, जो स्थायी रूप से निवासी है/हैं अथवा जिसका/जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल..... है, अपने/अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त..... तथा उसके/उनके/उसके समनुदेशितियों के साथ यह वचनबद्धता करते हैं कि, प्रथम, हम/हमारे उत्तराधिकारी उक्त..... को अथवा उसके/उनके समनुदेशितियों को उक्त रुपये..... की रकम , जिस पर ..... प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, ...20..... के ..... दिन को संदाय करेंगे; द्वितीय, यदि उक्त मूलधन रकम का संदाय उसी दिन नहीं किया जाता है, तो हम या हमारे उत्तराधिकारी, जब तक उक्त रकम या उसका कोई भाग अवैतनिक रहता है, उक्त..... को उस समय अवैतनिक रहने वाली पूरी रकम या उसके ऐसे भाग पर ..... प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, प्रत्येक वर्ष के ..... दिन ..... तथा ..... दिन ..... को समान अर्धवार्षिक भुगतानों में करेंगे; और उक्त..... को उक्त मूलधन रकम तथा ब्याज का पूर्वोक्त रीति से संदाय अधिक सुरक्षित करने के लिए, हम उक्त..... के पक्ष में ..... नामक, शासकीय संख्या..... और रजिस्ट्रीकरण का बंदरगाह..... वाली नौकायन जलयान , उसकी सभी नौकाओं तथा अन्य उपसाधनों आदि सहित, बंधक रखते हैं।

अंत में, हम अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त..... तथा उसके/उसके समनुदेशितियों के साथ यह वचनबद्धता करते हैं कि हमें उक्त जलयान को उसकी सभी नौकाओं तथा उपसाधनों आदि सहित बंधक रखने का अधिकार प्राप्त है और उक्त जलयान , उक्त जलयान के रजिस्टर में दर्शाए गए भारों के सिवाय, सभी भारों से मुक्त है।

इसके साक्ष्य में, हमने.....20..... के ..... दिन को अपने नाम/नामों तथा सामान्य मुहर सहित हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर

पदनाम..... की ओर से और के लिए

कार्यालय की मुहर..... कंपनी लिमिटेड

कंपनी की मुहर/समिति की मुहर

लिखित प्रतिभूति के निर्वहन के रूप में रुपये..... की रकम तारीख.....20.... को प्राप्त हुई।

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर

बंधकदार(यों)

पदनाम.....

कार्यालय की मुहर.....

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

एसवीआर प्ररूप 10

[नियम 8(1) देखें]

रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... नामक नौकायन जलयान , शासकीय संख्या ....., ... टन का, जो ..... का है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने तक प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है।

अनंतिम प्रमाणपत्र तीन माह की अवधि तक अथवा जलयान को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगा।

_____का पत्तन।

तारीख.....

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

UNCOMPLYCAFE Simplifying compliance

एसवीटी-1

(अनुसूची 2, भाग 1 देखें)

टनभार प्ररूप

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025, (2025 का 24)

के अधीन चलत जलयान के टन भार की गणना के लिए उपयोग किया जाना है

1	2	3	4	5	6
जलयान का नाम	स्वामी का नाम और पता	निर्माण की तारीख और स्थान	शासकीय संख्या और राष्ट्रीयता के रजिस्ट्री का पत्तन	नया या पुनः बीमाकृत	पाल चालित या यांत्रिक रूप से चालित

क्षेत्र1	क्षेत्र2	क्षेत्र3	क्षेत्र4	क्षेत्र5	क्षेत्र6

गहराई

संख्या गुणक चौड़ाई गुणनफल चौड़ाई गुणनफल चौड़ाई गुणनफल चौड़ाई गुणनफल चौड़ाई

---

1 1

---

2 4

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3 2

4 4

5 1

1/3 चौड़ाई के बीच सामान्य अंतराल

7	8	9	10	11	12
लकड़ी , लोहा या स्टील का समग्र प्रकार	नीचे फ्रेमिंग के प्रकार	आशयित सेवा रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र	_____यात्री/ स्थोरा / मछली पकड़ना	लंबाई चौड़ाई	गहराई

क्षेत्र 7 घनफल और डेक के नीचे का टन भार घन सामग्री और अंडरडेक टन भार टन भार की लंबाई

डेक टनभार की

लंबाई_____

_____ घन मी. अंतराल

मध्य क्षेत्र

चौड़ाई उत्पाद चौड़ाई उत्पाद चौड़ाई उत्पाद संख्या गुणनफल क्षेत्रों की संख्या गुणक क्षेत्र गुणनफल

1 1

2 4

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

3 2

4 4

_____5_____1___

1/3 चौड़ाई के बीच सामान्य अंतराल

सभी माप मीटर में तथा मीटर के अंश में अभिलिखित किए जाएँ।

ब्रेक और इरेक्शन जैसे पूप आदि।	मशीनरी स्थान	टन भार का विवरण औसत लंबाई (1)..... . टन
मध्य गहराई (1)....और	मध्य गहराई (1)....	डेक के अंदर फोरकासल
चौड़ाई, बी.....; बी..... बी	मध्य लंबाई (1).... मध्य चौड़ाई (बी)....	ब्रिज ब्रेक पूप
1 2 3	मध्य गहराई (डी) टनभा एक्सबीएक्सडी ब्रेक 2.83	
मध्य गहराई (डी) क्षैतिज क्षेत्र (ए): 1/3 (1 बी + बी + बी) 1 2 3 2	------घन मीटर सकल टन भार मशीनरी स्थान और 2.83 फिटिंग कर्मी स्पेस----- के लिए भत्ता	

टन भार = a x d भत्ता के लिए 2.83	पैरा के अधीन कटौती	
	----- पैरा 2(2)_____ ---रजिस्टर टनभार_____ _ जहां मापा गया है:_____ मापने_____ की तारीख---------- ---------- ---------- ----------	

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार/सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

---------- द्वारा जांचे गए

टिप्पण: — स्तंभ (10) से (12) में निम्नलिखित माप अभिलिखित किए जाएँ:-

स्तंभ (10)- रजिस्ट्रीकृत लंबाई, अर्थात् स्टेम के सबसे ऊपरी सिरे के अग्र भाग से स्टेम पोस्ट के रडर के पश्च भाग तक की लंबाई;

स्तंभ (11)- रजिस्ट्रीकृत चौड़ाई, अर्थात् जलयान की अधिकतम चौड़ाई, जो पतवार की प्लैंकिंग के बाहरी भाग तक क्षैतिज रूप से मापी जाएगी, किन्तु स्थायी रेंडरों के लिए रबिंग स्ट्रेक्स के सिवाय;

स्तंभ (12)- रजिस्ट्रीकृत गहराई, अर्थात् नियम 2 के खंड (ग) में उल्लिखित गहराई, जो रजिस्ट्रीकृत लंबाई के आधे भाग पर मापी जाएगी।

प्ररूप एसवीआईसी 1

[नियम 23(1) देखें]

चलत जलयान के लिए निरीक्षण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
भारत सरकार द्वारा जारी

प्रति,

_____ के पत्तन का रजिस्ट्रार

महोदय,

मैं इसके द्वारा नीचे वर्णित जलयान के लिए एक निरीक्षण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता हूं।

_____ रुपये का अपेक्षित फीस संलग्न है।

इस _____ 20__ _____ तारीख है।

आपका विश्वासी

स्वामी या टिंडल

जलयान का विवरण

जलयान का नाम और संख्या	जलयान का विवरण	सकल टन भार	कब और कहां निर्मित किया गया है	यदि ऑक्सिलरी इंजिन फिट किया गया है या नहीं

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

1	2	3	4	5

जलयान का सामान्य नियोजन	स्वामी का नाम और पता	प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख की	निरीक्षण का स्थान

1	2	3	4	5

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

प्ररूप एसवीआईसी 2

[नियम 31 देखें]

दोष सूची

भारत सरकार द्वारा जारी

सेवा में

चलत जलयान के स्वामी/टिंडल.....

संख्या.....के पत्तन का.....

महोदय,

मैंने वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के अनुसार उपरोक्त जलयान का निरीक्षण किया है, कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित मरम्मत की अपेक्षा है: -

हल.....

.....

उपस्कर.....

.....

इंजन.....

आपका विश्वासी

सर्वेक्षक

तारीख.....

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

प्ररूप एसवीआईसी 3

[नियम 3(1)(ख) और 32(1) देखें]

चलत जलयान के निरीक्षण का प्रमाण पत्र
भारत सरकार द्वारा जारी

जलयान का नाम और विवरण	पत्तन की रजिस्ट्री	टन भार सकल/शुद्ध	स्वामी का नाम और पता

यह प्रमाणित किया जाता है--

I. कि उपर्युक्त वर्णित जलयान का वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के उपबंध के अनुसार विधिवत निरीक्षण किया गया है।

II. जीवन रक्षक उपकरण कुल संख्या में _____ व्यक्तियों के लिए प्रदान करते हैं, अर्थात: _____ व्यक्तियों की सहायता करने में सक्षम _____ रक्षा नौका नौकाएं/नाव;

या

_____ उत्प्लावक उपकरण जो _____ व्यक्तियों की सहायता करने में सक्षम है;

_____ लाइफ जैकेट;

_____ जीवन रक्षक पेटी

III. निरीक्षण से पता चला कि जलयान का हल, रिगिग, अग्नि उपकरण और अन्य उपकरण अच्छी स्थिति में हैं और उसे समुद्र में टकराव की रोकथाम के लिए विनियमों के उपबंधों के अनुसार नौपरिवहन लाइट और आकार, और ध्वनि संकेत और संकट संकेत बनाने के साधन प्रदान किए गए हैं।

IV. सहायक इंजनों का निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि वे काम कर रहे हैं/काम नहीं कर रहे हैं।

(पूरा निरीक्षण _____ 20__ को या उससे पहले होने वाला है)

---

*अनुपयुक्त शब्दों को हटा दें

अतिरिक्त विशिष्टियां

–

फ्रीबोर्ड* कर्मी दल और यात्री की अधिकतम संख्या

चालक दल..... यात्री

निर्माताओं/स्वामी द्वारा आपूर्ति किए गए सहायक इंजन की विशिष्टियां

बनावट विवरण बीएचपी उपयोग किए गए ईंधन की प्रकृति

सामान्य व्यापार सीमाएं:

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

व्यापार सीमाओं, यदि कोई हो, और उसके नियम और शर्तें: (यह भी बताएं कि व्यापार को उचित कारण तक निर्बाधित किया जाना चाहिए या नहीं)

टिंडल का नाम: _____

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

तारीख:

यह प्रमाणपत्र जब तक पहले रद्द नहीं किया जाता है, तारीख..... तक लागू रहेगा ।

---

*यह कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा, यदि जलयान को अधिनियम की धारा 147 (ङ) के अनुपालन में लोड लाइन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अनिवार्य वार्षिक सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त चलत जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख_____ को जारी किया गया

स्थान.....

अनिवार्य वार्षिक सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख_____ को जारी किया गया

अतिरिक्त पृष्ठांकन यदि कोई हो:

(अर्थात स्वामित्व/टिंडल/इंजन/कर्मी दल/लोडलाइन आदि की संख्या में परिवर्तन)

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख_____ को जारी किया गया

टिंडल का परिवर्तन:

टिंडल का नाम: _____ पहचान पत्र सं..____

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख_____ को जारी किया गया

टिंडेल का परिवर्तन:

टिंडेल का नाम: _____ पहचान पत्र सं..____

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख_____ को जारी किया गया

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

प्ररूप सं. एसवीआईसी 4

[नियम 23(4) देखें]

चलत जलयानों के निरीक्षण प्रमाण पत्र की अर्ध-वार्षिक वापसी

.....का पत्तन

भारत सरकार द्वारा जारी

चलत जलयान व्यापार सीमाओं का नाम	पत्तन की रजिस्ट्री संख्या	टन भार सकल शुद्ध	क्या ऑक्सिलरी इंजिन फिट किया गया है	उपयोग किया गया
1	2	3	4	5 6

तारीख .....स्थान.....को जारी किया गया।

यात्रियों की संख्या के यापार की सीमाओं पर निर्बधन, यदि कोई हो, उनकी शर्तें एवं प्रमाणित निबंधन	निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	वह तारीख जिस इंजन के पूरा निरीक्षण किय गया	निरीक्षण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख, यदि कोई हो
7	8	9	10 11

UNCOMPLYGATE Simplifying Compliance

तारीख.....

सेवा में

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय

मुंबई।

चलत जलयानों के रजिस्ट्रार

अनुलिपि

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

प्ररूप क

[नियम 49(2) देखें]

वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के अधीन परमिट या पहचान पत्र के लिए आवेदन।

प्रति,

जारी करने वाला प्राधिकारी,

_____ पत्तन

मैं, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के अनुसार एक चलत जलयान पर टिंडल/कर्मी दल के सदस्य के रूप में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में परमिट या पहचान पत्र के लिए आवेदन करता हूं।

---

1. बड़े अक्षरों में पूरा नाम और वर्तमान पता
2. आयु और जन्म तारीख *आयु: जन्म तारीख:
3. जन्म स्थान जिला
4. स्थायी पता राज्य
5. पिता का नाम और पता नाम
   पता
6. राष्ट्रीयता
7. धर्म
8. ऊँचाई
9. रंग
10. बालों और आंखों का रंग
11. पहचान का निशान
12. निकटतम संबंधी का पूरा नाम, संबंध और पता

    नाम:

    संबंध:

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

गांव:

थाना: पोस्ट ऑफिस

जिला: राज्य

13. किसी भी विद्यमान या पिछले आईडी कार्ड की विशिष्टियां (यदि कोई नहीं है, तो कोई भी नहीं कहें)

14. पासपोर्ट की विशिष्टियां हस्ताक्षर या आवेदक के बांये आथ के अंगूठे का चिह्न

15. क्या पहचान पत्र जारी करने के लिए कोई पिछला आवेदन किया गया है

गवाह: हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम आवेदक को जानते हैं और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(1) हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में नाम,

_____

पत्ता_____

(2) हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में नाम,

_____

पत्ता _____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

* यदि ये विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुमानित आयु "के बारे में" शब्दों में दी जा सकती है।

टिंडल परमिट जारी करने के लिए अर्हता और अनुभव के मूल्यांकन के लिए नियम 50 (4) के अनुपालन में एक परीक्षक को आवेदन अग्रेषित किया गया।

सेवा में

परीक्षक,

एमएमडी, ...

हस्ताक्षर

(नाम) .....

किसी चलत जलयान के रजिस्ट्रार,

(स्थानांतित अधिकारी के स्टाम्प और तारीख)

टिंडल परमिट जारी करने के लिए परीक्षक की रिपोर्ट .....

हस्ताक्षर.....

(नाम) .....

एमएमडी परीक्षक की तारीख और स्टॉम्प

(पहचान पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

*आवेदक को एक परमिट/एक पहचान पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। उसका विवरण नीचे बताया गया है:

संख्या पत्तन कोड अक्षरों के साथ:

जारी करने की तारीख:.....

अवसान की तारीख:.....

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

*निम्नलिखित कारणों से आवेदक को कोई परमिट/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है:

*हटाई गई प्रविष्टि लागू नहीं होती।

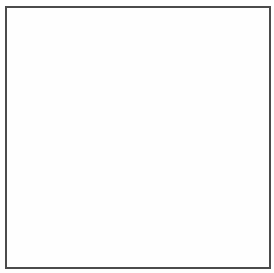

उपरोक्त दी गई फोटो को आंशिक रूप से फोटो पर जारी करने वाले प्राधिकारी की कार्यालय मुहर लगाकर और हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए

इंकार की अवधि .....

अस्वीकार का कारण

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख के साथ.....

पदनाम....

पत्तन.....

मुझे ऊपर वर्णित परमिट/पहचान पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरी तस्वीर चिपका दी गई है और प्रमाणित किया गया है

आवेदक तारीख के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठे का चिह्न.....

तारीख.....

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

प्ररूप ख

[नियम 50(8) देखें]

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

पहचान-पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के अधीन जारी

नाम:

पहचान पत्र संख्या:

(टिप्पण:- क्रम संख्या को पत्तन की पहचान पत्र जारी करने वाले कोड अक्षरों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा)।

उपरोक्त फोटो को आंशिक रूप से फोटो पर और पुस्तक पर जारी करने वाले प्राधिकारी की कार्यालय मुहर लगाकर और जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

तारीख _____तक विधिमान्य है

भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन जारी किया गया

जारी करने वाला प्राधिकरण: हस्ताक्षर

नाम:

तारीख :

स्थान :

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

टिंडल परमिट

वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलायान) नियम, 2026 के अधीन जारी

नाम:

पहचान पत्र संख्या:

(टिप्पण:- क्रम संख्या को जारी करने के पत्तन की पहचान करने वाले कोड अक्षरों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा)।

उपरोक्त फोटो को आंशिक रूप से फोटो पर और पुस्तक पर जारी करने वाले प्राधिकारी की कार्यालय मुहर लगाकर और जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

तारीख _____तक विधिमान्य है।

भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन जारी किया गया

जारी करने वाला प्राधिकरण: हस्ताक्षर

नाम:

तारीख :

स्थान :

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

प्ररूप ग

[नियम 52(2)(क) देखें]

पत्तन..... पर.....मास.....20..... के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान) नियम, 2026 के अधीन जारी पहचान पत्रों से संबंधित मासिक विवरणी

_____मास के दौरान परमिट/पहचान पत्र का नवीकरण किया गया

कोड सं. परमिट/पहचान पत्र की संख्या	धारक का पूरा नाम	परमिट/पहचान पत्र के नवीकरण की तारीख
1	2	3

मास के दौरान रद्द या निलंबित किए गए परमिट/पहचान पत्र

कोड संख्या	धारक का नाम	क्या परमिट/पहचान पत्र रद्द किया गया था या निलंबित किया गया था	रद्द/निलंबन का कारण	यदि निलंबित किया गया था, तो निलंबन की अवधि
1	2	3	4	5

मास के दौरान निलंबित परमिट/पहचान पत्र फिर से जारी किए गए

कोड संख्या	धारक का नाम	तारीख जब परमिट/पहचान पत्र निलंबित किया गया था	जारी करने की तारीख

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

मास के दौरान जारी किए गए परमिट/पहचान पत्र की अनुलिपि प्रतियां

कोड संख्या	धारक का नाम	जारी करने की तारीख	धारक द्वारा पुन: जारी करने के अनुरोध के लिए दिए गए कारण	क्या मूल प्रति धारक से वापस ली गई है
1	2	3	4	5

(हस्ताक्षर).....

(पदनाम).....

(पत्तन).....

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

प्ररूप घ

[नियम 52(2)(ख) देखें]

टिंडल और चलत जलयानों के कर्मी दल के अन्य सदस्यों को जारी किए गए परमिट/पहचान पत्रों का रजिस्टर

परमिट/पहचान पत्र का कोड संख्या.....

जारी करने की तारीख.....

विधिमान्यता की अवधि .....

जारी करने वाला प्राधिकारी .....

उस व्यक्ति का नाम जिसे अनुमति दी गई है/ पहचान पत्र जारी कर दिया गया है	पिता का नाम	जन्म कीतारीख	जन्म स्थान	धर्म और राष्ट्रीयता	स्थायी पता	निकटतम समबमधी का पूरा नाम और पूरा पता
1	2	3	4	5	6	7

धारक का विवरण टिप्पणी

1. ऊंचाई
2. आंखों का रंग
3. बाल
4. रंग
5. विशिष्ट चिह्न (यदि कोई हो)

*यदि परमिट या पहचान पत्र रद्द/निलंबित किया जाता है, तो इस तरह के रद्दीकरण/निलंबन की तारीख और कारण और, निलंबन की दशा में, निलंबन की अवधि उसमें प्रविष्ट की जानी चाहिए।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

प्ररूप ङ

[नियम 55 (ए) देखें]

चलत जलयान के रजिस्ट्रार के साथ जलयान के कर्मी दल का कथन

जलयान का नाम_____कार्यालय संख्या और पत्तन की रजिस्ट्री_____

अनुदेश

1. किसी जलयान का स्वामी या टिंडल उस पत्तन के रजिस्ट्रार के पास जलयान के कर्मी दल के कथन की **एक प्रति दाखिल** करेगा जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत है।

2. कर्मी दल के कर्मियों में हर बदलाव को कर्मी दल के कथन में अभिलिखित किया जाएगा और **कथन को अद्यतन** रखा जाएगा। इस तरह के प्रत्येक परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को जल्द से जल्द **सूचित किया जाएगा**।

क्र. सं.	टिंडल सहित कर्मी दल के सदस्यों का पूरा नाम	स्थायी पता	भर्ती के समय आयु	पहचान पत्र जारी करने की पत्तन संख्या और तारीख	जिस क्षमता में कार्य किया गया	तारीख और कार्य का स्थान	मासिक मजदूरी**
1	2	3	4	5	6	7	8

**टिप्पण: यदि पारिश्रमिक या मजदूरी का संदाय मासिक आधार से भिन्न अन्यथा किया जाता है, तो मजदूरी की रकम जिसे स्वामी/टिंडल मासिक मजदूरी के रूप में मानता है, बताई जाएगी।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

निकटतम संबंधी का नाम और संबंध का पता	कर्मी दल का हस्ताक्षर या बायां अंगूठे का चिह्न	स्वामी या टिंडल का हस्ताक्षर या बायां अंगूठे का चिह्न	जलयान से निर्वहन			उपस्थित अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	टिप्पणियां
			तारीख	स्थान	कारण		
9	10	11	12	13	14	15	16

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्वामी/टिंडल के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का चिह्न

तारीख.....

स्थान.....

[फा. सं. एसवाई-19014/202/2025-एमजी]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

UNCOMPLYGATE Simplifying compliance

MINISTRY OF PORT SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

G.S.R. 814(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b), (c), (j), (k), (l) and (m) of sub-section (2) of section 280 read with sub-sections (1) and (2) of section 264, sub-sections (1) and (2) of section 273 and sub-section (1) of section 275 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Save as otherwise provided, these rules shall apply to every mechanised sailing vessel engaged in sea going trade.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "certificate of inspection" means a certificate issued to a sailing vessel in Form SVIC 3 for validity stated therein, subject to annual inspection;

(c) "certificate of registry" means the primary certificate issued by the Registrar for ensuring the lawful registration of the vessel at the port of registry;

(d) "fair season" and "foul season" mean, respectively, the seasons as specified in Schedule III;

(e) "Form" means the Forms set out in Schedule XII appended to these rules;

(f) "identity card" means an identity card of a seafarer, which includes the continuous service record of the seafarer;

(g) "issuing authority" means the authority as specified in Schedule IV;

(h) "length" means the length described in Schedule II;

(i) "mechanised sailing vessel" means a sailing vessel fitted with mechanical means of propulsion;

(j) "Mercantile Marine Department" means the Mercantile Marine Department (MMD) established under section 11 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), having jurisdiction over the area in which the concerned vessel is located;

(k) "muster list" means a list of the crew who are required to assemble at a given muster station;

(l) "muster station" means the area designated as such on board a vessel for assembly of crew;

(m) "notice" means any notice, circular, order or guidelines issued in writing by the Director-General from time to time in relation to sailing vessels;

(n) "recognised organisation" means a person or body of persons authorised by the Central Government under the proviso to section 9 of the Act;

(o) "register book" means the register book of sailing vessels maintained by the Registrar at the port of registry;

(p) "registered tonnage" or "net tonnage" means the tonnage arrived at after allowing permissible deductions from gross tonnage, as specified in vessel's measurement in Schedule II;

(q) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(r) "ton" means a unit of volume equal to 100 cubic feet or 2.83 cubic metres;

(s) "tonnage deck" in the case of decked vessel, means the uppermost continuous deck having permanent means of closing the openings on deck.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II
REGISTRATION AND TONNAGE MEASUREMENT

4. Registration of sailing vessel.— Every sailing vessel shall be registered with the Registrar:

Provided that the sailing vessels registered prior to the date of enforcement of these rules shall be deemed to be registered for the purposes of these rules.

5. Application for registration and tonnage.— (1) Every application for the registration of a sailing vessel under sub-section (5) of section 20 read with sub-section (3) of section 15 of the Act shall be made in SVR Form I to the Registrar of the port of registry nearest to the place where the owner resides or where the vessel is built or may be based.

(2) Every such application shall be accompanied by—

(a) a declaration of ownership by the applicant as specified in SVR Form II or SVR Form III, as the case may be;

(b) the documents of title to the vessel;

(c) the builder's certificate:

Provided that due to certain reasons if it is not possible for the owner to produce the builder's certificate, keeping in view the circumstances, the Registrar may dispense with the same.

UNCOMPYCATE simplifying Compliance

(3) The tonnage of the vessel shall be determined in accordance with Schedule II.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions—

(a) "builder certificate" means a certificate issued by the shipbuilder or shipyard or the recognised organisation specifying the details of the vessel and its year of built, at the time of delivery of a newly constructed vessel, certifying that the vessel has been completely built, fitted and equipped in accordance with the approved plans and specifications;

(b) "port of registry" means the port of registry as specified in Schedule I.

6. Name of vessel.— At the time of registration, the owner shall specify the name of the vessel and the name of the vessel so registered shall not be described by any other name:

Provided that if the name proposed by the owner is already borne by another vessel or if the name be so similar as is calculated or likely to deceive, the Registrar may refuse the registration by such name and require the owner to suggest another name by which the vessel may be registered.

7. Official number of vessel.—(1) The Registrar shall, upon being satisfied with the details of the application under rule 4, assign to the vessel an official number from a consecutive series maintained at each port of registry preceded by three distinguishing code letters indicating the port of registry as specified in Schedule I.

(2) The official number once assigned to a sailing vessel shall not be changed except when the vessel is registered again at another port of registry.

8. Provisional certificate of registry.—(1) Where an application for the registration of a sailing vessel is pending before the Registrar and the Registrar, having regard to the circumstances of the case, is of the opinion that the vessel should not be detained at the port till the issue of the certificate of registry, he may, to avoid such detention, issue a provisional certificate of registry in SVR Form X.

(2) A sailing vessel may also be issued a provisional certificate of registry or a tonnage measurement certificate for a specific period to facilitate relocation of vessel for fitment of its equipment, engine, other fittings or delivery voyage.

(3) The provisional certificate shall be issued under this rule after obtaining a certificate of inspection of such vessel:

Provided that the validity period of the certificate of inspection shall not exceed the validity period of the provisional certificate:

Provided further that all such certificate of inspection shall be issued only to a vessel not carrying cargo.

(4) Every provisional certificate issued under this rule shall specify the particulars of the vessel and of the owner and tindal thereof, or in the case of registration afresh, the particulars as entered in the original certificate of registration.

(5) A provisional certificate issued under this rule shall be valid for a period not exceeding six months:

Provided that the Registrar may, if he is satisfied that, in the circumstances of the case it is necessary to do so, extend the period of validity by a further period of three months.

(6) The provisional certificate issued under this rule shall be surrendered to the Registrar on the expiry of the period of validity or on issuance of a permanent certificate of registry, whichever is earlier.

9. Grant of certificate of registry.— (1) On completion of all the requirements for the registration of sailing vessel, the Registrar shall, after the tonnage of the vessel has been determined in accordance with Schedule II, enter the particulars of the vessel in the register book as per SVR Form IV and grant a certificate of registry.

(2) Every certificate of registry granted under sub-rule (1) shall be issued in SVR Form V.

(3) The certificate of registry shall be produced by the owner or tindal of the sailing vessel on demand by a Registrar or any officer of the Customs or of the Mercantile Marine Department or a Regional Officer (Sails).

10. Painting of name and official number on vessel.— (1) The code letters indicating the port of registry, the name of the vessel by which it is registered and the official number assigned to it shall be painted in white oil colour against a black background on both quarters of the vessel near the stern.

(2) All letters and figures painted shall be of such size as the Registrar may determine in each case, but shall not be less than one decimetre in height and two centimetres in width.

(3) The letters and figures referred to in this rule shall also be painted in suitable size on the dinghies attached to the vessel.

(4) The name and official number of the vessel shall also be painted or permanently marked on all life boats or rescue boats or life rafts carried by the vessel.

11. Change of name.— (1) The name of the vessel under which it has been registered shall not, after such registration, be altered or changed except with the prior approval of the Registrar.

(2) Every application for the change of name of the vessel shall be made to the Registrar of the vessel's port of registry specifying the reasons for the proposed change and the

Registrar may, if satisfied that the change proposed is reasonable and necessary, approve the change.

(3) Where the name of the vessel which is mortgaged is sought to be changed, the consent of the mortgagee shall also be obtained for the proposed change.

(4) The new name which has been approved by the Registrar shall be entered in the register book and in the certificate of registry of the vessel.

12. Registration of alterations.— (1) An application for the registration of alterations to a vessel shall be made in SVR Form VI—

(a) within a period of fifteen days of such alteration to the Registrar of the port where the vessel is registered; and

(b) to any port having a Registrar or if it is made elsewhere, the Registrar of the first port at which the vessel arrives after the alteration, or in case the vessel so altered is outside Indian port, the Registrar may, on a report of inspection of such vessel by a surveyor or the person authorised under section 9 of the Act, re-register the vessel without any requirement of the vessel to visit Indian port.

(2) Where the alterations—

(a) do not materially affect the dimensions or the tonnage of the vessel or its carrying capacity, the Registrar shall enter the alterations in the register book and also in the certificate of registry of the vessel;

(b) materially affect the dimensions or the tonnage or the carrying capacity of the vessel, the Registrar shall register the vessel afresh within a period of thirty days on receipt of application or completion of alteration, whichever is later.

13. Declaration of ownership.— Every declaration of ownership shall be made before the Registrar, Special Executive Magistrate, a Commissioner of Oaths or an Indian Ambassador and where a declaration of ownership is made at a place other than the port of registry, the place of attestation shall be stated in the declaration.

14. Transfer of port of registry.— (1) Any person having an interest in the vessel, whether as owner or mortgagee, who desires that the registry of the vessel may be transferred from one port to another, shall make an application for transfer in SVR Form VII to the Registrar of the port of registry for such transfer.

(2) The Registrar shall, if he is satisfied that the proposed transfer is unobjectionable, transmit the particulars of the vessel and the encumbrances, if any thereon, to the Registrar of the intended port of registry.

(3) The Registrar at the intended port of registry, after he is satisfied that the new official number with the code letters of the port are duly painted on the vessel, shall issue a fresh

certificate of registry and communicate to the Registrar of the original port of registry the official number assigned to the vessel and the date of its registry.

15. Closure of registry.— (1) Where the registration of the vessel is transferred under rule 14, the Registrar of the original port of registry shall close the registration of the vessel in the register book.

(2) Where the registration of the vessel at any port is closed under section 43 of the Act, or under sub-rule (1), the Registrar of the port shall forthwith submit to the Director-General a statement of the particulars of the vessel and the circumstances in which the registration has been closed.

16. Transfer of vessel or interest therein.— (1) The owner or the owners of the vessel desiring to transfer the vessel or any interest therein shall apply to the Registrar of the port of registry for permission to do so.

(2) The Registrar, after making such enquiry as he thinks fit, shall grant permission for transfer of ownership within a period of fifteen days from the date of receipt of such application.

(3) After the transfer of ownership is permitted and the sale has been effected, the transferee shall present to the Registrar of the port of registry, a declaration of ownership, the instrument of transfer and the existing certificate of registry of the vessel, and thereupon, the Registrar shall enter the particulars of the transfer of ownership in his register book and issue a fresh certificate of registry.

(4) The Registrar shall, on transfer of ownership and issuance of a fresh certificate of registry, intimate the same to the Director-General.

17. Transfer of ownership by operation of law.— (1) Where the title to the vessel devolves on any person by operation of law under section 24 of the Act, such person shall apply to the Registrar specifying the circumstances in which he has acquired title to the vessel and also adducing evidence of such acquisition.

(2) If the Registrar, after making such enquiry is satisfied about the claim of the applicant, he shall register the particulars of change of ownership in his register book and also endorse the particulars in the certificate of registry of the vessel.

18. Mortgage of vessel.— (1) Every instrument of mortgage of a vessel or any interest therein shall be as specified in SVR Form VIII or SVR Form IX, as the case may be.

(2) The Registrar shall, after satisfying himself that the instrument is properly executed, record the same in his register book with the date and hour of acceptance and make an endorsement to that effect on the mortgage instrument.

(3) Where there are two or more mortgages on the same vessel, their respective priorities shall be indicated in the register book in the appropriate column in alphabetical order.

(4) When the mortgage debt is fully discharged, the Registrar shall, after satisfying himself that the receipt endorsed on the mortgage instrument is in order and that it is properly witnessed, make an entry in the register book relating to the discharge of the mortgage.

(5) No payment of ownership of any instalment of a mortgage debt shall be recorded in the register.

19. Issue of duplicate copies of certificate of registry.— (1) The Registrar, on an application made by the owner to issue a duplicate copy of the certificate of registry may, after satisfying himself to the effect that the original certificate has been destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced, issue the same clearly marked on it "DUPLICATE" in red ink.

(2) Every application for duplicate copy of a certificate of registry shall be accompanied by a declaration of the circumstances in which the original certificate was destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced.

(3) Where a duplicate copy of a certificate of registry has been obtained on the ground that the original certificate has been lost or mislaid, and such certificate is subsequently found or received by the owner, he shall forthwith surrender the original certificate to the Registrar who shall cancel the same.

(4) A duplicate copy of the certificate of registry shall not be granted on the ground that the original has been mutilated or defaced unless the mutilated or defaced certificate is surrendered to the Registrar.

20. Central register.— (1) The Director-General shall maintain a central register or online portal which shall contain all the entries recorded in the register book.

(2) On completion of the registration of a vessel at a port, the Registrar shall immediately transmit to the Director-General a copy of the entries in his register book relating to the vessel.

(3) The particulars of every other transaction subsequently recorded in the register book shall also be reported forthwith to the Director-General.

21. Inspection of register book and supply of copies of entries.— (1) The register book maintained by the Registrar, shall on application made in this behalf and on payment of the fees in accordance with Schedule V, be open to inspection by any person during office hours.

UJCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(2) A certified copy of any entry in a register book may be granted by the Registrar to any person on an application made in that behalf and on payment of fee as specified in Schedule V.

CHAPTER III
Freeboard and Certificate of Inspection

22. Assignment of freeboard.— (1) No vessel shall ply or proceed to sea unless it has been assigned freeboard in accordance with the provisions of these rules.

(2) The Registrar shall ensure that the vessel's name and registration number is cut at least three millimetre deep, in wood of hull at bow and stern and shall be painted white or yellow on a dark background.

(3) The freeboards for vessels shall be computed in accordance with Schedule II.

23. Application for certificate of inspection or survey for assignment of freeboard.— (1) Every application for grant of certificate of inspection shall be made in Form SVIC-1 to the jurisdictional MMD or a recognised organisation and accompanied by such fee as specified in Schedule V.

(2) The Registrar shall cause the sailing vessel to be—

(a) inspected by the surveyor;

(b) surveyed by the surveyor for assignment of freeboard,

who shall, on completion of the inspection or survey, forward to the Registrar, the report on the result of such inspection or survey for assignment of freeboard.

(3) If upon consideration of the report of the surveyor, the Registrar is satisfied that the freeboard may be assigned, he shall furnish to the owner the particulars of the position in which the deck line and the freeboard line are to be marked.

(4) Every Registrar shall submit to the Principal Officer of the MMD of the District on or before 15th January and 15th July of each year, a return showing the particulars of certificates of inspection issued during the previous half-year in the Form SVIC-4.

24. Preparation for inspection.— (1) The vessel shall be made clean and free from cargo.

(2) Rigging and equipment shall be kept handy for inspections.

(3) The vessel shall be cleaned externally and placed on a hard or slipway sufficiently clear of the ground:

Provided that unless the surveyor has any reason to doubt the condition of the hull, such activity shall be carried out only once in three years.

UNOFFICIAL CERTIFICATE Simplifying Compliance

25. Markings.— (1) The owner of the vessel shall cause to be marked on each side of the vessel, the particulars of the deck and the freeboard lines and also the disk as per the following figure:

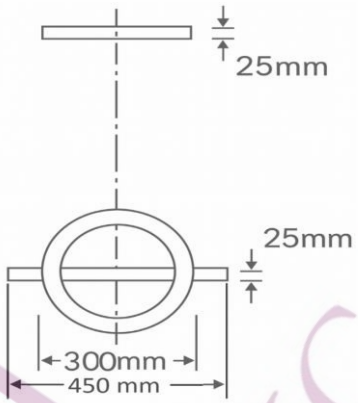

Figure

(2) The markings referred to in sub-rule (1) shall be cut into the planking to a depth of at least three millimetres and shall be painted white or yellow on a dark background.

26. Inspection.— (1) The hull shall be inspected to determine whether the vessel is staunch and tight and strong enough for the service intended.

(2) The joints in planking and caulking shall be carefully examined.

(3) In the case of decked vessels, it shall be ensured that the deck planking is in good condition and properly caulked and that efficient means of battening down the hatches is provided.

(4) It shall be ensured that—

(a) the sails are of strong and durable material and in good condition and of sufficient area to enable efficient navigation under sails alone;

(b) all blocks, pulleys and ropes are in good condition and of sufficient strength;

(c) the anchors, chains, hawsers are sufficient and efficient.

(5) Special attention shall be paid to the condition of the rudder and helm and their fastenings.

(6) All pumps shall be tested for efficiency by actually working them for not less than ten minutes.

(7) It shall be ensured that the freeboard markings are properly marked and maintained and that no alterations affecting the position of the freeboard markings have taken place.

(8) The engine compartment shall be partitioned off from the cargo space using bulkheads and it shall be insulated with non-combustible panelling and covered with GI sheets.

(9) The exhaust uptake shall be properly lagged.

(10) The engine, auxiliary machineries and stern glands shall be in good condition.

27. Equipment.— (1) Every vessel shall be equipped with lifesaving and fire appliances specified under Chapter IV of these rules:

Provided that a sailing vessel constructed or re-built on or before the 1st day of January 2027, shall comply with these rules to such extent as may be determined by the Director-General:

Provided further that, the Director-General may permit such exemption, modification, or equivalent arrangement as it considers appropriate, in respect of any such vessel.

(2) In addition to statutory lifesaving appliances, firefighting appliances, distress, safety and radio communication requirements, Indian mechanised sailing vessels shall comply with the safety and security communication, navigation and reporting measures and standard operating procedures, as may be specified by the Central Government or the Director-General from time to time.

(3) Every vessel of over 100 gross tons shall be provided with at least one hand operated pump for pumping bilges only.

(4) For vessels of 200 gross tons and above, an electrical or mechanical driven pump shall replace hand operated pump and one such pump for each 300 gross tonnage, in multiples thereof, shall be provided.

(5) Pumping and piping arrangement shall be such that the pump is able to take suction to make the bilge dry and generate sufficient pressure to throw water at least two metres above the ship's main gunwale from bottom of the vessel.

(6) In vessels of 400 gross tonnage and above, at least one such pump shall be of fixed type and have arrangement to pump out oily bilge water from bilge holding tank to shore reception facility.

(7) Every vessel other than the coasting vessel—

(a) shall be provided with a fixed compass having steady card and one spare portable compass for use in emergency or in lifeboat;

(b) of less than 200 tons, shall be provided with a VHF set and an AIS, in compliance of notices issued from time to time.

(8) The lights, shapes and sound signals shall be provided in accordance with the applicable rules under the Act.

(9) Every vessel shall be provided with the following communication equipment, namely:—

(a) VHF at the option of owners for sailing vessels above 200 gross tonnage;

(b) Ship Security Alert System (SSAS) or DAT;

(c) AIS Class-A (Automatic Identification System);

(d) EPIRB or DAT;

(e) NAVTEX receiver or Satellite Phone; and

(f) MF/HF or Satellite Phone.

28. Pollution prevention and environmental control requirements.— (1) No vessel shall use heavy or persistent oil as fuel in any machinery.

(2) High-speed diesel or lighter non persistent fuels are only permitted on board.

(3) Every vessel of 400 gross tonnage shall be provided with a bilge holding tank made of steel or similar material in compliance of notices issued from time to time.

(4) Every vessel of 400 gross tonnage or above with—

(a) eighteen or more crew members, shall be provided with a biodegradable system toilet;

(b) nineteen or more and up to twenty-two crew members, shall be provided with pro-rata additional capacity of holding tank with only one toilet;

(c) twenty-three crew members and above, shall be provided with additional toilets on the basis of one per eighteen persons.

(5) The sewage holding tank and biodegradable toilet shall be as per design and type approved by any Central Government or State Government accredited body.

(6) The marine diesel engine installed on a vessel shall comply with the following Nitrogen Oxide (NO_x) emission limits: —

(a) 3.4 g/kWh, when n is less than 130 rpm;

(b) 9·n^(-0.2) g/kWh, when n is 130 or more, but less than 2000 rpm;

(c) 2.0 g/kWh, when n is 2000 rpm or more,

where n is rated engine speed (crankshaft revolutions per minute).

29. Auxiliary engines.— (1) Before a vessel is fitted with an auxiliary engine, it shall be inspected by a surveyor to ascertain whether the hull is of adequate strength for the engines to be installed.

(2) The engine shall be fitted and necessary tests and speed trials carried out to the satisfaction of a surveyor:

Provided that unless the surveyor has any reason to doubt the efficiency of an engine, complete dismantling and inspection shall be carried out only once in five years.

30. Fuel oil storage and bilge holding tanks.— (1) The fuel oil storage and service tanks shall be properly constructed, mounted self-supporting, provided with proper filling arrangement, air vent and gauging ability.

UNOFFICIAL COPY Simplifying compliance

(2) The fuel supply from the tank shall be fitted with a metallic fuel cock with remotely closing mechanism.

(3) Every vessel less than or equal to 500 gross tonnage (GT) shall be fitted with 500 litres capacity of bilge water holding tank, and for every 100 tonnes increase in GT of such vessel, there shall be an increase of 100 litres in bilge water holding capacity:

Provided that the capacity of the bilge water holding tank shall not be more than one cubic metre plus one change of lube oil from all engines or machinery, likely to have such change when vessel is at sea.

31. Defects.— If a surveyor finds that any defect exists in the hull, rigging, equipment or machinery of a vessel, he shall inform the owner or tindal of the vessel in Form SVIC 2 pointing out the defects and necessary repairs and the owner or tindal shall ensure that the repairs are carried out to the satisfaction of the surveyor.

32. Issue of certificate of inspection.— (1) On being satisfied that the vessel has complied with the provisions of these rules, the Principal Officer of the MMD shall issue a certificate of inspection in Form SVIC 3.

(2) Every certificate of inspection issued under sub-rule (1) shall be valid from the date of its issue for a period of three years, subject to annual inspection of the vessel:

Provided that the surveyor may, for reasons to be recorded in writing, issue a certificate of inspection for such shorter period to the effect of cargo carrying capacity or plying area, as may be specified therein.

33. Expiry or rendering invalid of certificate of inspection.— (1) Any certificate of inspection which has expired or has become invalid due to structural damage to the vessel or due to deficient equipment or any other cause, shall be surrendered to the MMD in India or Registrar of the vessel, upon reaching the first port of call after such expiry.

(2) If a vessel is calling a foreign port and such situation arises, the vessel shall inform the port State control officer of the port, and the owner shall inform the Registrar of the vessel expeditiously.

(3) Where a sailing vessel is engaged on a voyage outside India at the time of expiry of its certificate, such certificate shall remain valid until the vessel's first arrival at a port in India after expiry:

Provided that the vessel proceeds directly thereto without undue delay and no condition affecting the safety of the vessel has arisen.

34. Alterations to vessel.— Whenever alterations have taken place in the hull or superstructure of a vessel so as to affect the position of the freeboard lines, the owner shall apply for a fresh freeboard certificate.

35. Loading of vessel.— No vessel shall be so loaded that the marking of the freeboard line is submerged.

36. Issue of duplicate certificate of inspection.— (1) If any original certificate of inspection is destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced, the Principal Officer of the MMD may, on an application being made to him stating the full facts and upon being satisfied of the genuineness of the case, issue a duplicate certificate of inspection.

(2) Every such application shall be accompanied by a fee specified in Schedule V.

(3) If an original certificate of inspection which is mislaid, lost or destroyed is found after issuance of a duplicate copy thereof, it shall forthwith be surrendered to the Principal Officer of the MMD.

37. Transfer of registry (certificate endorsement).— Where a vessel's registry is transferred or there has been a change of name of ownership or tonnage thereof, the certificate of inspection shall be produced to the Registrar for endorsing the alteration.

38. Trading limits.— The trading limits, if any, and the conditions for such trading, shall be specified in the certificate of inspection depending upon the size, type, construction and general suitability of the vessel as may be determined by the surveyor to be fit and in compliance of the notices issued from time to time.

39. Production of certificate of inspection.— The owner or tindal of the vessel shall produce the certificate of inspection on demand by a surveyor or any officer of the Customs or of the Mercantile Marine Department or a Regional Officer (Sails) in India and any Port State Control officer of the country outside India.

CHAPTER IV

Life Saving Appliances and Fire Safety Appliances

40. Firefighting appliances on vessels of 500 gross tonnage and above.— (1) Every vessel of 500 gross tonnage and above shall be provided with—

(a) fire pumps, water service pipes, hydrants hoses and nozzles whereby at least one jet of water can reach any part of the vessel normally accessible to the crew while the vessel is being navigated and any storeroom and any part of any cargo space when empty;

(b) at least one fire pump operated by power in accordance with rule 43, capable of delivering at least one jet of water from any fire hydrant hose and nozzle provided in the vessel;

(c) a fire main, water service pipes and hydrants and at least three fire hoses and nozzles;

(d) at least the minimum number of portable fire extinguishers and fire buckets, as specified in Schedule VII, suitably distributed and so located as to be readily accessible for immediate use in accommodation spaces, service spaces and machinery spaces;

(e) a receptacle containing at least 0.3 cubic metre of sand or other dry material suitable for extinguishing oil fires together with a scoop for its distribution or an additional portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires in each firing space;

(f) an internal combustion propelling machinery fitted in machinery spaces and with–

(i) portable fire extinguishers capable of discharging from or other substances suitable for quenching oil fires, as specified in Schedule VII; or

(ii) two portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires together with one foam fire extinguisher of at least forty-five litres or one carbon dioxide fire extinguisher of at least sixteen kilograms capacity.

41. Firefighting appliances on vessels of 150 tons and above but less than 500 tons.– (1) Every vessel of 150 tons and above, but less than 500 tons shall be provided with—

(a) at least one fire pump and fire hose and nozzle whereby a jet of water can be directed into any part of the vessel;

(b) a portable diesel driven pump or a hand pump with a hose and nozzle capable of delivering a jet of water having a throw of not less than six metres outside the space, where the pump provided in accordance with clause (a) is situated inside spaces containing internal combustion machinery;

(c) at least the minimum number of portable fire extinguishers and fire buckets, as specified in Schedule VII, suitably distributed and so located as to be readily accessible for immediate use in accommodation spaces, service spaces and machinery spaces.

(2) Every such vessel fitted with main or auxiliary oil-fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided with—

(a) a nozzle suitable for spraying water on oil;

(b) a receptacle containing 0.3 cubic metre of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle.

(3) In each space containing any part of any oil fuel installation of such vessel, there shall be provided at least two portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires.

(4) In each machinery space in such vessel, one foam extinguisher of at least forty-five litres capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher shall be provided.

(5) At least two portable extinguishers capable of discharging foam or any other substance suitable for quenching oil fires shall be provided in such vessel.

42. Fire-fighting appliances on vessels of 50 tons and above but less than 150 tons.– (1) Every vessel of 50 tons and above, but less than 150 tons shall be provided with—

(a) a fire pump operated by power and fire hose and nozzle capable of discharging a jet of water into any part of the vessel;

(b) a hose and nozzle capable of directing a jet of water having a throw not less than six metres, where the fire pump is driven by main engine outside the machinery space with its sea connection;

(c) with a nozzle for spraying water suitable for quenching oil fire;

(d) at least the minimum number of portable fire extinguishers and fire buckets, as specified in Schedule VII, suitably distributed and so located as to be readily accessible for immediate use in accommodation spaces, service spaces and machinery spaces.

(2) Every such vessel fitted with internal combustion propelling machinery shall be provided with—

(a) a receptacle containing 0.3 cubic metre of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle;

(b) at least two portable fire extinguishers capable of discharging foam or other substances suitable for quenching oil fires.

43. Fire pumps.— (1) Except as otherwise provided in these rules, every fire pump required to be carried in a vessel shall be operated by means of power, other than the vessel's main engines.

(2) The sanitary, bilge or general service pumps may be accepted by the Director-General as fire pumps, provided they are not normally used for pumping oil and in case they are occasionally used for pumping or transferring fuel oil, suitable change-over arrangements may be fitted alongwith operating instructions.

(3) Every vessel, which is required to be provided with fire pumps operated by power under these rules, other than any emergency fire pump, shall together, for the purposes of firefighting, be capable of delivering a quantity of water under the conditions and at the pressure specified in sub-rule (9) which shall not be less than the quantity obtained from the following formula, namely:—

Quantity of water is cubic metres per hour = Cd^2 where—

(a) C=5 for vessels required to be provided with more than one fire pump excluding any emergency fire pump and C=2.5 for vessels required to be provided with only one fire pump; and

(b) $d=1+0.066 \sqrt{L(B+D)}$ to the nearest 0.25 where—

L=length of the vessel in metres on the summer load water line from the foreside of the stem to the aft side of the rudder post and where there is no rudder post, the length is measured from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock if that be the greater;

B= greatest moulded breadth of the vessel in metres; and

D= moulded depth of the vessel in metres measured to the bulkhead deck amidships:

Provided that in any such vessel other than those included in the total capacity of the fire pumps for firefighting shall not be required to exceed 180 cubic metres per hour.

(4) In every vessel which is required to be provided with more than one fire pump operated by power, other than any emergency fire pump, shall have a capacity of not less than eighty per cent. of the total capacity of the fire pumps required by these rules divided by the minimum number of fire pumps so required, but in any case, not less than 25 cubic metres per hour.

(5) Every fire pump which is operated by power, other than any emergency fire pump, shall be capable of producing, from any fire hydrant or hydrants in the vessel, at least the minimum number of jets of water required by these rules as appropriate to the class and tonnage of the vessel, while maintaining the pressure required by sub-rule (9).

(6) In any vessel in which automatic and remote-control systems have been provided in the machinery space in lieu of continuous manning of the space, arrangements shall be made to ensure immediate availability of water supply at the required pressure either by permanent pressurisation or by suitably placed remote starting of the fire pump.

(7) Relief valves shall be provided in conjunction with all the fire pumps if the pumps are capable of developing a pressure exceeding the design pressure of fire main, water service pipes, hydrants or hoses:

Provided that such valves shall be so placed and adjusted as to prevent excessive pressure in any part of the fire main system.

(8) Every centrifugal pump which is connected to the fire main shall be fitted with a non-return valve.

(9) When the two pumps simultaneously deliver water through the nozzles of sizes specified in rule 45 through any adjacent hydrants, a minimum pressure of 2.1 bar (0.2M/mm2) at all hydrants shall be maintained.

44. Fire main, water service pipes and hydrants.— (1) All water pipes and fire hydrants required to be provided under these rules shall be so placed that the fire hoses may easily be coupled to them.

(2) In every vessel which is required to be provided with fire pumps operated by power, the diameter of the fire main and of the water service pipes connecting the hydrants thereto shall be sufficient for the effective distribution of the maximum discharge required by these rules from—

(a) where only one pump is required, that pump; or

(b) where two such pumps are required, both pumps operating simultaneously; or

(c) where more than two such pumps are required, the two largest of such pumps operate simultaneously.

(3) The diameter of the fire main and water service pipes shall be sufficient for the effective distribution of the maximum required discharge from two fire pumps operating simultaneously, except that in the case of cargo vessels, the diameter shall only be sufficient for the discharge of 140 m^3 /h.

(4) In vessels carrying deck cargo, the position of the hydrants shall be such that they are always readily accessible with pipes and arranged in a manner to avoid risk of damage from such cargo and in vessels where the deck pipe lines run on exposed deck, two such lines shall be provided.

(5) The water pipes shall not be—

(a) made of material which may be readily rendered ineffective by heat; and

(b) made of cast iron and if made of cast iron or steel, shall be galvanised or the pipe wall thickness shall be increased by a corrosion allowance.

(6) Isolating valves to separate the section of the fire main within the machinery space containing the main fire pump or pumps from the rest of the fire main shall be fitted in an easily accessible and tenable position outside the machinery spaces.

(7) The fire main shall be so arranged that when the isolating valves are shut, all the hydrants on the vessel may be supplied with water by another fire pump or an emergency fire pump except those in the machinery space referred to in sub-rule (6).

(8) The emergency fire pump, its seawater inlet and suction, delivery pipes and isolating valves shall be located outside the machinery space and if this arrangement cannot be

made, the sea-chest may be fitted in the machinery space if the valve is remotely controlled from a position in the same compartment as the emergency fire pump, and the suction pipe is as short as practicable.

(9) Short lengths of suction or discharge piping may penetrate the machinery space, provided they are enclosed in a substantial steel casing, or are insulated to A-60 class standards and the pipes shall have substantial wall thickness, but in no case less than eleven millimeters.

(10) The hydrants valve of screw lift type or cocks shall be fitted to water service pipes and be so arranged that any fire hose coupled to these may be removed while fire pumps are in operation.

(11) All water pipes for fire extinguishing system shall be provided with drain valves or cocks for use in frosty weather and so located that they may not be damaged by cargo.

45. Fire Hoses.—(1) The fire hoses shall—

(a) be of non-perishable material approved by the Director-General;

(b) be sufficient in length to project a jet of water to any of the spaces in which they may be required to be used; and

(c) be provided with a nozzle and the necessary couplings;

(d) have a length of at least ten metres, but not more than—

(i) fifteen metres in machinery spaces;

(ii) twenty metres in other spaces and open decks; and

(iii) twenty-five metres for open decks on vessels with a maximum breadth in excess of thirty metres.

(2) Every such fire hose together with the tools and fittings shall be kept in a conspicuous position near the hydrants or connection with which it is intended to be used.

(3) The fire hose provided in compliance with these rules shall not be used for any purpose other than for extinguishing fire or testing with fire appliances at fire drill and surveys.

46. Nozzles.— (1) Every vessel which is required under these rules to be provided with fire pumps operated by power shall be provided with nozzle of twelve millimetres, sixteen millimetres, nineteen millimetres in diameter or as near thereto in diameter as possible and the nozzles larger in diameter may be provided if the requirements of these rules relating to the provision of water for firefighting purposes are otherwise complied with.

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

(2) For machinery spaces and exterior location, the diameter of the nozzles shall be such as to obtain the maximum possible discharge from the minimum number of jets of water and at the pressure required under these rules from the smallest fire pump permitted:

Provided that the diameter of the nozzles shall not be greater than nineteen millimetres.

(3) For accommodation and service space, the diameter of the nozzles shall not be greater than twelve millimetres.

(4) Every such nozzle shall be capable of producing a water spray suitable for extinguishing oil fires and a plain water jet and shall incorporate a shut-off facility.

47. Life-saving appliances.—(1) No life saving appliance or arrangement shall be carried on board any vessel unless such appliance or arrangement is of a type approved by the Director-General or a recognised organisation authorised by the Director-General.

(2) The Nautical Advisor may recognise approvals granted by the Administration of another country, where such approvals are based on standards equivalent to those prescribed under these rules and the Life-Saving Appliance (LSA) Code.

(3) Before granting approval, the Nautical Advisor shall ensure that such tests or trials necessary to confirm compliance with these rules and the Code are carried out:

Provided that the Nautical Advisor may, subject to such supervision and conditions as may be specified, authorise a recognised organisation or an approved testing establishment to carry out such tests or trials.

(4) Every Indian sailing vessel shall be equipped with lifesaving appliances as per Schedule VIII.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "International Life-Saving Appliance (LSA) Code means the International Life Saving Appliance (LSA) Code adopted by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization resolution MSC.48(66), as amended, from time to time.

UNOFFICIAL COMPLIANCE Simplifying Compliance

CHAPTER V
Crew and Identity Cards

48. Possession of permits or identity cards.— (1) No person shall serve or be allowed to serve on sailing vessel on any voyage outside India as —

(a) tindal, unless he is in possession of a permit;

(b) any other member of the crew, unless he is in possession of a valid identity card issued under these rules.

(2) The holder of a permit or an identity card shall, on demand by any issuing authority or a Registrar of a vessel or any officer of Customs, produce such permit or identity card for inspection by such authority, Registrar or officer in India and any Port State Control officer of the country outside India.

(3) No officer of Customs shall clear outward any vessel, unless the tindal thereof is in possession of a permit and the other members of the crew thereof are in possession of valid identity cards issued under these rules and a valid Indian passport.

49. Procedure for issue of permits or identity cards .— (1) The Director-General shall maintain a centralised online system for the issue of permit or identity cards to the crew of sailing vessels.

(2) Every application for a permit or identity card shall be made electronically specified in Form through the online portal, A, accompanied by the documents and fee as specified under these rules.

(3) The Regional Officer (Sails) shall examine the applications in accordance with the provisions of these rules and, upon being satisfied, forward the approved cases to the Director-General for final approval and printing.

(4) The permit or identity card shall be issued under the authority of the Director-General and shall bear the signature of the Regional Officer (Sails), as the authorised signatory.

50. Documents required and conditions for issuance of permits or identity cards.— (1) For the purpose of application of permit or Identity card, the applicant shall possess--

(a) a valid passport;

(b) a valid address proof;

(c) Police verification;

(d) Signature and photograph.

(2) The permit or identity card shall be issued only to such applicants who serve on Indian sailing vessels plying between Indian ports or Indian ports and any other ports outside India.

(3) The applicant shall produce a letter from the owner or tindal of a sailing vessel to the effect that the applicant will be employed on board the sailing vessel owned by such persons and that the sailing vessel is plying between Indian or foreign ports.

(4) The applicant applying for tindal permit shall have a minimum of three years sea going experience on Indian sailing vessel.

(5) On receipt of an application, the issuing authority shall, after conducting such inquiry, as he may consider necessary and upon satisfaction, issue an identity card.

(6) If an applicant is not issued with identity card or tindal permit then the reason for so declining shall be recorded in writing and a copy given to the applicant.

(7) Any person whose application has been declined may make a fresh application after a minimum period of one month from the date of the decline.

(8) The permits and identity cards shall be issued in Form B which shall be numbered serially, preceded by the code letters of the port of issue as specified in Schedule I.

(9) A permit or an identity card shall be valid for a period of five years from the date of its issue or till the expiry of the passport, whichever is later:

Provided that the issuing authority may for reasons to be recorded in writing, issue a permit or an identity card for a period of less than one year:

Provided further that where, at the expiry of a permit or an identity card, the holder thereof is on a vessel which is on a voyage outside India, such permit or identity card shall be deemed to be valid until such vessel arrives at any port in India.

(10) Where a permit or an identity card is refused by the issuing authority or where such permit or identity card is issued for a period of less than one year, the issuing authority shall inform the applicant in writing stating the reasons thereof, and in the case of refusal, the fee paid shall be refunded to the applicant.

(11) The issuing authority shall forward a duplicate copy of every application received by him under this rule to the Director-General for record and where an application for a permit or an identity card is refused, he shall also send a report stating briefly therein the reasons for such refusal.

51. Renewal of permit or identity card.— (1) The holder of a permit or an identity card shall apply for renewal to the issuing authority within a period of nine months from the expiry of such permit or identity card along with renewal fee specified in Schedule V.

(2) The issuing authority shall renew the permit or the identity card for a period of less than one year by making suitable endorsement thereon.

(3) Where the issuing authority refuses to renew a permit or an identity card under this rule or where he renews such permit or identity card for a period of less than one year, he shall inform the holder in writing stating the reasons thereof and in the case of refusal, shall refund the fee to the applicant.

(4) Where the issuing authority refuses to renew a permit or an identity card under this rule, he shall send a report to the Principal Officer of the MMD stating briefly therein the reasons for such refusal.

(5) The applications for new, renewal, replacement or duplicate permits or identity cards shall be submitted online with required scanned documents and on payment of such fee as specified in Schedule V.

(6) The Regional Officer (Sails) shall review the applications, conduct necessary inquiries, and forward them online to the Director-General for approval.

(7) On approval by the Director-General under sub-rule (6), the permits or identity cards shall be printed, signed, laminated and dispatched to the applicant by speed post.

52. Suspension and cancellation of permit or identity card and maintenance of records and registers thereof.— (1) If the issuing authority has reasons to believe that the holder of a permit or an identity card has—

(a) used or attempted to use false document or made a false declaration for the purpose of obtaining the permit or the identity card;

(b) committed or attempted to commit any offence punishable under Chapter XII or Chapter XVII of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(c) without sufficient cause, deserted his place of duty on a vessel or has, refused to discharge his duties on a vessel,

then the issuing authority may, after giving the holder an opportunity of being heard, by order in writing and for reasons to be communicated in writing to the holder, suspend or cancel the permit or identity card for such period as he may specify.

(2) The issuing authority shall—

(a) maintain a monthly return relating to identity cards issued under these rules in Form C; and

(b) a register of permits or identity cards issued to tindals and other members of the crew of the sailing vessels in Form D.

53. Appeals.— Any person aggrieved by a decision of the issuing authority—

(a) refusing him a permit or an identity card; or

(b) issuing him a permit or an identity card for a period of less than one year; or

(c) refusing to renew his permit or identity card or renewing his permit or identity card for a period of less than one year; or

(d) suspending or cancelling his permit or identity card,

may, within a period of thirty days from the date of receipt of the decision of the issuing authority, appeal in writing to the Director-General.

54. Issue of duplicate permit or identity card.— (1) Where a permit or an identity card is lost, destroyed, defaced or mutilated, the holder thereof may apply, along with an affidavit setting out the facts to the issuing authority for a duplicate copy of such permit or identity card accompanied by such fee as specified in Schedule V.

UNOFFICIAL Simplifying Compliance

(2) On receipt of an application, the issuing authority, after satisfying itself as to the correctness of the statements made therein, may issue a duplicate permit or, as the case may be, an identity card and such permit or identity card shall be marked "DUPLICATE" in red ink.

(3) Where a permit or an identity card which has been stated to be lost or destroyed and in respect of which duplicate has been issued under this rule, is subsequently found, it shall be surrendered to the issuing authority for cancellation.

Explanation.— For the purposes of this Chapter, the term "permit" means the tindal permit issued under rule 48.

55. Statement of crew.— Every owner or tindal of the vessel shall—

(a) maintain or cause to be maintained a statement of the crew as referred to in section 275 of the Act, in Form E appended to the rules;

(b) communicate a copy of the statement of the members of crew of the sailing vessel and every change entered therein to the Registrar of the port of registry of the vessel concerned; and

(c) produce the statement for inspection on demand by the Registrar, the Regional Officer (Sails) or any other officer authorised in this behalf.

56. Services, inspection, survey and certification fee.— The fees for services, inspection, survey and certification shall be as specified in Schedule V.

CHAPTER VI

Safety, Manning and Security Requirements

57. General safety obligations.— (1) Every sailing vessel shall—

(a) at all times maintain a seaworthy condition and be provided with the safety, lifesaving, firefighting, communication and navigational equipment as required under these rules and the notices issued from time to time;

(b) maintain a Continuous Synopsis Record (CSR) as per Schedule VI;

(c) report its expected arrival and departure times and dates to the Port Authorities of the port where the vessel is to arrive or depart at least twelve hours prior to the arrival or departure and such information shall be communicated by means of VHF and a document in the approved format through their owners or agents or managers or charterers;

(d) maintain an approved ship log book for recording all essential activities and preserving the log books for inspection by the concerned authorities.

58. Safe Manning.— Every sailing vessel shall carry such minimum number of competent crew as is necessary to ensure—

(a) safe navigation and watchkeeping;

(b) effective operation of sails, rigging and auxiliary machinery;

(c) ability to respond to emergencies including fire, flooding, grounding and man-overboard;

(d) continuous radio watch on specified frequencies.

59. Watchkeeping and rest hours.— (1) Continuous navigational watch shall be maintained at all times when the vessel is underway or at anchor in unsafe areas.

(2) The tindal shall assign qualified crew to day and night watches ensuring—

(a) that lookout is maintained by sight and hearing;

(b) AIS and VHF watchkeeping at all times;

(c) wheel or tiller is manned where manual steering is required.

(3) No watchkeeper shall be assigned duty if he is unfit due to fatigue, illness or intoxication.

(4) Every crew member shall be allowed a minimum of—

(a) ten hours of rest in any twenty-four-hour period; and

(b) seventy-seven hours of rest in any seven-day period:

Provided that the rest hours may be divided into not more than two periods, one of which shall be at least six hours.

(5) The tindal shall maintain records of watch schedules and rest hours for inspection.

60. Procedure to be followed and additional safety measures.— Every sailing vessel shall—

(a) follow the procedures, in case of maritime security incident, piracy and armed robbery;

(b) take additional safety measures to prevent piracy, armed robbery incidents,

as specified in Schedule IX.

61. Navigation, reporting and communication.— (1) Every sailing vessel engaged in international voyages shall keep its AIS (Class A) switched on at all times ensuring real-time monitoring by the relevant authorities.

(2) If the AIS (Class A) equipment is switched off or non-operational, the tindal shall manually report the vessel's position and status to the vessel owner via satellite phone (or other available means) every twelve hours and this information shall be recorded in the official logbook as per Schedule X.

(3) The tindal shall manually report every twelve hours or more frequently in the event of any maritime security threat or safety or security-related incident or when transiting through designated operational risk zones or on the concerned authorities' request.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "operational risk zone" means a designated geographical region where specific risks, such as piracy, armed robbery or other security threats, may affect the safety, security, and movement of vessels and trade.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(4) The manual reporting shall contain the following information, namely:—

(a) Contact email of owner;

(b) Mobile number of owner;

(c) Name of owner;

(d) Date and time of Report;

(e) Vessel name;

(f) IMO No.;

(g) Call Sign;

(h) MMSI No.;

(i) Identity No. or Reg No.;

(j) Latitude, Longitude / Port;

(k) Speed;

(l) Course;

(m) Total no. of crew and passengers (and details of crew change in last port – if any);

(n) Type of cargo and quantity;

(o) Next destination port;

(p) Estimated Time of Arrival;

(q) Additional information (if any).

(5) All distress or security alerts shall be notified to Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) or the Maritime and Merchant Data Analytics Centre (MMDAC) or the Information Fusion Centre - Indian Ocean Region (IFC-IOR), as applicable.

(6) Any vessel intending to enter a port within the jurisdiction of India shall provide the Pre-Arrival Notification of Security (PANS) information not less than ninety-six hours prior to its anticipated arrival.

(7) The Pre-Arrival Notification of Security shall be submitted to the concerned port of arrival and the relevant regional authority through NLP Sagar Setu Portal.

(8) The information regarding armed guards on board the vessel when calling Indian Ports or transiting through the Exclusive Economic Zone (EEZ) shall also be forwarded to the Indian Navy, Maritime Rescue Coordination Centre and the local Customs Authority through the vessel's agent at the concerned port.

(9) The vessels without appropriate documentation shall be permitted to berth only under special circumstances, with prior approval of the Port Facility Security Officer (PFSO):

Provided that such cases should be immediately brought to the notice of the nearest Mercantile Marine Department and the Director-General by the PFSO explaining the circumstances under which the vessel was permitted to enter the port facility limits without PANS reporting.

62. Emergency preparedness and drills.—(1) The Distress Alert Transmitter (DAT) shall be activated by the tindal or crew of vessel in the event of fire, medical emergency, piracy, sinking or man overboard.

(2) The distress alerts shall be broadcasted on VHF CH-16 to adjacent vessels by tindal or crew and such alerts shall be sent by all other available means including MF/HF, Satellite Phone, EPIRB, etc.

(3) The tindal shall ensure that drills for fire, abandon ship, flooding, grounding, man-overboard and piracy threats are conducted at intervals not exceeding two months.

(4) During drills, the crew shall demonstrate—

(a) correct donning and securing of life-jackets;

(b) rigging and lowering of survival craft where applicable;

(c) operation of fire pumps and extinguishers;

(d) distress communication procedures.

(5) A record of every drill shall be entered in the log book and be produced for inspection on demand.

63. Responsibilities of owner and tindal.-- (1) The owner shall ensure that—

(a) the vessel has a valid certificate of inspection;

(b) the equipment required under these rules is provided and maintained;

(c) the crew are trained and fit for duty;

(d) the security and reporting obligations are complied with.

(2) In any event, if the annual inspection of sailing vessel is not carried out within twelve months of the date of issue of the previous certificate of inspection due to a sailing vessel being on a voyage outside India, then the owner of the vessel shall submit a statement of compliance and undertaking to the Registrar in the format specified in Schedule XI.

(3) The owner shall sensitise the crew about maritime security advisories issued by Director-General and other piracy reporting centres such as IFC-IOR, US MARLO, UKMTO and MSCIO from time to time.

(4) The owners shall also inform MMDAC (DGComm Centre) or IFC-IOR or MRCC immediately of any suspicious incident like piracy or armed robbery if reported by the crew to enable prompt action.

(5) The owner of the vessel shall provide all safety equipment as required under these rules.

(6) The owner shall further ensure compliance with the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), and all applicable rules made thereunder.

(7) The tindal shall be responsible for the safe operation of the vessel, crew discipline, compliance with watchkeeping and security requirements, and immediate reporting of any casualty or defect.

(8) The tindal shall ensure that the Automatic Identification System (AIS) (Class A) always remains operational and switched on at sea and if it is deactivated due to

extenuating circumstances, the tindal shall inform the MMDAC (DGComm Centre) directly or through the Sailing Vessel Federation or through the vessel owner, providing a valid reason.

(9) The tindal shall strictly adhere to maritime security advisories issued periodically by the Director-General to mitigate the risk of piracy or armed robbery incidents.

(10) The tindal and crew of the vessel shall promptly report any observed maritime security threats, including those related to piracy or armed robbery, to the Sailing Vessel Federation, MMDAC (DGComm Centre) or IFC-IOR or MRCC or as soon as practicable.

CHAPTER VII
Miscellaneous

64. Insurance.— (1) Every owner of a vessel to which this Chapter applies shall, at all times while the vessel is in operation, maintain a policy of insurance covering every person employed as a member of the crew against death or personal injury arising out of or in the course of employment, including during embarkation and disembarkation.

(2) The policy of insurance shall provide for payment of compensation of an amount which shall not be less than the minimum amount specified by the Central Government by notification in the Official Gazette, having regard to international standards, wherever applicable.

(3) The insurance cover shall include the following:—

(a) death of a crew member arising out of employment on board;

(b) permanent total or partial disability resulting from injury sustained in the course of employment;

(c) medical care and treatment for occupational injury or illness until recovery or medical stabilisation;

(d) repatriation, including travel and subsistence expenses where discharge or treatment occurs away from the home port; and

(e) payment or reimbursement of wages during the period of treatment or until declaration of fitness or disability, as applicable.

(4) The policy shall be issued by—

(a) an insurer registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or

(b) a mutual protection and indemnity association or club recognised by the Director-General for this purpose.

(5) The owner shall ensure that a certificate of insurance issued by the insurer is kept on board the vessel and produced on demand to any proper officer or authority responsible for granting port clearance.

(6) No vessel shall proceed to sea unless the vessel is in possession of a valid certificate of insurance of its crew and any vessel not found in possession of such valid certificate may be detained.

(7) The Director-General may issue guidelines specifying —

(a) minimum scope and conditions of insurance;

(b) model policy formats;

(c) procedures for verification during inspection and survey; and

(d) additional coverage for vessels operating beyond the Contiguous Zone or on voyages exceeding fourteen days.

(8) Where, under the provisions of any other law for the time being in force, compensation is payable in respect of death or personal injury sustained by a member of the crew arising out of or in the course of employment then, if the amount payable under the policy of insurance taken in accordance with this rule —

(a) is equal to or greater than the compensation payable under such other law, no compensation shall be payable under such other law;

(b) is less than the compensation payable under such other law, the compensation payable under such other law shall be reduced by the amount paid or payable under the policy.

65. Trade conditions.—Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, for the purpose of promoting the coasting trade, heritage, conservation and preservation, the Director-General may, by order, specify certain commodities to be carried, or any services thereto to be performed, through Indian sailing vessels, either generally or in specified sectors of the coasting trade or between specified ports, and the conditions subject to which such reservation may be made, in the public interest or in the interest of sailing vessels:

Provided that due regard shall be had to prevailing and seasonal weather conditions while permitting such transport or performance of such services.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression "coasting trade" shall have the same meaning as assigned to it under the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025).

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

SCHEDULE I
[See rules 5(3)(b), 7(1) and 50(8)]

Port of registry

Name of Port	Code Letters
1. KANDLA	KDL
2. BEDI (JAM NAGAR)	BDI
3. MUMBAI	MUM
4. MORMUGAO	MGO
5. MANGALORE	MNG
6. KOCHI	COK
7.TUTICORIN	TTN
8. HALDIA	HLD
9. PORT BLAIR	PBL

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE II

[See rules 3(1)(h), (p), 5(3), 9(1) and 22(3)]

Measurement of tonnage and computation of freeboard

PART I

METHOD OF DETERMINATION OF TONNAGE OF WOODEN SAILING VESSELS

I. Gross tonnage

The gross tonnage of the vessels, when the hold is clear, shall be determined as per Method I as follows:—

A. **For decked vessels.—**

1. Lengths - Measure the length of decked vessels in a straight line along the upper side of the tonnage deck at such a parallel distance from the middle line of the vessel as to clear the several hatchways and other obstacles that may present themselves.

.1 Having fixed upon the ends of this parallel line as for both forward and after as may be found convenient, mark them on deck and transfer them on the middle line of the ship from inside of the stem of to the inside of the midship stern timber or plank, as the case may be.

.2 Deduct from this length what is due to the rake of the bow in the thickness of the deck.

.3 Thus required length is obtained.

.4 Where on account of obstruction by hatches, deck-houses, etc., the length cannot be taken in one measurement, then the same can be taken in parts depending on the number of obstructions and these parts shall be subsequently added together to obtain the length.

.5 Divide the length so obtained into the number of equal parts required as given in table below—

TABLE

(a)	the vessel of which the tonnage deck is according to the above measurements fifteen metres long or under into four equal posts.
(b)	the vessels of which the tonnage deck is according to the above measurements about fifteen metres long and not exceeding sixty metres into six equal parts.

2. Depths —The depth of the midship area is to be taken from the underside of the tonnage deck to the upperside of the floor timber, placing the depth measuring rod parallel to the

middle place of the ship and also square to the keel by means of a square placed on the upperside of the keel on the keelson.

.1 The depths at the other areas to be taken in a similar manner, taking care where the keel or keelson curves upwards.

3. Breadths —The depths at any area being ascertained as at paragraph 2 above is divided into required number of equal parts, the points of division at which the breadths are to be taken are to be marked on the rod, and the rod being fixed in its original position, the breadths of the areas are to be taken by extending a tape horizontally thwart through each point, from plank to plank to its average thickness between the respective points of measurements or from inside the frame timbers.

.1 When a batter or spar ceiling is fixed fitted of a greater thickness than 75 millimetres, then 75 millimetres is to be regarded as maximum for which allowance is to be made when measuring the horizontal breadths, but when the thickness is less than this, the actual thickness only is to be allowed.

4. Transverse areas — The hold being first sufficiently cleared to admit of the required depths and breadths being properly taken, find in the transverse area of the ship at such point of division the length and the depth is measured at each point of division.

.1 In case of a break in the deck, the depth is to be measured below or line stretched in continuation thereof.

.2 If the depth at the midship division of the length does not exceed five metres, divide each depth into four equal parts and measure the inside horizontal breadths as mentioned in paragraph 3 at the five points.

.3 Measure the inside horizontal breadths along with the horizontal slide of the measuring rod (Part C) which is to be shifted to the points of divisions and number these breadths from above by numbering the upper breadth one and so on down to the fifth breadth by multiplying the second and fourth by four, the third by two add these products together and to the sum add the first breadth and fifth.

.4 Multiply the quantity thus obtained by one third of the common interval of depth between the breadths, and the product shall be deemed the transverse area of the section.

5. Computation from areas.—The transverse areas at each point of division of the length of vessel as required by the Table at paragraph 1 above, proceed to ascertain the gross tonnage, under the tonnage deck in the following manner, namely:—

.1 Number the areas respectively 1, 2, 3 etc., No.1 being the extreme limit at bow and the last number at the extreme limit of the stern, then multiply the second and every even number area by four and odd number area by two (except the first and last) and add these products together and to the sum add the first and last if they have any value of 1 and

multiply the quantity thus obtained by one third of the common interval of the length between the areas, and the product will be the cubical contents of the space;

.2 divide this product by 2.83 and the quotient being the tonnage under the tonnage deck, shall be deemed to be the gross tonnage of the vessel, subject to any additions or deductions under these rules.

6. If there be a break, a poop, or any other permanent close in space on the upper deck available for cargo or accommodation of a passengers, the tonnage of that space shall be ascertained as follows :—

.1 Measure the internal mean length of the space and divide it into two equal parts;

.2 measure at the middle of its height three inside breadths, such as one at each end and the other at the middle of its length, then to the sum of the end breadths add four times the middle breadths and multiply the whole sum by one third of the common interval between the breadths and the product will give the mean horizontal area of the space;

.3 measure the mean height, and multiply by it the means horizontal area;

.4 divide the product by 2.83 and quotient shall be deemed the tonnage of the space.

7. Measurement of machinery space—Measure the mean length, breadth and depth of the machinery space, multiply together these dimensions and divide the product by 2.83 and the result shall be deemed the tonnage of the machinery space.

B. For undecked vessels.—

1. The tonnage of undecked vessels shall be determined as in the case of a decked vessel, excepting the measurement of the length and depth.

.1 The length of the vessel is to be measured from the meeting of the upper strake to the stem and the stern.

.2 The depth shall be measured from the top edge of the uppermost strake at each division of length in accordance with the Table under paragraph 1.

The gross tonnage of the vessels, when the hold is not clear, shall be determined as per Method II as follows:—

1. For both decked and open type of vessels, multiply the length for tonnage measurement by the "breadth registered" and also "depth registered".

.1 Divide the product by 2.83 and multiply the quotient by 0.7. The result so obtained will be the tonnage of the vessel.

.2 Under the tonnage deck calculations for other enclosed spaces for the purpose of arriving at the gross and net tonnage will be same as in the case of Method I.

UNCOMPYGATE Simplifying Compliance

II. Net tonnage

1. The registered or net tonnage of a vessel shall be arrived at after making deductions from the gross tonnage determined in accordance with the provisions of paragraph 1 on account of the following spaces, provided they are reasonable in extent, such as—

(a) spaces occupied solely by the crew and their personal effects;

(b) spaces occupied by vessel's stores, crew's provisions, fresh water, sails, ropes and tackles and space required for navigation of the vessel;

(c) space for machinery and fittings:

Provided that no deductions shall be made on account of any space, unless it has previously been included in the gross tonnage.

All measurements for the purpose of ascertaining the tonnage of a vessel shall be in metres and fractions of a metre upto the nearest centimeters.

Note: The tonnage measurement of a vessel shall be entered in Form SVT-1.

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

PART II

METHOD FOR COMPUTATION OF FREEBOARD

A. For open type vessels.

F=L+15D +17

B. For decked Kotias, Brigs and Dungies,

F=L+7D+8

C. For decked vessels other than Kotias, Brigs and Dungies.

F = L+8D+7

Where —

F = Free board in centimetres from top to permanent gunwale at side (for open sailing vessels) or top of deck at side amidships to the centre of the disc.

L = Length for free board in metres – 0.21K + 0.8LD

LLK= Length of straight keel in metres between points where the line of stem and stern (extended downwards if necessary) meet the line of keel.

LD= Length of the vessel in metres from forepart of the stem to the after part of the stern post measured at the level of deck on centreline in the case of a decked vessel and in the case of open vessels from where the line of permanent gunwale level, the measurement being taken in a straight line.

D=Depth of the vessel amidships in metres from top to keel to the top of free board deck at side in the decked vessels or top of permanent gunwale in open vessels.

Explanation.— For the purposes of this Part, the expression "freeboard deck" means the uppermost complete deck having permanent means of closing all the openings on the weather part of the deck.

Note:

(1) Where depth "D" exceeds L/6, the difference in actual depth and L/6 will be added to the free board obtained by the relevant formulae.

(2) The free board referred to above shall be free board in saltwater, the free board in fresh water of unit density shall be less than the free board in salt water by five centimetres.

(3) Final free board shall be assigned with the addition of such amount of free board as the assigning authority may determine having regard to the classification, construction, age and other conditions of the vessel.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(4) The hatch coaming in decked vessel shall be at least 45 centimetres high and of substantial construction. Covers for hatchways openings shall be efficient with means of battening down weathertight.

(5) Sailing vessels built prior to 1st January, 1961 and specially built for carriage of logs having opening in the sides of the sailing vessel closed by temporary structures and having a depth less than L/10 may be assigned free board at 1/3 of the free board obtained by formulae (A) provided that the temporary structure having a height of not less than (25D + 30) cms is constructed efficiently to the satisfaction of the surveying authority. Where the depth "D" of the vessel is more than L/10 or the height of the temporary structure at side is less than (25D + 30) cms or is not efficient the free board may be increased.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE III
[See rule 3(1)(d)]

(1) Arabian Sea		
(a). Arabian sea along Makran coast and upto Okha (including Gulf of Kutch) in Gujarat	10th June to 15th Aug	Foul
	16th Aug to 09th June	Fair
(b) South of Okha in Gujarat, Maharashtra, Konkan coast along westward in Arabian sea	01st June to 31st Aug	Foul
	01st Sept. to 31st May	Fair
(2) Western India (South of Karwar) and as far west as the line joining Aden & Berbera	16th May to 15th Sept.	Foul
	16th Sept. to 15th May	Fair

Note: Persian Gulf, Red Sea and that portion of the Gulf of Aden, which lies westward of the line joining Aden and Berbera, shall be deemed to be a region of permanent fair weather.

(3) Gulf of Mannar and Sri Lanka coast	1st Jan. to 15th April	Fair
	16th April to 31st Aug.	Foul
	1st Sept. to 31st Oct.	Fair
	1st Nov. to 31st Dec	Foul
(4) Palk Bay	1st Jan. to 15th Apr.	Fair
	1st Nov. to 31st Dec.	Foul
(5) Tamil Nadu and Andhra Pradesh		
(a) From Nagapattinam to Kakinada	1st Jan. to 15th Apr.	Fair
	15th Apr. to 31st July	Foul
	1st Aug. to 15th Oct.	Fair
	16th Oct. to 31st Dec	Foul
(b) From Kakinada to Ganjam on Odisha	16th Apr. to 31st July	Foul
	1st Aug. to 15th Oct.	Fair
	16th Oct. to 15th Nov	Foul
	16th Nov. to 15th Apr.	Fair
(6) Ganjam in Odisha, West Bengal, Bangladesh and Arakan in Myanmar	1st Apr. to 15th Aug.	Foul
	16th Aug. to 30th Sep.	Fair
	1st Oct. to 15th Nov.	Foul
	16th Nov. to 31st March	Fair

UNCOMPLICATE Simplifying compliance

(7) Rest of Myanmar and	1st May to 31st Aug.	Foul
Andaman & Nicobar	1st Sept. to 30th April	Fair

Note: Notwithstanding the seasons above, vessel operations during foul season (where permitted) shall strictly comply with order issued by the Director-General from time to time.

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

SCHEDULE IV
[See rule 3(1)(g)]

Name of the port	Code	Issuing Authority
Gujarat		
Bedi (Jamnagar)	BDI	Regional Officer (Sails)
Mandvi	MNV	Registrar of Sailing Vessels
Maharashtra		
Mumbai	MUM	Regional Officer (Sails)
Goa		
Mormugao	MGO	Registrar of Sailing Vessels
Karnataka		
Mangalore	MNG	Registrar of Sailing Vessels
Karwar	KWR	Registrar of Sailing Vessels
Lakshadweep		
Lakshadweep	UTL	Registrar of Sailing Vessels
Kerala		
Kozhikode	CLT	Registrar of Sailing Vessels
Kochi	CHN	Registrar of Sailing Vessels
Tamil Nadu		
Tuticorin	TTN	Regional Officer (Sails)
Nagapattinam	NGM	Registrar of Sailing Vessels
Andaman and Nicobar		
Port Blair	PBL	Registrar of Sailing Vessels

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

SCHEDULE V

[See rules 21(1), (2), 23(4), 36(2), 51(1), 54(1) and 56]

FEES

1. Registration Fees

Sl. No.	Description	Fees in Rupees
(1)	Initial registry	2 per gross ton
(2)	Registry of alterations	50
(3)	Transfer registry	100
(4)	Registry of transfer of ownership or interest	100
(5)	Registry of mortgage	50
(6)	Change of name of vessel	50
(7)	Provisional certificate of registry or extra thereof	50
(8)	Duplicate or Certified copy or for extra copy	50
(9)	Duplicate certificate of registry	50

2. Tonnage Measurement Fees

(1) First Measurement for determining Tonnage

Sl. No.	Vessel Category	Fees in Rupees
(a)	Under 50 tons gross	185
(b)	50 tons gross and above but under 100 tons gross	460
(c)	100 tons gross and above	740

(2) Re-measurement of Tonnage

Sl. No.	Description	Fees in Rupees
(a)	Re-measurement	Half the above first-measurement fee

3. Freeboard and Inspection Fees

(1) Assignment of Freeboard

Sl.No.	Description	Fees in Rupees
(a)	Assignment of freeboard	1110

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

4. Inspection certificate Fees

(1) For grant of Inspection Certificate to a sailing vessel not fitted with Engine

SI. No	Vessel Category	Fees in Rupees
(a)	Not exceeding 50 tons gross	100
(b)	50 tons gross and above but not exceeding 100 tons gross	190
(c)	100 tons gross and above but not exceeding 150 tons gross	280
(d)	150 tons gross and above	470

(2) Grant of Inspection Certificate to a sailing vessel fitted with Engine fees

SI. No	Description	Fees in Rupees
(a)	For grant of an inspection certificate of vessel	470
(b)	Additional fee for engine	100

(3) Special Inspections fees

SI. No	Purpose	Fees in Rupees
(a)	For Inspection of vessels for the purposed of rule 28(1)	470
(b)	For the purpose of Inspection and tests under rule 28(2)	470

(4) **Duplicate copy of inspection certificate fees**

SI. No	Purpose	Fees in Rupees
(a)	For a duplicate copy of inspection certificate	20

5. Issuance of Identity Card Fees

Sl. No.	Description	Fees in Rupees
(1)	For Issue of fresh identity card	50
(2)	Issuance of a duplicate identity card	40
(3)	Renewal of identity card	50

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE VI
[See rule 57(1)(b)]

CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT NO: DGS/CSR/000-No.

FOR MECHANIZED SAILING VESSEL

SNo	Information	
1	Name of vessel:	
2	Port of registration: Official No:	
3.	Call Sign/MMSI No.	
4.	Name of current registered owner(s): Registered address(es):	
5.	Name of previous owner(s) Address:	
6.	Administration/Government/Recognised Security Organisation which issued Vessel Security Plan:	
7.	Remarks	

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects.

Issued by: DIRECTOR-GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA

Place and Date of issue : ……

Signature of authorised person:

Name of authorised person: ……

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE VII

[See rules 40(1)(d), (f)(i), 41(1)(c), 42(1)(d)]

Minimum requirement of portable fire extinguishers and fire bucket

2. Required number of portable fire extinguishers

Power of main engine in kw	No. of portable extinguisher
Upto and including 150	2
Above 150 but no above 300	4
Above 300 but not above 450	6
Above 450	7

3. Required number of fire buckets

Vessel Tonnage	Minimum number of Fire bucket
Under 50 Tons	2 (One of which shall be fitted with lanyard)
Over 50 tons but not over 100 tons	3 (two of which shall be fitted with lanyard)
Over 100 tons	4 (two of which shall be fitted with lanyard)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE VIII

[See rule 47(4)]

Part 1

Emergency drills and Training

1 Drills

1.1 Drills shall, as far as practicable, be conducted as if there were an actual emergency.

1.2 Every crew member shall participate in at least one abandon vessel drill and one fire drill every month.

.1 The drills of the crew shall take place within twenty-four hours of the vessel leaving a port if more than 25% of the crew have not participated in abandon vessel and fire drills on board that particular vessel in the previous month.

.2 When a vessel enters service for the first time, after modification of a major character or when a new crew is engaged, these drills shall be held before sailing.

.3 The Director-General may accept other arrangements that are at least equivalent for those classes of vessels for which this is impracticable.

1.3 Crew members with enclosed space entry or rescue responsibilities shall participate in an enclosed space entry and rescue drill to be held on-board the vessel at least once every two months.

1.4 Abandon vessel drill

1.4.1 Each abandon vessel drill shall include—

.1 summoning of crew to muster stations with the alarm followed by drill announcement on the public address or other communication system and ensuring that they are made aware of the order to abandon vessel;

.2 reporting to stations and preparing for the duties described in the muster list;

.3 checking that crew are suitably dressed;

.4 checking that lifejackets are correctly donned;

.5 lowering of at least one lifeboat after any necessary preparation for launching;

.6 starting and operating the lifeboat engine;

.7 a mock search and rescue of passengers trapped in their staterooms; and

.8 instruction in the use of radio life-saving appliances.

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

1.4.2 Different lifeboats shall, as far as practicable, be lowered in compliance with the requirements of paragraph 1.4.1.5 at successive drills.

1.4.3 Except as provided in paragraphs 1.4.4 and 1.4.5, each lifeboat shall be launched, and maneuvered in the water by its assigned operating crew, at least once every three months during an abandon vessel drill.

1.4.4 The Director-General may allow vessels operating on short international voyages not to launch the lifeboats on one side if their berthing arrangements in port and their trading patterns do not permit launching of lifeboats on that side provided that allsuch lifeboats shall be lowered at least once every three months and launched at least annually.

1.4.5 As far as is reasonable and practicable, rescue boats other than lifeboats which are also rescue boats, shall be launched each month with their assigned crew aboard and maneuvered in the water at least once every three months.

1.4.6 If lifeboat and rescue boat launching drills are carried out with the vessel making headway, such drills shall, because of the dangers involved, be practiced in sheltered waters only and under the supervision of an officer experienced in such drills.

1.4.7 Emergency lighting for mustering and abandonment shall be tested at each abandon vessel drill.

1.5 Fire drills

1.5.1 Fire drills shall be planned in such a way that due consideration is given to regular practice in the various emergencies that may occur depending on the type of vessel and the cargo.

1.5.2 Each fire drill shall include—

.1 reporting to stations and preparing for the duties described in the muster list;

.2 starting of a fire pump, using at least the two required jets of water to show that the system is in proper working order;

.3 checking of fireman's outfit and other personal rescue equipment;

.4 checking of relevant communication equipment;

.5 checking the operation of watertight doors, fire doors, fire dampers and main inlets and outlets of ventilation systems in the drill area; and

.6 checking the necessary arrangements for subsequent abandoning of the vessel.

1.5.3 The equipment used during drills shall immediately be brought back to its fully operational condition and any faults and defects discovered during the drills shall be remedied as soon as possible.

UNCOMPYCAT Simplifying Compliance

1.6 Enclosed space entry and rescue drills

1.6.1 Enclosed space entry and rescue drills shall be planned and conducted in a safe manner.

1.6.2 Each enclosed space entry and rescue drill shall include—

.1 checking and use of personal protective equipment required for entry;

.2 checking and use of communication equipment and procedures;

.3 checking and use of instruments for measuring the atmosphere in enclosed spaces;

.4 checking and use of rescue equipment and procedures; and

.5 instructions in first aid and resuscitation techniques.

2 On-board training and instructions

2.1 On-board training in the use of the vessel's life-saving appliances, including survival craft equipment, and in the use of the vessel's fire-extinguishing appliances shall be given as soon as possible but not later than two weeks after a crew member joins the vessel.

.1 However, if the crew member is on a regularly scheduled rotating assignment to the vessel, such training shall be given not later than two weeks after the time of first joining the vessel.

.2 Instructions in the use of the vessel's fire-extinguishing appliances, life-saving appliances, and in survival at sea shall be given at the same interval as the drills.

.3 Individual instruction may cover different parts of the vessel's life-saving and fire-extinguishing appliances, but all the vessel's life-saving and fire-extinguishing appliances shall be covered within any period of two months.

2.2 Every crew member shall be given instructions which shall include but not necessarily be limited to—

.1 operation and use of the vessel's inflatable life rafts;

.2 problems of hypothermia, first-aid treatment for hypothermia and other appropriate first-aid procedures;

.3 special instructions necessary for use of the vessel's life-saving appliances in severe weather and severe sea conditions;

.4 operation and use of fire-extinguishing appliances; and

.5 risks associated with enclosed spaces and on board procedures for safe entry into such spaces.

2.3 On-board training in the use of life rafts shall take place at intervals of not more than four months on every vessel fitted with such appliances.

.1 Wherever practicable, the drill shall include the inflation and lowering of a life raft which may be a special life raft intended for training purposes only, which is not part of the vessel's life-saving equipment and such a special life raft shall be conspicuously marked.

3 Records

3.1 The date when musters are held, details of abandon vessel drills and fire drills, enclosed space entry and rescue drills, drills of other life-saving appliances and on-board training shall be recorded in such log-book as may be specified by the Director-General.

3.2 If a full muster, drill or training session is not held at the appointed time, an entry shall be made in the log-book stating the circumstances and the extent of the muster, drill or training session held.

Part 2

Personal life-saving appliances

(1) Every such vessel shall carry lifebuoys complying with the requirements specified in the Life Saving Appliances Code.

(2) The minimum number of lifebuoys to be carried on every such vessel shall be in accordance with the following Table, namely:—

TABLE

Length of vessel (metres)	Minimum number of lifebuoys
Less than 24 metres	2
24 metres or more but less than 60 metres	4
60 metres and above	6

(3) The lifebuoys shall be—

(a) so distributed that they are readily available on both sides of the vessel and so stowed as to be capable of being readily cast loose; and
(b) fitted with a buoyant lifeline complying with the requirements specified in these rules.

(4) At least one-half of the lifebuoys shall be fitted with self-igniting lights complying with the requirements specified in these rules.

(5) Every such vessel of sixty metres or more in length shall carry one lifebuoy on the navigation bridge capable of being released with a self-activating smoke signal complying with the requirements specified in these rules.

(6) Every such vessel shall carry lifejackets equal to the number of persons it is certified to carry, complying with the requirements specified in these rules, and such lifejackets shall be so placed as to be readily accessible and their location clearly indicated.

(7) In every such vessel,—

(a) the tindal shall provide to every person on-board clear instructions to be followed in the event of an emergency;

(b) at least two certificated persons shall be carried to take charge of survival craft and to assist and train other untrained persons;

(c) each member of the crew shall possess a certificate indicating attendance at an approved course on personal survival techniques;

(d) the crew shall practise the procedure for abandoning vessel and the use of life-saving appliances at least once every fifteen days; and

(e) the tindal shall ensure that all life-saving appliances are in working order and ready for immediate use when the vessel leaves port and at all times during the voyage.

Part 3

Additional requirements for vessels of more than sixty metres in length

Every vessel of more than sixty metres in length shall carry—

(a) either a rescue boat or a Class 'C' boat complying with the following requirements, namely:—

(i) an open boat constructed with rigid sides;

(ii) such form and proportions as to have ample stability in a seaway and sufficient freeboard when fully loaded with the maximum number of persons for whom seating is provided and its full equipment;

(iii) not less than 4.3 metres and not more than 5.5 metres in length;
(iv) fitted with thwarts and side seats placed as low as practicable and provided with bottom boards; and

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

(v) fitted with internal buoyancy so arranged as to ensure stability when fully loaded under adverse weather conditions, consisting of air cases constructed of copper, muntz metal, or other equally suitable material;

(b) life rafts of sufficient aggregate capacity to accommodate all persons the vessel is certified to carry;

(c) a survival craft emergency position-indicating radio beacon complying with the applicable rules made under the Act, stowed in a protected and readily accessible position and capable of being transferred to any survival craft in an emergency; and

(d) one manually operated locating device in compliance with the applicable rules made under the Act, so stowed as to be readily placed in any survival craft.

Part 4

Requirements for vessels of less than sixty metres in length

Every vessel of less than sixty metres in length shall carry life rafts of sufficient aggregate capacity to accommodate all persons the vessel is certified to carry:

Provided that every such vessel of less than forty meters in length may carry in lieu of life rafts a boat complying with the requirements specified in the rules for Class 'C' boat.

Part 5

Muster list and emergency instructions

1. This Part applies to all sailing vessels.

2. Clear instructions to be followed in the event of an emergency shall be provided for every person on-board.

3. Muster lists and emergency instructions complying with the requirements of these rules shall be exhibited in conspicuous places throughout the vessel including the navigation bridge, engine-room and crew accommodation spaces.

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

Schedule IX

[See rule 60(b)]

Part I

Procedures to be Followed during a maritime security incident

1. In the event of a maritime security incident occurring anywhere in the world, the following steps shall be taken to ensure a coordinated, effective, and timely response, namely:—

(a) Contact the nearest Indian Navy vessel or any other warships (or any Indian Coast Guard Vessel) in vicinity using VHF, provide the current location, describe the situation, communicate the intended course of action, and seek further guidance.

(b) Inform the owner of the vessel, who can convey the information immediately by to the following centres, namely:—

(i) Information Fusion Centre -Indian Ocean region (IFC-IOR);
(ii) Mercantile Marine Domain Awareness Centre (MMDAC -DGComm Centre);
(iii) Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) is also to be informed if the vessel is located within the Indian Search and Rescue Region (ISRR).

(c) MMDAC (DGComm Centre) shall promptly relay it to all concerned agencies and stakeholders to ensure a coordinated response and situational awareness.

(d) As soon as the situation allows, a first information report shall be transmitted by the vessel owners to the MMDAC (DGComm Centre).

Part II

Procedures to be followed during a piracy or armed robbery attack

1. All owners of mechanised sailing vessel shall —

(a) inform the MMDAC (DGComm Centre) or IFC-IOR or MRCC immediately of any piracy or armed attack or suspicious incident as soon as he receives communication from the vessel crew and the first recipient amongst the mentioned agencies will relay the information to the other agencies;

(b) inform the port of departure and next port of call, the safety and communication equipment fitted on board, and the quantity of fuel available on board;

(c) provide the details of the cargo, no. of the crew with their names and passport details along with photographs to MMDAC (DGComm Centre);

(d) inform the families of the crew about the piracy or armed robbery incident once confirmed and appraise them to remain calm and take necessary action in hand for the release of the crew from the custody of the perpetrators;

(e) provide information regarding the ransom demanded by pirates and the status of negotiations with them to DG Shipping;

(f) provide information regarding the release of the crew after the hijack and the circumstances under which they were released;

(g) produce the crew of the vessel in front of security agencies and MMD after their release from the hijack for their statements and debriefing.

2. All crew of mechanised sailing vessel shall —

(a) activate the DAT indicating a piracy or armed robbery attack;

(b) in the event that a vessel does not have a satellite phone, any such attack information shall be transmitted using the MF/HF Transceiver available onboard and the vessels may establish HF radio contact (if the other vessel is outside of VHF range) with each other to relay emergency messages.

(c) if a vessel is suspected to be under a piracy or armed robbery attack, the vessel shall immediately relay the distress message via MF/HF transceiver to its owners, providing the following details:

(i) Name of the sailing vessel

(ii) Call Sign

(iii) Position of the vessel

(iv) Any other relevant information

3. Upon receipt of the distress message, the vessel owner shall immediately—

(a) convey the message by telephone to MMDAC (DGComm Centre) or IFC-IOR or MRCC. The first recipient amongst the mentioned agencies will relay the information to the other agencies.

(b) when situation permits, send an email to MMDAC (DGComm Centre) with all relevant details of the incident and the MMDAC (DGComm Centre) shall—

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(i) inform immediately the concerned ministries, security agencies and other applicable stakeholders by the quickest possible means including telephone or email.

(ii) contact the nearest Indian Navy or Indian Coast Guard vessel or coalition warship using VHF Channel 16, provide the current location, describe the situation, communicate the intended course of action, and seek further guidance.

4. The crew of the vessel shall—

(a) communicate the current location of the vessel as soon as possible when a threat of piracy or armed robbery is observed at sea immediately to the Sailing Vessel Federation or owner or MMDAC (DGComm Centre) or IFC-IOR or MRCC;

(b) try to convince pirates to talk to the owner and concerned authorities; and

(c) communicate to nearby foreign or Indian authorities about their captive location at every possible opportunity they get. For that, the tindal of the vessel should be updated with contact number of MMDAC (DG Com Centre), IFC-IOR, MRCC and Indian Embassy near to next port of call, port authority of the next port of call and other international authority related to piracy or armed robber cases.

Part III

Additional safety measures to prevent piracy or armed robbery incidents

1. As additional security measures, a vessel may carry the following security equipment as applicable, namely:—

(a) General Alarm (to alert all crew members);

(b) Search Light (for patrolling or search in dark hours);

(c) Whistles (for alerting the crew);

2. If likely to sail or transit through the passage in known piracy or armed robbery areas, the tindal of vessel should ensure to take the International Recommended Transit Corridor (IRCTC) or similar transit corridors and the vessels which are utilising such convoys are advised to wait at the collection or starting point and start together with other vessels at the beginning of the convoy.

3. In suspected piracy or armed robbery areas, the tindal shall ensure that a continuous watch is maintained by the vessel crew around and any suspicious movements shall be

immediately reported to the tindal, who shall take all appropriate safety measures to safeguard the vessel and crew.

4. During dark hours, if any suspicious movement is observed, the vessel crew shall closely monitor the activity and shall—

(a) immediately switch on the high-beam torch to illuminate the area;
(b) alert all crew members using whistles or other effective means of Communication;
(c) ensure that the vessel remains in a heightened state of alertness to deter any approaching suspicious boats from attempting unauthorised boarding.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE X

[See rule 61(2)]

Official Logbook for Mechanized Sailing Vessel

Name of Vessel		

Names of Tindal	ID No.	Passport No

Name and address of the registered owner

Date and place at which log book opened	Date and place at which logbook closed

Signature / Stamp of the Registrar (at the time of commencement of the log book)	Signature / Stamp of the Registrar (at the time of closing of the log book)

NOTE: - Every sailing vessel engaged in international voyages is required to maintain an official log book

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

CONTENTS

- **SECTION 1**

  RECORD OF SEAMEN EMPLOYED IN THE SAILING VESSEL

- **SECTION 2**

  VOYAGE DETAILS AND PRE DEPARTURE CHECKS

- **SECTION 3**

  NARRATIVE SECTION

NOTE:

PAGE NUMBERS – These are numbered by section and are to be entered upon starting each page. At this time they are also to be signed by the tindal and the crew on the date that the page has been started after ensuring that the previous page has been completed. Additional pages can be printed and inserted as required.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SECTION 1
RECORD OF SEAMEN EMPLOYED IN THE YACHT

Reference number in list of crew	Name of seaman (use capital letters)	Capacity in which employed	If entry made in narrative section give relevant page

SECTION 2
VOYAGE DETAILS AND PRE DEPARTURE CHECKS

Date and hour of departure	Location	Freeboard acceptable	Equipment Tested	Date and hour of arrival	Location

SECTION 3

OFFICIAL LOG of the _____

Date and hour of the occurrence	Place of the occurrence or situation by latitude and longitude at sea	Date of entry	Narrative Entry

Date this page started

Signature of Tindal

Signature of Crew

Section 3 Page

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Schedule XI

[See rule 63(2)]

STATEMENT OF COMPLIANCE AND UNDERTAKING OF OWNERS

I/We_____residing at_____ being the owner of sailing vessel_____ having permanent place of business at hereby state as follows:-

1. I/We am/are a/the citizen(s) of India. (Copy of passport(s) attached)

2. I/We am/are the sole owner(s) of the sailing vessel

Name: _____ Registration Number :_____

Details of which are as follows:

MAIN DIMENSIONS:

Length :_____meters

Breadth :_____meters

Depth :_____ meters

Gross Tonnage :_____

Net Tonnage :_____

Date of certificate of Inspection :_____

Date of expiry of certificate of Inspection :_____

3. The sailing vessel is registered in my/our name with the Registrar of Indian Ships,_____. Under Merchant Shipping Act 2025, as amended regarding validity of certificate of inspection, I solemnly declare that in the event of a sailing vessel not calling in Indian Port within 24 months of expiry of the certificate of inspection, then I/we the owner of the sailing vessel would present the vessel for carrying out inspection at a foreign port, failing which the certificate of inspection will be deemed to have expired.

Made and subscribed the_____ day of _____20_____ by the above named in the presence of Registrar of Indian Ships,_____ .

(Signature of Owner) (Signature of Registrar)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Schedule XII

[See rule 3(1)(e)]

Form SVR - I : Application for Registration of a Sailing Vessel

Form SVR - II : Declaration of Ownership

Form SVR - III : Declaration of Ownership by company

Form SVR - IV : Register of Sailing Vessel

Form SVR - V : Certificate of Registry of a sailing vessel

Form SVR - VI : Application for registry for Registry of alterations

Form SVR - VII : Application for transfer of port of registry

Form SVR - VIII : Instrument of Mortgage by Individual

Form SVR - IX : Instrument of Mortgage by Company

Form SVR - X : Provisional Certificate of registry

Form SVT - I : Tonnage

Form SVIC - 1: Application for Certificate of Inspection

Form SVIC - 2 : Defect List

Form SVIC - 3 : Certificate of Inspection format

Form SVIC - 4 : Half-yearly return of certificate of inspection of sailing vessels

Form - A : Application for Tindal permit/ Identity Card

Form - B : Format of Identity Card/Tindal Permit

Form - C : Monthly returns of Identity Cards

Form - D : Register of Card/Tindal Permit

Form - E : Statement of Crew with the Registrar

UNICOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM I

[See rule 5(1)]

Application for Registration of a Sailing Vessel

To

The Registrar of the sailing vessels,

Port of _____

Sir,

I/We _____ of _____ being the owner/s of sailing vessel called the _____ hereby request that the said vessel be registered in my/our name/s, and a certificate of registry be issued to me/us.

2. The particulars in respect of the said vessel are as under--

(x) Owner's name and address in full:
(xi) Occupation:
(xii) Whence, when and how the vessel was secured :
(xiii) Place and year of build :(With the builder's name and address if any).
(xiv) Type of vessel; whether open/semi-decked/fitted with auxiliary engine;
(xv) Description and type of engine with the name of manufactures, horse power and speed in full loaded condition:
(xvi) Nature of employment;
(xvii) Port of registry and official No. if registered previously:
(xviii) Whether the vessel has any previous mortgages, if so, the particulars thereof.

Place_____

Date_____

Signature or L.T.I of Owner

UNCOMPLY CATE simplifying compliance

SVR FORM II

[See rule 5(2)(a)]

DECLARATION OF OWNERSHIP

I/We, the undersigned, hereby declare that I/we am/are _____, residing permanently/having the principal place of business at _____ and that the sailing vessel called _____ the particulars of which are given below, was built at _____ in the year _____ and/was purchased by me/us for the sum of Rs._____/was materially altered and rebuilt by me/us was inherited by me/us from _____ whose name appears in the register as the owner of the said vessel and who died at _____ on the _____ and that I/we am/are the sole owner(s) of the said vessel and that no person or persons has or have any interest, either legal or beneficial, right, title, share of property therein or thereto. And I/we make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Particulars of the vessel

Official number, date and port of registry_____

Registered Dimensions: Length_____ breath_____ depth_____

Gross tonnage_____ Registered tonnage_____

Cubic metres_____ cubic metres_____

Declared before me at_____ this day _____ of 20__

Signature Signature

Designation For and on behalf_____

Seal of office Company Ltd.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM III

[See rule 5(2)(a)]

DECLARATION OF OWNERSHIP

BY A COMPANY

I, the undersigned, permanently residing at _____ and being the duly authorised agent/duty constituted attorney of _____ Company Limited, hereby declare as follows:—

The said company was registered under the Companies Act, 2013 on the _____ and has its principal place of business at _____ where all the important business is controlled and managed. The said company satisfied the requirements of clause (b) of section 15 of the Act, and is the sole owner of the sailing vessel called _____ the particulars of which are given below. The said vessel was built at _____ in the year _____ and/purchased by the said company for the sum of Rs._____/ was materially altered and rebuilt by the said company.

To the best of my knowledge and belief, no person or persons has or have any interest, either legal or beneficial, right, title, share or property in the said vessel and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true

Particulars of the vessel

Official number, date and port of registry_____

Registered Dimensions: Length_____ breath_____ depth_____

Gross tonnage_____ Registered tonnage_____

Cubic metres_____ cubic metres_____

Declared before me at_____ this day _____ of 20__

Signature Signature

Designation For and on behalf_____

Seal of office Company Ltd.

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

SVR FORM IV

[See rule 9(1)]

Register of Sailing Vessel

Official Number_____ Name of the vessel_____

Date and port of Registry_____.

Particular of owner (s)

Name(s) of Owners(s)	Permanent residence of Principal/Occupation-place of business	Share held by each

Description of the vessel

(a) Type i.e. whether open, decked or semi-decked_____

(b) Build of and material_____

(c) Hull-whether wooden or composite_____

(d) Place and year of build_____

(e) Name and address of Builders_____

(f) No. of masts_____

(g) No.of bulkheads_____

(h) No. of holds_____

(i) Rigged_____

Dimensions and particulars of tonnage

Registered Dimensions

(a) Length_____ (b) Breadth_____ (c) Depth_____

(a) Gross Tonnage _____ (b) Register Tonnage_____

cubic metres cubic metres

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PARTICULARS OF AUXILIARY ENGINE (S)

(a) Type, make and name of engine (s)_____

(b) Year of make_____

(c) Name and address of manufactures_____

(d) Number and diameter of cylinders_____

(e) Length of stroke_____

(f) Brake horse power_____

(g) R.P.M._____

(h) Speed:- (i) Fully loaded_____ (ii)Light condition_____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

PARTICULARS OF CREW

	Fair season	Foul season
(a)	Deck crew…….	…….
(b)	Engine crew…….	……..

Particulars of mortgage, sale and other transactions involving transmission of interest by way of death, bankrupt, etc.

Number of transaction and date of transaction	Name of person from whom title derived	Hour and date of registry of mortgage	Nature of
1	2	3	4

Extent to which interest, discharge etc, affected by such.	Name address and occupation of transferee, mortgagee or other persons acquired interest, title etc.	Time and date of mortgage, etc.	Remarks
5	6	7	8

Registrar of sailing vessels

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM V

Certificate of Registry of a sailing vessel

[See rule 7(2)]

This is to certify that ……. of ……. has declared that …… is/are sole owner(s) of…….. called …… and that the said…… the particulars of identification been duly registered at the port of …… under the Merchant Shipping Act, 2025.

CERTIFIED under my hand this the …….. day of ……. 20 .

Particulars of the Vessel

Official No. Port of registry……

Registered dimensions

Length

Breadth

Depth

Gross tonnage (Cubic metres)

Deductions on account of engine room space

Register tonnage (Cubic meters)

Registrar of sailing vessels

Port of ……

Foot Note:

(i) This certificate must be produced for inspection on demand by the authorised person.

(ii) While the certificate is in force, the vessel's name and other markings must not be removed or defaced.

(iii) Should the vessel be lost, broken up or rendered unfit for service this certificate shall be surrendered to the Registrar at the sailing vessel's port of registry.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM VI

[See rule 12(1)]

APPLICATION FOR REGISTRY OF ALTERATIONS

To

The Registrar of sailing vessels

Port of ……

Sir,

I/we, the undersigned…….. being the owners of the sailing vessel called……. Official Number……. hereby report that the following alterations have been carried out to the vessel on……20 . I/we therefore request that these alterations may kindly be registered and a fresh certificate of registry issued on payment of the prescribed fees.

The vessel's existing certificate of registry is returned herewith.

Signature of Owner(s)

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

SVR FORM VII

[See rule 14(1)]

Application for transfer of port of registry

To

The Registrar of the sailing vessels

Port of ……..

Sir,

I/we…… being the owners of the sailing vessel called …….. Official No…… registered at your port hereby request that the registry of the said vessel may be transferred to the Port of …….. for the following reasons:-

2. The said vessel has been mortgaged in favour of …… as may be verified from the register maintained by you and the mortgagee has no objection to the proposed transfer. In this connection, his/their letter dated the …… agreeing to the transfer of the port of registry to……. is enclosed in original for your record.

Yours faithfully,

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

SVR FORM VIII

[See rule 18(1)]

INSTRUMENT OF MORTGAGE

I/we, the undersigned…….. in consideration of the sum of Rupees…… this day lent to me/us by…….. residing permanently / having my / our principal place of business at …….. do hereby for myself/ourselves and my/our heirs, executors or administrators covenant with the said …….. firstly that I/we and/or my/our heirs, executors, or administrators will, pay to the said…….. the said sum of Rupees……. together with interest thereon at the rate of ……. per cent per annum on the ……. day of ……..20 : and secondly that if the said principal sum is not paid on the said day I/we or my/our heirs, executors, or administrators will during such time as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said……. interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of …… percent per annum by equal half yearly payments on the ……. day of …….. and day of…… in every year, and that for better securing to the said……. the payment in manner aforesaid of the said principal sum and interest I/we hereby mortgage to the said ……. the sailing vessel called …… Official Number……. port of registry…… together with all her boats, appurtenance, etc. Lastly, I/we for myself/ourselves and my/our heirs, executors or administrators covenant with the said …….. and his / their assigns that I/we have power to mortgage the said vessel in the manner aforesaid and the same is free from encumbrances save as appears by the register of that said vessel.

In witness whereof we have subscribed our name(s) and common seal this…….day of ……..20…..

Signed by the above named in my presence.

Signature…… Signature(d)

Designation……

Seal of office…….

UNCOMPLY CATE Simplifying Compliance

Received the sum of rupees…….. in discharge of the written security. Dated …….. this…….. day of ……. 20…. .

Signature…….. Signature(s) of Mortgages(s)

Designation……..

Seal of Office……

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM IX

[See rule 18(1)]

INSTRUMENT OF MORTGAGE

(To be executed by a Company/Cooperative Society)

We, the……. company, Limited/Co-operative Society, having our principal place of business at ……. in consideration of the sum of rupees…… this day lent to us by……. residing permanently/having their principal place of business at …… do hereby for ourselves and our successors covenant with the said…….. and his/their/its assigns firstly that we/our successors will pay to the said…….. or its/their assigns the said sum or rupees…….. together with interest thereon at the rate of …….. per cent per annum on the …….. day of …….. 20….. ; Secondly that if the said principal sum is not paid on the same day, we or our successors will, during such time as the same or any part thereof remains unpaid to the said…….. interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of ……. per cent per annum by equal half yearly payments on the …….. day of……. and day…… day of…… in every year; and that for better securing to the said……. the payment in the manner aforesaid of the said principal sum and interest, we hereby mortgage to the said……. the sailing vessel called…… official number……. port of registry…….. together with all her boats and other appurtenances, etc. Lastly we for ourselves and our successors covenant with the said……. and their/its assign that we have power to mortgage the said vessel together with all her boats and appurtenances, etc. and that the same is free from encumbrances save as appear by the register of the said vessel.

In witness whereof we have subscribed our name(s) and common seal this……. day of……20…..

Signed by the above named in my presence.

Signature
Designation
behalf_____
Seal of office

Signature
For and on
Company Ltd.
Company's Seal/ Society's seal

UNCONTROLLED COPY Simplifying compliance

Received the sum of rupees…….. in discharge of the written security. Dated …….. this…….. day of ……. 20…. .

Signature…….. Signature(s) of Mortgages(s)

Designation……..

Seal of Office……

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVR FORM X

[See rule 8(1)]

PROVISIONAL CERTIFICATE OF REGISTRY

This is to certify that the sailing vessel……. Official No…… of …….. Tons……. belonging ……. is hereby permitted to ply pending issue of certificate of registry.

The provisional certificates shall remain in force for a period of three months or until the vessel is granted a certificate of registry whichever is earlier.

Port of …….

Date……..

Registrar of Sailing Vessels

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SVT-1

(See Schedule II, Part I)

TONNAGE FORM

To be used for calculating the sailing vessel's tonnage under the Merchant Shipping Act, 2025, (24 of 2025)

Name of vessel re-gistered	Name and address of owner	Date and place of Sail assured	Official No. and Port or cally build	Port of Nationality	New or Mechani-cally propelled
1	2	3	4	5	6

Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6
Depths					
Ccm. bet.	Int. oths.				

No.	Multipliers	Bths	Products	Bths	Products	Bths	Products	Bths	Products
1	1								
2	4								
3	2								

UNCOMPLYGATE Simplifying Compliance

4	4
5	1

1/3
Com.
int.
bet.
Bths

Wood composite iron or steel	Type of bottom framing	Intended Service	Registered dimension

Passenger cargo

fishing Length Breadth Depth

7	8	9	10	11	12

Area 7 Cubic content and underdeck tonnage

Length of Tonnage Deck

Ccm. bet. Int. areas.

Bths	Products	Bths	Products	Bths	Products	No.of Multi-areas	Areas	Product
						1	1	
						2	4	

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

| | | |

2(2)_____

---Register

Tonnage_____

Where

measured:_____

Date of

Measurement_____

Signature of Registrar of sailing vessels/Surveyor

Checked by ----------

N.B. - The measurements to be entered in columns –(10 to (12) :-

Col.(10)- Length registered, that is, the length from foreside of stem at extreme top to the afterside of the rudder of stem posts ;

Col.(11)- Breadth registered, that is, the maximum, breath of the vessel measured horizontally the ward to the outside of hull planking but disregarding rubbing strakes for permanent renders;

Col.(12)- Depth registered, that is, depth as stated in clause (c) of rule 2 measured at half length registered.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM SVIC 1

[See rule 23(1)]

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSPECTION FOR A SAILING VESSEL

Issued by the Govt. of India

To,

The Registrar at the port of _____

Sir,

I hereby apply for an inspection certificate for the vessel described below. The necessary fee of Rs. _____ is enclosed.

Date this _____ day of _____ 20__.

Yours faithfully,

Owner or Tindal

PARTICULARS OF VESSEL

Name and Number of vessel not	Description of Vessel	Tonnage Gross	Tonnage Net	When and where built	Whether fitted with auxiliary engine or
1	2	3	4	5	6

Usual Employment of vessel	Name and Address of owner	Nature of Inspection	Date of proposed Inspection	Place of Inspection
1	2	3	4	5

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM SVIC 2

[See rule 31]

DEFECT LIST

Issued by the Govt. of India

To

The Owner/Tindal of sailing vessel……

No…….. of the port of……..

Sir,

I have inspected the above vessel in accordance with the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026, the following repairs are required to make good the defects: -

Hull……

……..

Equipments……

……..

Engines……..

Yours faithfully

SURVEYOR

Dated…….

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM SVIC 3

[See rules 3(1)(b) and 32(1)]

CERTIFICATE OF INSPECTION OF A SAILING VESSEL

Issued by the Govt. of India

Name and description of vessel	Port of Registry and Official No.	Tonnage		Name & Address of Owner
		Gross	Net	

THIS IS TO CERTIFY--

I. that the above-mentioned vessel has been duly inspected in accordance with the provision of the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026.

II. that the life saving appliances provide for a total number of _____ persons, viz: _____ life-boats/boats capable of supporting _____ persons;

or

_____ buoyant apparatus capable of supporting _____ persons; _____ life jackets;

_____ life buoys.

III. that the inspection showed that the vessel's hull, rigging, fire appliances and other equipment are in good condition and that she is provided with navigation lights and shapes, and means of making sound signals and distress signals in accordance with the provisions of the Regulations for the Prevention of Collisions at sea.

IV. that the auxiliary engines have been inspected and found to be in working/not working order.

(The complete inspection is due on or before the _____ 20__)

*strike out inapplicable words

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FURTHER PARTICULARS

Freeboard* Maximum Number of Crew and Passenger

Crew Passenger

PARTICULARS OF AUXILLARY ENGINE AS SUPPLIED BY MANUFACTURERS/OWNER

Make	Description	B.H.P	Nature of fuel used

Usual trading limits:

Restriction on trading limits if any, and terms and conditions thereof: (State also whether trading should be restricted or not to fair reason)

Name of Tindal: _____

Registrar of Sailing Vessels

Date:

THIS CERTIFICATE UNLESS PREVIOUSLY CANCELLED, SHALL REMAIN IN FORCE UNTIL THE ..…DAY OF…….....20___.

***This Columns shall be left blank, if the vessel has been issued with a load line certificate in compliance of section 147(e) of the Act.**

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

MANDATORY ANNUAL SURVEY

This is to certify that the above sailing vessel has been surveyed in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026.

SIGNATURE OF SURVEYOR

Issued at _____the___ day of _____20____

_____

MANDATORY ANNUAL SURVEY

This is to certify that the above sailing vessel has been surveyed in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026.

SIGNATURE OF SURVEYOR

Issued at _____the_____ day of _____20____

_____

ADDITIONAL ENDORSEMENT IF ANY:

(Viz Change of Ownership/Tindal/Engine/No. of Crew/Loadline etc.)

SIGNATURE OF SURVEYOR

Issued at _____the_____ day of _____20____

CHANGE OF TINDAL:

Name of Tindal:_____ Identity Card No._____

SIGNATURE OF SURVEYOR

Issued at _____the_____ day of _____20____

CHANGE OF TINDEL:

Name of Tindel:_____ Identity Card No._____

SIGNATURE OF SURVEYOR

Issued at _____the_____ day of _____20____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Form No. SVIC 4

[See rule 23(4)]

Half-yearly return of certificate of inspection of sailing vessels

Port of…….

Issued by the GOVT of INDIA

Name of sailing vessel	Port of registry Number	Tonnage		Whether fitted with auxillary engine	Usual trading limits
		Gross	Net		
1	2	3	4	5	6

Restrictions on trading limits if any, and terms, any, certified to be conditions thereof	No. of passengers	Date of issue of certificate of inspection due	Date on which complete inspection of engine is varried	Date of Expiry of certificate of inspection	if
7	8	9	10	11	

Date……..

To

Directorate General of Shipping

Mumbai.

Registrar of sailing Vessels

IN

DUPLICATE

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

FORM A

[See rules 49(2)]

APPLICATION FOR PERMIT OR IDENTITY CARD UNDER THE MERCHANT SHIPPING (SAILING VESSELS) RULES, 2026.

To,

The Issuing Authority,

Port of _____

I, the undersigned hereby apply for a permit or identity card as a certificate of identity as a Tindal/Member of the crew on a sailing vessel in accordance with the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026

---

16. Full Name in BLOCK LETTERS and Present Address

17. Age and date of birth *Age: DOB:

18. Place of birth District

19. Permanent address State

20. Father's name and address Name

Address

21. Nationality

22. Religion

23. Height

24. Complexion

25. Colour of hair and eyes

26. Marks of identification

27. Full name, relationship and address of next of kin

Name :

Relationship :

Village:

Thana: Post Office

District: State

28. Particulars of any existing or previous ID card (if none, say none)

29. Particulars of passport. Signature or L.H.T

Impression of applicant

30. Whether any previous application has been made for the issue of an identity card

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Witness: We hereby certify that we know the applicant and that the particulars furnished by him are true to the best of our knowledge and belief.

(3) Signature,
Name in Block Letters,

_____

Address_____

(4) Signature,
Name in Block Letters,

_____

Address_____

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

---

* If these particulars are not available, approximate age may be given with the word "about" added.

Application forwarded to an examiner in compliance of rule 50(4) towards assessment of qualification and experience for issuance of tindal permit.

To,

The Examiner,

MMD, ...

Signature, ...

(name) .....

stamp & date of transferring officer,

registrar of a sailing vessel

Report of examiner for issuance of tindal permit .....

Signature, ...

(name) .....

stamp & date of MMD examiner

(TO BE FILLED IN BY THE OFFICER AUTHORISED TO ISSUE IDENTITY CARDS)

*A Permit/An Identity Card has already been issued to the applicant. The particulars thereof as stated below:

No. with Port Code Letters:

Date of Issue:…….

Date of Expiry:……...

*No Permit/Identity Card has been issued to the applicant for the following reasons:

*Delete entry not applicable.

The above photo should be authenticated by impressing the official seal and signature of the Issuing Authority which should be partly on the photograph.

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

Period of refusal …….

Reason for declining ……..

Signature of Issuing Authority with date……

Designation……

Port……

I have received the Permit/Identity Card as described above, with my photograph affixed and authenticated

Signature or Left-Hand Thump Impression of Applicant

Date…….

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM B

[See rule 50(8)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS SHIPPING & WATERWAYS

IDENTITY CARD

Issued under the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026

Name:

Identity Card No.:

(Note:- The serial number shall be proceeded by code letters identifying the port of issue).

The above photo should be authenticated by impressing the official seal of the issuing authority partly on the photo and on the book and by affixing signature of the issuing officer.

Valid up to_____

Issued under the authority of Government of India

Issuing Authority: Signature

Name :

Date :

Place :

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS SHIPPING & WATERWAYS

TINDAL PERMIT

Issued under the Merchant Shipping (Sailing Vessels) Rules, 2026

Name:

Identity Card No.:

(Note:- The serial number shall be proceeded by code letters identifying the port of issue).

The above photo should be authenticated by impressing the official seal of the issuing authority partly on the photo and on the book and by affixing signature of the issuing officer.

Valid up to_____

Issued under the authority of Government of India

Issuing Authority: Signature

Name :

Date :

Place :

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM C

[See rule 52(2)(a)]

MONTHLY RETURN RELATING TO IDENTITY CARDS ISSUED UNDER THE MERCHANT SHIPPING (SAILING VESSELS) RULES, 2026 AT THE PORT OF…… FOR THE MONTHS OF……20___

Permits/Identity Cards renewed during the month____

Code No. of Permit/Identity Card	Holder's Full Name	Date of renewal of Permit/Identity card
1	2	3

Permits/Identity Cards cancelled or suspended during the month

Code No	Holder's Name	Whether Permit/ Identity card was cancelled or suspended	Reason for cancellation/suspension	If suspended, Period of suspension
1	2	3	4	5

Suspended Permits/Identity Cards re-issued during the month

Code No.	Name of Holder	Date when permit/Identity card was suspended	Date of issue

Duplicate copies of Permits/Identity Cards issued during the month of

Code Number	Name of Holder	Date of issue	Reasons given by Holder for request for re-issue	Whether original copy withdrawn from Holder
1	2	3	4	5

(Signature)……

(Designation)……

(Port)……

UNCOMPLY CAT Simplifying Compliance

FORM D

[See rule 52(2)(b)]

REGISTER OF PERMITS/IDENTITY CARDS ISSUED TO TINDALS AND OTHER MEMBERS OF THE CREW OF THE SAILING VESSELS

Code Number of Permit/Identity Card……
Date of Issue……
Period of Validity ……
Issuing Authority ……

Name of person to Whom permit/ Identity card has been issued	Father's name	Date of birth	Place of birth	Religion and Nationality	Permanent address	Full name and full address of next of kin
1	2	3	4	5	6	7

Description of Holder — Remarks*

1.Height

2.Colour of Eyes

3. Hair

4. Complexion

5. Distinguishing Marks (if any)

*If permit or identity card is cancelled/suspended, the date of such cancellation/suspension and reasons and, in the case of suspension, the period of suspension should be entered therein.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

FORM E

[See rule 55(a)]

STATEMENT OF THE CREW OF THE VESSEL WITH THE REGISTRAR OF SAILING VESSEL

Name of Vessel_____Official No. and Port of Registry_____

INSTRUCTIONS

1. The owner or tindal of a vessel shall file a copy of the statement of the crew of the vessel with the Registrar of the port where the vessel is registered.

2. Every change in the personnel of the crew shall be recorded in the statement of the crew and the statement maintained up-to-date. Every such change shall be communicated to the Registrar as soon as possible.

Sl No.	Full Name of members of crew including Tindals	Permanent address	Age at the time of recruitment	No.Date and Port of Issue of Identity-card	Capacity in which engaged	Date and place of engagem-ent	Monthly wages**
1	2	3	4	5	6	7	8

**Note: If remuneration or wages are paid otherwise than on monthly basis the amount of wages which the owner/tindal considers as monthly wages shall be stated.

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

Name and Relation-ship of Next of kin and Address	Signature or left thumb impression of the crew	Signature or left thumb impression of owner or Tindal	Discharge from vessel			Signature and Designati-on of attending officer	Remarks
			Date	Place	Cause		
9	10	11	12	13	14	15	16

I hereby declare that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature or left thumb impression of Owner/Tindal.

Date……at……..

[F. No. SY-19014/202/2025-MG]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA